खण्ड-246, अंक-2
शनिवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(22 फरवरी, 1964 ई0)

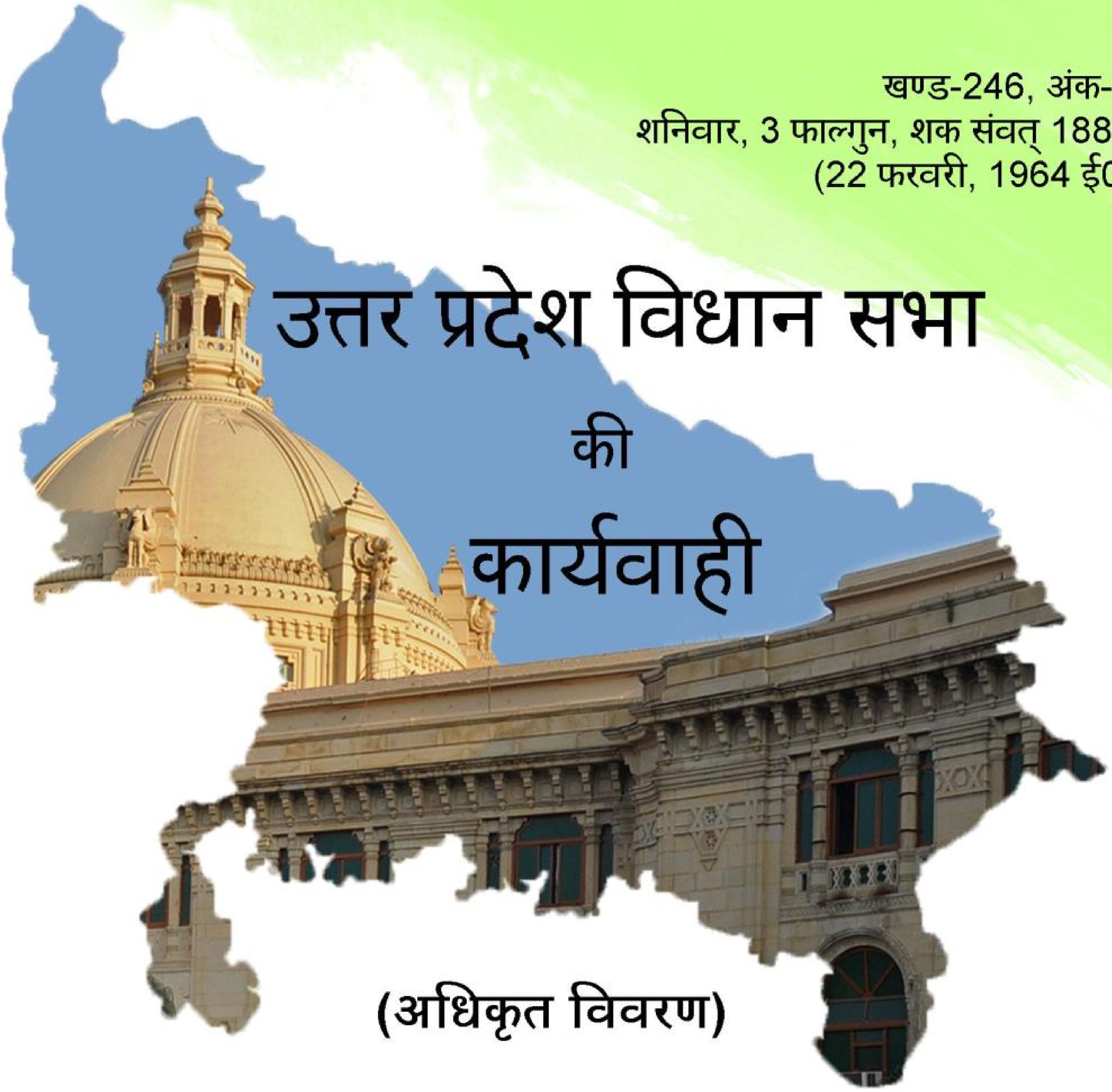

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९७–१०१
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	१०१–१०२
प्रदेश की खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिये समय की मांग	१०२–१०८
प्रदेश की खाद्य स्थिति पर चर्चा	१०८–१६२

विधान सभा मध्य प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २२ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अधिष्ठता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीप्रसाद पा डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखन्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल वधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह, वर्मा, श्री
यशोदादेवी श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहायकैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रण बहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री

सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कुछ कहने से पहले जो नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं आयी हैं उनके बारे में मुझे कहने का मौका दें ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं उसी के बारे में कहना चाहता हूं । अधिक समय नहीं लूंगा, यह बड़े महत्व का प्रश्न है । इसमें केवल ढाई घंटे का समय रखा गया है । मैं चाहता हूं कि इस पर पूरे एक दिन डिबेट हो ।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैं भी अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको पूरा मौका दूंगा लेकिन जो हमारा क्रम निर्धारित है उससे ही तो चलें हम । आज दफा ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ५ सूचनाएं आयी हैं । एक तो है काजी जलील अब्बासी साहब की । उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया है कि कल एक माननीय सदस्य श्री धुसिया ने कोई बात कही थी, किसी मुसलमान विधायक के ऊपर उनका इशारा था । उन्होंने इस बात से परेशानी जाहिर की है कि उस इशारे से जब तक उनका नाम स्पष्ट नहीं होता सभी पर असर पड़ता है । तो यह नियम ५२ का विषय तो नहीं हो सकता लेकिन मैं सम्बन्धित सदस्य के पास इसको भेजूंगा । वे जो स्पष्टीकरण करेंगे उसको सदन के समक्ष रख दूंगा ।

दूसरी सूचना माननीय विजयपाल सिंह जी की है । यह संबंधित मंत्री को मैं भेज रहा हूं । आज ही इस पर विवाद होगा, उसमें यह आ ही जायगा ।

तीसरी है माननीय रघुवीर सहाय जी की । यह स्थानीय घटना है । संबंधित मंत्री से पूछ कर इसका भी काम चल जायगा ।

चौथी है माननीय कैलाश सिंह कुशवाहा, मदनपाल सिंह जी और श्री रघुनाथ सिंह की । यह भी एक स्थानीय घटना है । पुलिस ग्रांट पर विवाद होने ही वाला है और सामान्य विवाद में भी इसकी चर्चा हो सकती है । उससे कार्य चल जायगा ।

एक माननीय रक्षपाल सिंह जी की गुरुकुल कांगड़ी संस्था से संबंधित सूचना है । यह संस्था न तो सरकार की है और न सरकार से संबंधित है । अतः यह बिलकुल इरेलेवेन्ट है ।

[श्री अधिष्ठाता]

आखिरी सूचना माननीय बेदराम जी की है। दुलहापुर रेलवे क्रासिंग पर रेलवे अधिकारियों द्वारा सड़क पर कोई गड्ढा खोद दिया गया है। यह कई बार आ चुका है। अध्यक्ष महोदय इसे अस्वीकृत कर चुके हैं, अतएव मैं इसको अस्वीकृत करता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र के बीच में बोलने पर) माननीय सदस्य से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कुछ परम्परायें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिये।

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिये समय की मांग

†श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं कि कल खाद्य समस्या के बारे में सवाल उठा था और आमतौर पर इस सदन के माननीय सदस्यों की राय थी कि इसको टाला न जाय बल्कि जल्द से जल्द इस बहस को शुरू किया जाय। इस मांग को देखते हुए आज ढाई घंटे का वक्त साढ़े ५ बजे के बाद मुकर्रर हुआ। मेरी अर्ज यह है कि परिस्थिति रोज व रोज बद से बदतर होती चली जा रही है। आज अखबार में खबरें हैं कि फूड रायट्स शुरू हो गये हैं कानपुर में, बिजनौर में, इटावा में। और भी कहीं हुए होंगे जिनकी खबर शायद हमें नहीं पहुंची। इसलिये ऐसी गंभीर परिस्थिति में हमें फौरन इस मसले पर बहस करनी चाहिये बजाय इसके कि हम शाम के साढ़े ५ बजे तक इन्तजार करें, हमें आज इसी वक्त, फौरन इस समस्या को अपने हाथ में लेना चाहिये। हम जनता के नुमायन्दे हैं। यह करोड़ों आदमियों की मौत और जिन्दगी का सवाल है। हम इसको टाल नहीं सकते। इसलिये मेरी गुजारिश है कि फौरन यह सदन इस मसले पर बहस करे। एक बात।

दूसरी मेरी अर्ज यह भी है कि ढाई घंटे जो मुकर्रर हुए हैं वह बहुत कम हैं। इतनी गंभीर समस्या पर बहस करने के लिये कम से कम एक दिन की जरूरत है। प्रान्त के दूर-दूर कोने से यहां लोग बैठे हैं। सब की अलग-अलग समस्याएं हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमें कुछ कहना है बल्कि हमारे उस तरफ के साथियों को भी बहुत-सी बातें कहनी हैं, क्योंकि वे भी जनता के चुने हुए नुमायन्दे हैं और उनको भी जनता को जाकर जबाब देना पड़ेगा। इसलिये ढाई घंटे में कौन बोल सकेगा और कौन अपनी बात कह सकेगा, इसलिये महज एक फारमल कार्यवाही हो जायगी। दो-तीन मिनट में हम अपनी बात बता दें और मिनिस्टर साहब तकरीर कर दें तो यह इस गंभीर मसले के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि इसके लिये एक दिन पूरा मुकर्रर होना चाहिये और आज सारे दिन इसी पर बहस करनी चाहिये और पूरा समय दोनों पक्षों को देना चाहिये, ताकि जनता के नुमायन्दे अपने जिलों की परिस्थिति के मुताबिक अपने सुझाव रख सकें। मैं आशा करता हूं कि आप इसको मानेंगे।

†श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि अभी डाक्टर साहब ने कहा मैं इसलिये इस पर और अहमियत देना चाहता हूं कि माननीय जगमोहन सिंह नेगी खाद्य मंत्री ने विधान परिषद् में यह कहा कि अगर ट्रेडर्स ठीक से नहीं बेचेंगे और ज्यादा मुनाफा करेंगे तो लूटपाट मचेगी। यह बात इस बात का द्योतक है कि मंत्री जी और सरकार खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कर सकने में अक्षम हैं और सरकार ने अपनी निष्क्रियता का परिचय दिया है, इस तरह का बयान देकर और इससे सारे प्रदेश में यह समस्या और ज्यादा उग्रतर हो गई है। सरकार अराजकता फैलाने के लिये निमंत्रण दे रही है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज सारे दिन इस पर विवाद हो। माननीय नेगी जी ने केवल एक वाक्य से इस बात की चुनौती दी है कि सदन पूरे मंत्रिमंडल

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से इस्तीफे की मांग करें और खास तौर से नेगी जी से जरूर मांग करे या इस तरह के बयान के लिये सदन से वे माफी मांगें या कहें कि सरकार में क्षमता नहीं है कि वह खाद्य समस्या का निबटारा कर सके। इसलिये मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह आज इस मसले पर सारे दिन बहस करे।

†श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, जो बातें सदन के सामने रखी गयी हैं उनको सरकार स्वयं तसलीम करती है। यह इतना गंभीर पहलू है कि इस पर रायट्स शुरू हुए और सरकार कंट्रोल न कर सकी। इससे बड़ा अहम प्रश्न और कौन सदन के सामने हो सकता है जिस पर विचार किया जा सके।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जो विचार हमारे लायक दोस्तों ने व्यक्त किये हैं उनसे हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से सहमत है और हम इस बात की भी मांग करते हैं कि सरकार भले ही खाने की समस्या और जनता का अमन और जिन्दगी के साथ खिलावाड़ कर ले, लेकिन हम जनता के नुमायन्दे हैं इसलिये जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिये मैं मांग करता हूं कि पूरे दिन इस समस्या पर विचार हो, जिससे हम अपने नुक्ते नजर सरकार के सामने रख दें, ताकि सरकार को सहायता मिले और वह हमारी राय का फायदा उठा सके।

†श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इस पर आज डिबेट होनी थी लेकिन मुख्य मंत्री जी के न होने की वजह से मुल्तवी की गई। कल हम लोगों ने कहा था कि आज बहस होनी चाहिये। इस पर उन्होंने कहा था कि आज केबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और उसमें इसी पर गौर किया जायगा, लेकिन आज अखबारों में रिपोर्ट पढ़ने से हमें नाउम्मीदी हुई। उसमें लिखा है कि खाद्य समस्या से चिन्ता जरूर है लेकिन सूरत खतरनाक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आज जगह-जगह लूट हो रही है, रंजाना महंगाई बढ़ रही है, गल्ला घट रहा है और होर्डिंग हो रही है तो क्या जब बड़े रूप में लूट होगी और ला एंड आर्डर की स्थिति खतरे में हो जायगी तब खतरनाक सूरत सरकार समझेगी? इसलिये मेरी गुजारिश है कि आज पूरे दिन इस पर डिस्कशन कर लें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता--

श्री नरसिंहनारायण पांडेय, जो बात कही जा चुकी है उसकी पुनरावृत्ति न करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टियों के नेताओं ने जिस बात को रखा है यह नार-ए खल्क है। इसको नार-ए खुदा समझ कर उधर जो उपनेता सदन बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह इसके ऊपर बहस करें और पूरे दिन बहस करें। अगर उनसे प्रबन्ध न हो सके तो फूड डिपार्टमेन्ट का सारा कंट्रोल मिलिटरी को दे दें, जो होर्डर्स को गिरफ्तार करके जेलों में बन्द कर सके जिससे स्थिति की गंभीरता कम हो सके, नहीं तो आप के मान का है नहीं, चाहे आप इस्तीफा दें या बैठे रहें। लेकिन कम से कम जनता की आवाज की इज्जत करें।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

मैं उस मांग का कि इस प्रश्न पर पूरे दिन की बहस की जाय, समर्थन करता हूं --

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

एक सुझाव रखना चाहता हूं। पूरे प्रान्त की दशा इस सदन से छिपी हुई नहीं है। एक दिन के अन्दर भी पूरे माननीय सदस्य अपने-अपने जिलों की हालत को रख सकें, यह संभव नहीं है, इसलिये कल छुट्टी का दिन है, आज इस पूरे दिन डिबेट हो और कल भी पूरे दिन इस पर डिबेट हो। कल हम लोग दिन भर बैठने को तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सारे माननीय सदस्यों के विचारों को सुना। सभी दलों के माननीय नेता इस मांग से सहमत हैं। जहां तक इस विषय के महत्व का संबंध है, मैं भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं। मुझे भी वह गांधी जी का वाक्य याद आता है--

'God even cannot dare to appear before a hungry man except in the shape of bread.'

इसमें सब का दायित्व है कि इस विषय पर सोचें, लेकिन प्रश्न केवल यह है कि उसके सोचने का तरीका क्या हो सकता है। आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद चल रहा है। नियम १८८ में यह है--

"On days to be appointed by the Speaker which shall not be earlier than two days subsequent to the day on which the Budget is presented and for such time thereafter which shall ordinarily be five days, as the Speaker may allot for this purpose, the House shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein, but no motion shall be moved at this stage, nor shall the Budget to be submitted to the vote of the House."

एक तो सामान्य विवाद का सिद्धांत है।

(व्यवधान)

मैं आपसे आशा करता हूं कि मुझे कमसे कम आप सुन लें। कुछ मर्यादाएं हैं उनको आपको रखना ही पड़ेगा। सामान्य विवाद में आप यह कर सकते हैं कि एक लफ्ज किसी और विषय के बारे में न कहें और केवल खाद्य समस्या के ही विषय में कहें। मैं अभी कोई निश्चय नहीं दे रहा हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आप से माफी चाहता हूं बीच में बोलने के लिये। इस तरह से इस समस्या की गुरुता कम हो जायगी। विशेष परिस्थिति में नियमों को न देखते हुए आप इस समस्या की महत्ता को देखें। कितनी गुरुतर समस्या खड़ी हुई है इसको देखते हुए आपसे साग्रह, सानुरोध प्रार्थना है कि केवल यह कह कर कि खाद्य समस्या की गम्भीर परिस्थिति है, इस पर, आज जो बजट पर सदन विवाद कर रहा है उसमें चर्चा करे, यह समस्या को दूसरा रूप देना होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। आप इसको प्राथमिकता दें और इस पर बहस करवायें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो सुझाव आये उनमें इस बात पर जोर दिया गया कि काफी समय विवाद के लिये मिले। यह देखने की बात है कि किस प्रकार से उसकी वैज्ञानिक व्यवस्था हो सकती है। जो सुझाव आये उनमें इस बात का संकेत मिला। अब मैं इस पर आपकी राय लेना चाहता हूं। एक तरीका यह हो सकता है कि जो सामान्य विवाद चल रहा है वह चलता रहे और उसमें हम केवल २।। घंटे इसके ऊपर ही बहस करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जैसा एक माननीय सदस्य का सुझाव भी आया कि अगर २।। घंटे का समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काफी नहीं समझते हैं तो फिर कैसे किया जाय। नियम ५३ में यह लिखा है कि अधिकतम समय उसके अन्तर्गत २।। घंटे का दिया जा सकता है। मैं आपसे यह कहता हूं कि सब की सहमति होने पर किसी भी नियम का निलम्बन किया जा सकता है, मैं इसको मानता हूं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिये सारे सदन की सहमति होने पर ही कोई निश्चय लिया जा सकता है और व्यवस्था हो सकती है। अब १ और २ बजे के बीच में जो हमारा लंच होता है उसमें हमारे माननीय सदस्य बात कर लें। कल इतवार है। इतवार की छुट्टी न मनायें। सारे कामों को छोड़कर कल का समय हम इसके लिये दे सकते है। हम २।। घंटे आज विवाद कर लें और बाकी जितना समय चाहें वह कल ले सकते हैं। यह सुझाव मैंने आपके सामने रखा है। मैं जेड० ए० अहमद साहब से जानना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह सदन का निश्चय है कि यह समय सामान्य विवाद के लिये रहेगा, यह समय सदन की जितनी पार्टीज हैं उनके नेताओं के परामर्श से निश्चय किया गया है, तो क्या आप उस निश्चय को बदलना उचित समझते हैं? या कल सामान्य विवाद कर लें या अधिक समय चाहते हैं तो २।। घंटे आज कर लें और बाकी जितना समय कल चाहें उतना ले लें। यह व्यवस्था हो सकती है।

†श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, प्रश्न यह नहीं है कि १, २ के बीच में तय कर लें या समय तय करें या बहस कल करें। बहस कल भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि इस सदन में परसों ३। बजे तक फूड की स्थिति के ऊपर बहस चलती रही। आज हमारी खाद्य समस्या इतनी आवश्यक हो गई है कि उसको हमने ३। बजे तक परसों चलाया। उसके बाद खाद्य मन्त्री का वक्तव्य हुआ और उन्होंने स्वयं कहा कि खाद्य की स्थिति बड़ी गम्भीर है और वह कंट्रोल करेंगे। आज अखबार में निकला कि बिजनौर में रायट हो गया। और भी बहुत से स्थानों पर रायट हुए हैं। इसमें २ या २।। घंटे का प्रश्न नहीं है। मैं यह समझता हूं इस पर तुरन्त और इसी वक्त बहस होनी चाहिये। इसमें दो रायें नहीं होनी चाहिये। यह सरकार बिलकुल असफल हो चुकी है। यह कंट्रोल नहीं कर पाती है। जैसा काशीनाथ जी ने कहा—यह सरकार बिलकुल इसमें नाकामयाब रही है। ३ दिन में इसको यह इन्तजाम करना चाहिये था और वह नहीं कर पाई। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आप इस पर बहस इसी वक्त और तुरन्त करायें।

श्री जेड० ए० अहमद—

मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हम रास्ता निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं और वह इच्छा मैं समझता हूं सारे हाउस की है कि इस पर काफी समय मिले। दफा ५३ में अगर २।। घंटे का समय सिर्फ है तो उसको छोड़ दिया जाय। इसका आपको खुद अख्तियार है। आप सस्पेंड कर सकते हैं। हम एक प्रस्ताव ले आयें और सबकी सहमति से वह प्रस्ताव पास हो कि आज सारा दिन बजट पर बहस सस्पेंड हो और फूड के प्राब्लम पर बहस करें। यह प्रस्ताव आ सकता है और मैं समझता हूं कि किसी को विरोध नहीं होगा। उस पर शोर मचाने की गुंजायश नहीं है। आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और ये भाई भी तैयार हैं कि बजट का डिस्कशन सस्पेंड हो और उसके लिये किसी और दिन को हम ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

पूर्व इसके कि मैं सरकार के पक्ष वालों से पूछूं कि उनकी क्या राय है, मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि आपके सुझाव के क्या यह माने हैं कि सामान्य विवाद जो हो रहा है उसमें से कुछ समय निकाल कर ज्यादा समय इस विवाद में आप देना चाहते हैं या सामान्य विवाद के लिये उतना ही समय रखा जाय जितना कि निश्चित है?

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जेड० ए० अहमद--

श्रीमन्, एक दिन का सवाल है। कहीं न कहीं उसको ऐडजस्ट किया जा सकता है। आखिर हम इतने दिन बैठने वाले हैं। इस दिन को कहीं भी आगे लिया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं जैसा डाक्टर अहमद साहब ने कहा, कि ऐसा प्रस्ताव आ सकता है लेकिन वह सर्वसम्मति से ही आ सकता है। कोई भी नियम निलम्बित हो सकता है, लेकिन उसमें सदन की सर्वसम्मति होनी चाहिये। अगर वास्तव में ऐसा करना है तो अच्छा यह होता कि आज सदन के बैठने से पहले विभिन्न पार्टियों के नेता और सरकार से इस विषय पर परामर्श हो जाता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को उचित समझेंगे कि आज एक से दो बजे तक जो लंच होगा उसमें आप लोग आपस में बात करके निश्चय कर लें इस सम्बन्ध में और फिर उसके अनुसार इस पर विवाद करें?

(नहीं, नहीं की आवाजें)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

हमारे लोग भी चाहते हैं और मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि इस विषय पर विवाद हो। इसलिये अच्छा यही होगा कि आज सामान्य विवाद रोक कर इस विषय पर विवाद हो जाय।

†माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

मैं समझता हूं कि इस बारे में हल निकल सकता है और जैसा आपने तजवीज किया था, ढाई घंटे आज इस पर बहस हो जाय और कल इतवार को भी हम लोग बैठ जायं और जितना समय चाहें, इस पर बहस के लिये ले लें।

(व्यवधान)

और अगर सदन का यही मंशा है कि आज ही इस पर बहस हो तो मुझे इस में भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

(तालियां)

श्री अधिष्ठाता--

अब दो बातें हमारे सामने हैं। एक तो यह कि हम जिस छुट्टी को मनाते आये हैं, इस विषम परिस्थिति को देखते हुए उस छुट्टी को छोड़ दें और सदन का धन बचायें और कल बैठ जायं। एक प्रस्ताव तो इस प्रकार का हो सकता है।

(व्यवधान)

दूसरा प्रस्ताव यह हो सकता है कि हम तत्काल ही इस पर वाद-विवाद करें।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा--

मुझे स्वीकार है। मुझे यह स्वीकार है कि आज फड समस्या पर हम लोग विवाद करें और कल सामान्य विवाद कर लें।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

आप उनको बैठाइये। बीस दफा आप उनको बैठने के लिये कह चुके हैं, लेकिन वह बैठते नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

यह मेरा काम है। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं सदन में किसी की धौंस में आ जाऊं। आप धौंस में आ सकते हैं, मैं नहीं। यह आपकी मर्यादा का सवाल है। आप दूसरों को बैठाइये, मुझे नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से यदि सदन में कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो काम चलेगा नहीं। माननीय काशीनाथ मिश्र जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय मिश्र जी ने वह बात कही थी उसी समय मैंने स्वयं आपत्ति की थी। तो आप उसकी पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं? आप बैठिये।

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस समय कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। हमारे उपनेता की राय थी कि हम आज भी बहस कर लेते और कल भी कर लेते, और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर आज ही पूरे दिन बहस करना चाहते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर सदन आज ही इस पर बहस करना चाहता है तो होने दीजिये।

एक बात और निवेदन करना है जिसके विषय में सदन को सोचना चाहिये। और वह यह कि २४ तारीख को बजट पर सामान्य बहस का अन्तिम दिन है और उस दिन सरकार की ओर से उसका उत्तर देना है। तो वह तिथि तो वही रहने दें (कई सदस्य कल इतवार को बैठने को हम तैयार हैं) इसमें थोड़ी-सी कठिनाई यह है कि पहले से कुछ माननीय सदस्यों का प्रोग्राम बना हुआ है। अगर पहले से मालूम होता कि इतवार के दिन बैठक होगी, तो वह प्रोग्राम न रखा जाता।

श्री अधिष्ठाता--

क्या सदन की यह इच्छा है कि २५ तारीख को सामान्य विवाद-वाद हो जाय?

(शोर होने पर)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि शोर मचाने से खाद्य समस्या का कैसे हल हो जायेगा। इसके लिये जितनी उत्सुकता आपको है, हमको भी उससे ज्यादा ही है, क्योंकि अगर किसी तरह से यह समस्या सुलझती है तो उसका श्रेय हमको मिलेगा, नहीं तो उसका अपवाद होगा। तो मैं यह कह रहा था कि २५ तारीख को बद्रीनाथ टेम्पिल बिल पास करना है जिसको कि ६ हफ्ते के अन्दर पास होना जरूरी है। अब अगर उसका भी कोई ऐडजस्टमेंट हो जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कैसे होगा कि आप इसको भी आज कर लें, बहस भी सब दिन चले और वह कार्य भी हो जाय। इस पर आप विचार कर लें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो कठिनाई बताई वह हमारे दिमाग में भी थी और उसको हम ऐडजस्ट कर लेंगे। २५ तारीख को जो बद्रीनाथ टेम्पिल बिल पास करना है, उसके लिये बजाय इसके कि सारे दिन हम उस पर बहस करें, हम दो घंटे देर से उसके लिये बैठ जायेंगे साढ़े ५ से साढ़े ७ तक। दो घंटे में इसको समाप्त कर देंगे और २५ तारीख को साढ़े ५ बजे तक सामान्य विवाद हो जायेगा।

अनेक सदस्य—

ठीक है, ठीक है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि सारा सदन इस प्रस्ताव से सहमत है कि आज खाद्य समस्या पर वाद-विवाद हो तथा बजट पर सामान्य वाद-विवाद परसों हो और २५ तारीख को साढ़े ५ बजे तक हो तथा २५ तारीख के लिये जो कार्य निर्धारित था वह २५ तारीख को साढ़े ५बजे से साढ़े ७ बजे तक हो यानी इन दो घंटे में उस दिन दिन भर का वैधानिक कार्य हो जाय।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो यह निश्चय हो गया। अब आज खाद्य समस्या पर वाद-विवाद आरम्भ होगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

कल मैं बोल रहा था, ३–४ मिनट बोला था....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय सुरक्षित रहेगा, २४ को आप बोलेंगे।

श्री जेड० ए० अहमद—

यहां से कुछ मेम्बरान, जो अनशन किये थे, जाना चाहते हैं कि हम जाकर उनका अनशन तुड़वा दें। हमारे नेकराम जी हैं, झारखंडे राय जी हैं। हम यहां से चले जावें तो यह खयाल न हो कि हम इस बहस के महत्व को नहीं समझते।

श्री अधिष्ठाता—

आपका विचार अच्छा है। आप जा सकते हैं।

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर चर्चा

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात पर हम सब एकमत हैं कि यह विषय आज का बड़ा गम्भीर है। हम इस बात में भी सहमत हैं कि हमारी सरकार को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, उसकी जो असमर्थता हमारे सामने आती है, वह इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है और सारे देश में एक प्रकार की अव्यवस्था-सी व्याप्त है और फूड रायट्स हमारे सामने आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम विरोधी दलों के लोग इसका लाभ न उठावें, वह लाभ जिसे अनैतिक लाभ कहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें। हमारी सरकार का कर्तव्य है कि हम विरोधी दलों के लोग जो सुझाव दें उन पर हमारी सरकार वजन दे। आज का जो स्टेटमेंट हमारे नेगी साहब का हुआ उससे हम सबको दुख हुआ, इसलिये कि जहां हम यह समझते थे कि सरकार कठिन परिस्थिति में ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करेगी, वहां सरकार स्वयं प्रोत्साहन दे रही है ऐसा लगता है, अपनी असमर्थता प्रकट कर रही है, जिससे जन-जीवन भी संकट और खतरे में पड़ रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्य समस्या के दो पहलू हैं। हमारे दृष्टिकोण से पहली बात तो यह है कि इस समय का संकट क्यों है और उसका समाधान क्या है। दूसरी बात यह है कि लांग रेंज पालिसी क्या होनी चाहिये जिससे यह संकट फिर हमारे सामने न आवे। हम ऐसा समझते हैं कि यह संकट बहुत दिनों तक चलने वाला है। देश में खाद्यान्न की कमी है। सरकार मूल्यों का कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारे कुछ सुझाव हैं। पहली बात तो यह है कि क्या कारण है कि ऐसा विरोधाभास है। सरकार पहले तो यह कहती थी कि हमारी उपज बहुत बढ़ रही है। १९६२–६३ में इन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक लगभग ४० लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ और चालू वर्ष में इनका अनुमान ३० लाख टन का है। उस पर शीत-लहरी का प्रकोप। इससे पता चलता है कि यह समस्या जल्दी नहीं सुलझ सकती है। इस समय गरीब अपनी आय का ७५ फीसदी भोजन पर खर्च करता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। उधर सरकार कहती है कि उसके पास इतना अन्न मौजूद है कि वह कमी नहीं होने देगी और बाजार में लाकर उसे ढकेल देगी। तो क्या कारण है कि भाव नहीं गिरते हैं? इससे पता चलता है कि हमारी सरकार भूलों को नहीं खोज पाती है और उन पर काबू पाने में असमर्थ है। आज होर्डर्स पर, जिनके पास बहुत-सा गल्ला मौजूद है, हमारी सरकार नियन्त्रण नहीं कर पाई है। डी० आई० आर० हर चीज पर लागू हुआ, क्या कारण है कि इस चीज पर लागू नहीं हुआ? इससे सारा जन-जीवन संकट में पड़ गया है।

होर्डर्स कई एक हैं। एक तो जखीरेबाज हैं। बड़े-बड़े लोगों के पास, जिनके पास कहने को तो सीलिंग के अनुसार ४० एकड़ जमीन है, लेकिन उनके पास सैकड़ों एकड़ खेत मौजूद हैं और वे अनाज अपने पास रखते हैं कि जब भाव बढ़े तो निकालें। हमारी सरकार ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। महाजनों से अनाज उचित कीमत पर लेने के लिये सकार ने कुछ नहीं किया। अगर सरकार चाहती है कि कीमतें घटें तो उसे प्राइस रेग्यूलेट करनी चाहिये। हर चीज की कीमत हमारी सरकार निर्धारित कर दे। मैं अपने जिले के अनुभव के आधार पर कहता हूं। इधर-उधर की केवल पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूं। महाजन के पास अनाज मौजूद है तो वह अपनी बहियों में लिखता है, तो सरकार उस का कुछ मुनाफा निर्धारित कर दे, २ परसेंट या २५ परसेंट, जितना सरकार उचित समझे, उतना वह ले। इस प्रकार रेग्यूलेशन आफ प्राइस होना चाहिये।

एक जगह मैंने पढ़ा कि आज चीजों की कीमत क्यों बढ़ रही है। अभाव की बात तो छोड़ दें। एक जगह से दूसरी जगह गल्ला जाता है, उस पर हमारी सरकार ने रोक लगाई है। हमारा विचार यह है कि अगर यह रोक हटा दी जाय तो इस समस्या का हल हो सकता है।

पांचवीं बात है कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो चीजें बाहर से आती हैं उन पर भी कीमत बढ़ती है। अगर एक मन गल्ला हम ३७५ मील ले जाते हैं तो पहले सन् ४९ रेलवे फ्रेट ६९ पैसे था। अब १ रुपया १४ पैसे है। इस पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिये कोई एक चीज नहीं है; बल्कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपरेट करते हैं। यद्यपि रेलवे का किराया केन्द्रीय सरकार का विषय है, फिर भी दोनों सरकारें एक ही हैं और खाद्यान्न पर रेलवे फ्रेट की छूट होनी चाहिये।

सबसे बड़ी गलती वितरण की है। हमारे यहां बहुत सी दूकानें ऐसी हैं जो नाममात्र के लिये कागज पर ही हैं। मुझे खुद नाम मालूम है, मैं किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहता हूं लेकिन कागज पर दूकानें हैं और स्थान पर नहीं हैं। वितरण का जब समय आता है तो वे कह देते हैं कि हमारे पास गेहूं नहीं है और दूसरी चीजें नहीं हैं। सारा गेहूं चला जाता है ब्लैक मार्केट में। हमारी सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सिफारिश करने के लिये इस सरकार के लोग पहुंच जाते हैं कि अगर कोई ऐसे दूकानदारों के विरुद्ध कदम भी उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता। बड़े दुख की बात है। दूकानें भी ऐसे ही आदमियों को मिली हुई हैं

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

जो या तो इनकी संस्था से या सरकार से या उस महकमे से सम्बन्ध रखते हैं, चाहे पहले की आनेस्टी और एफीशिएन्सी कुछ भी क्यों न रही हो। तो हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे।

नेगी साहब ने कहा कि इतने लाख टन गल्ला पाते हैं हम केन्द्रीय सरकार से। लेकिन यह सुनने में आता है कि यह गल्ला दूकानों पर पहुंचता ही नहीं है। दूकान वाले कहते हैं कि हमारे यहां गल्ला नहीं है इसलिये जो आपकी ट्रांसपोर्ट की विधि है उसमें भी आपको तब्दीली करने की आवश्यकता है। इसमें भी हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिलकर इस बात का प्रबन्ध करना चाहिये जिससे गल्ला जल्दी आ सके और कोई समय ऐसा न हो जब गल्ला कहीं कम पड़ जाय। देहाती क्षेत्रों में इसका बहुत खराब असर पड़ रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है कि इतने दिनों के बाद भी यह सरकार देहात के लोगों की आर्थिक स्थित को सुधारने में असमर्थ रही है, आज भी हमारा किसान भगवान के भरोसे ही रहता है। सरकार योजनायें बनाती है, लेकिन न जाने वह धन कहां चला जाता है। कभी शीत लहरी आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और कभी बाढ़ आ जाती है और सरकार उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती। देहातों में आज ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि लोगों के पास वहां खाने को नहीं है, सरकार कहती है कि उसने सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी हैं। हर पंचायती अदालत के क्षेत्र में कम से एक दूकान सरकार को खोल देनी चाहिये।

अब एक दूसरी बात और है कि खाली सस्ते गल्ले की दूकानें खोल देने से ही समस्या हल नहीं हो जायगी, हमें देखना यह है कि उन लोगों के पास पैसा कहां से आयेगा। सरकार कहेगी कि हमने मेन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम और टेस्ट वर्क्स के जरिये उसको करेंगे। पिछले वर्ष जब हमारे यहां भुखमरी पड़ी थी तो हमारे यहां के लोग टेस्ट वर्क्स पर न जाकर नैपाल राज्य में भाग गये थे। जब हमने कलेक्टर से कहा तो उन्हों ने कहा कि आप गलत कहते हैं, यहाँ भुखमरी कहां है? हमारे टेस्ट वर्क पर तो लोग आते ही नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो लोग आपके टेस्ट वर्क्स पर काम करने के लिये जाते हैं उनको आप ६ आना मजदूरी देते हैं जब कि दूसरी जगह पर उनको कम से कम एक रुपया मिलता है। इसलिये इतनी कम मजदूरी जो उसका मूल कारण है उस पर तो सरकार जाती नहीं है। किसी का बूढ़ा बाप है, मां है या बच्चे हैं तो बताइये वह किस प्रकार से उनका पेट पाल कर सकता है जबकि ६ आने में उसका ही पेट नहीं भरता है? इस लिये आपके वितरण के माध्यम के ठीक होने के साथ-साथ आप लोगों की जो मजदूरी है वह भी पर्याप्त होनी चाहिये जिससे लोग दूसरी जगह न जा कर आपके कामों पर आयें।

जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट विभाग में लिखा रहता है कि यहां पर, शिकायत की पुस्तिका रखी हुई है, लेकिन अगर वह मांगी जाती है तो दी नहीं जाती। उसी प्रकार से दुकानों पर गल्ला होते हुये भी यह कह दिया जाता है कि गल्ला नहीं है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि हर दुकान एक रजिस्टर मेनटेन करे जिसमें यह लिखा हो कि प्रत्येक दिन प्रातः काल किस दुकान में कितना गल्ला शेष है। और रेडियो और सूचना विभाग द्वारा सरकार इस बात का एलान करा दे कि अगर किसी के पास किसी दिन प्रातः काल २२ मन गल्ला है तो उसको २२ मन दिखाना चाहिये। अगर कोई नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ डी० आई० आर० के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी और तुरन्त ही उसकी दुकान कैंसिल कर दी जायगी। अगर यह नहीं किया गया तो कितनी भी दुकानें आप क्यों न खोलें, लेकिन उससे लोगों को राहत न मिलेगी। अतः सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दे।

इस सारी समस्या का मूल कारण क्या है, हमें यह देखना चाहिये। इस सब का कारण यह है कि हमारी सरकार बाहर से गल्ला मंगाने के लिये मजबूर है, बाहर के गल्ले पर वह आश्रित रहती है। जब अमेरिका में केवल ७ प्रतिशत लोग ही खेती करते हैं और उनमें भी कई करोड़ मन गल्ला दूसरे देशों को भेज देते हैं।

तो आज क्या कारण है कि हमारे यहां के ८५–८७ प्रतिशत ऐग्रीकल्चरिस्ट्स जो खेती पर निर्भर हैं, अपना पेट पालने के लिये पर्याप्त गल्ला नहीं पैदा कर सकते। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की नीति में कुछ प्रामूल परिवर्तन होना चाहिये। हमारी सरकार का ध्यान पहले एक्सटेंसिव खेती की ओर गया जब कि हमारा सुझाव यह था कि सरकार को इंटेंसिव खेती की ओर ध्यान देना चाहिये जिससे नीचे तक के किसान अधिक से अधिक गल्ला पैदा कर सकें, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर उस समय ध्यान नहीं दिया। हमारा आज तक का तजुर्बा है कि बाहर के जो लोग आते हैं वे भी यही कहते हैं कि आखिर गल्ले का उत्पादन यहां कैसे बढ़ सकता है जब तक कि कोई आदमी सिक्योरिटी आफ टिनेंसी अपनी न समझे। जब किसान समझेगा कि यह हमारा खेत है और सदैव पास रहेगा तो वह अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि उनको अच्छे बीज दिये जांय, अच्छे किस्म के फर्टिलाइजर दिये जांय, बैल खरीदने के लिये पैसे दिये जांय और उनको तकावी दी जाय। इसके साथ ही साथ उनको इरीगेशन फैसिलिटीज भी दी जांय, ताकि वे ज्यादा गल्ला पैदा कर सकें। लेकिन आज सरकार की नीत कुछ ऐसी हो गई है कि १५ वर्ष के बाद भी और ८५ प्रतिशत लोगों के खेती करने के बाद भी हमारे यहां गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ सकी है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पहले तो सरकार इन चीजों को करे और साथ ही साथ तकावी लेने वालों की लिस्ट देख कर मालूम करे कि तकावी जरूरतमन्द किसान जो अपने हाथ से खेती करते हैं उनको कितनी दी गयी और हमारी सरकार से या उसके दल से संबंध रखने वाले बड़े आदमियों को कितनी दी गयी है। पानी के लिये किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। समय पर उनको सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता, यदि मिलता भी है तो अधिक मूल्य देने पर मिलता है और बहुत से किसान ऐसे हैं जो पानी की इतनी अधिक कीमत अदा नहीं कर सकते हैं।

जहां तक सिंचाई की स्थिति है, इस संबंध में सरकार की यह नीति रही है कि आज उसने सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनायें तो बनायी हैं, लेकिन आज हमारा देश उसके लिये समर्थ नहीं है। साथ ही उसके वितरण में भी बड़ी गड़बड़ी है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह माइनर इरीगेशन की स्कीम हमारे सामने लावे जिससे गल्ले का उत्पादन बढ़ सके। आज हमारी सरकार करोड़ों रुपये इस तरह की बड़ी योजनाओं के लिये व्यय कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और बड़े-बड़े लोगों की भी रिपोर्ट है कि हमारी सरकार को चाहिये कि वह माइनर इरीगेशन स्कीम को ले आवे जिससे गल्ले का उत्पादन बढ़ सके। कभी तो पतरौल ही पानी नहीं देता है और कभी नहर को ही पानी नहीं मिलता है, इसलिये पानी के वितरण का भी उचित प्रबंध होना चाहिये जिससे किसानों को परेशानी न हो।

दूसरी बात यह है कि सरकार बड़े-बड़े मिल मालिकों को जो कर्जे देती है उनसे तो वह ३ परसेंट सूद ही लेती है, लेकिन किसानों को जो तकावी दी जाती है उनसे ६ से ८ परसेंट तक सूद वह लेती है। सरकार को चाहिये कि वह इस बात की तरफ ध्यान दे जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद मिले और सिंचाई के लिये ज्यादा से ज्यादा पानी भी मिले। अक्सर यही होता है कि किसान का गल्ला जब खलिहान में पड़ा रहता है तब उसको उसे सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है, क्योंकि महाजन को भी उसे उसी समय अदा करना होता है जिसके लिये वह मौजूद रहता है। साथ ही सरकार को चाहिये कि वह किसानों को कम से कम कीमत पर खाद दे, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा कर सकें। आज सरकार की यह नीति है कि जो लोग अपने हाथ से खेती नहीं करते ऐसे बड़े-बड़े आदमियों को जो उनसे या उनके दल से संबंधित हैं सस्ते दाम पर खाद देती है जब कि अपने हाथ से खेती करने वाले किसानों को वह नहीं मिल पाती। वास्तव में सरकार की दुधारी तलवार में आज किसान फंसा हुआ है कि अपना गल्ला तो उसे सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है और बाद में अपने लिये उसे महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। सरकार को चाहिये कि वह इन बातों पर विचार करे और खाद व सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करे, तभी किसान ज्यादा गल्ला पैदा कर सकेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कुछ समय मुकर्रर किया है विवाद के लिये कि कौन कितना बोलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---

जो माननीय वक्ता इस समय बोल रहे हैं वह जब बोल लेंगे तब समय निर्धारण की बात होगी। वह इस समय लीडर आफ दी अपोजीशन के स्थान पर बोल रहे हैं। मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य (श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी जी) ५, ७ मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

हाँ, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि किसान को जितना प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिये वह नहीं मिलता है। मैंने आरंभ में ही कहा कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। मैं लांग रेंज पहलू पर विचार कर रहा हूं। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान रखे कि रुपये के अभाव के कारण आज किसान जितना धन लगा कर खेती करना चाहता है, नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जो सरकार पहले से सोची रहती है कि इतना गल्ला पैदा होगा वह नहीं हो पाता है। इस अभाव का विशेष कारण है। मैंने निवेदन किया कि गल्ले की जो इस वक्त की महंगाई है उसके लिये जो सुझाव मैंने दिये, उनको मैं दोहराता नहीं, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह भी विचार करना चाहिये कि जो संकट आज पेश है वह आगे न हो और गल्ले की उपज काफी हो, ताकि लोगों को आवश्यकतानुसार गल्ला मिल सके।

श्री अधिष्ठाता---

अब मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय माननीय सदस्यों को और विभिन्न पार्टीज के नेताओं को मिलना चाहिये ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

नेताओं को कम और सदस्यों को ज्यादा मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

साधारणतः १० मिनट माननीय सदस्यों के लिये और १५ मिनट नेताओं के लिये। अगर कोई विशेष बात होगी तो समय बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य ऐसा कुछ प्वाइंट कहेंगे जिसको चेयर समझे कि उचित है तो समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र---

बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे कुछ समय दिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य आपको किस बात के लिये धन्यवाद दे रहे हैं ?

श्री जे० पी० मिश्र---

समय के लिये जो आप मांग रहे हैं। माननीय नेताओं ने विरोधी पार्टीज के सब लोगों को सदन में अपने साथ लिया इस मकसद के लिये कि अन्न की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। मैंने माननीय अहमद साहब की बात से समझा कि उनका और तमाम सदस्यों का मतलब है कि इस समस्या पर कैसे काबू पाया जाय। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का मकसद हो कि इस सरकार

को कंडेम किया जाय, सरकार को बदनाम किया जाय, फूड रायट्स कराये जायं और उससे नाजायज फायदा उठाया जाय। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा षडयंत्र रखना चाहता हूं, और प्रदेश का ही षडयंत्र नहीं, सारे देश में व्यापक है। जब से भुवनेश्वर कांग्रेस में सोशलिज्म के ऊपर प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, आज इस देश का पूंजीपति परेशान हो गया और विरोधी पार्टियां परेशान हैं जिनके नेता कहते थे किसी किस्म का मर्जर नहीं होगा, कोरा ब्लैंक चेक माननीय राम मनोहर लोहिया साहब दिये बैठे हैं। यह षडयंत्र है, इस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिये। खाद्य का मामला है। हम कांग्रेसी भी देहाती क्षेत्र से चुनकर आये हैं। बहुमत में बैठे हैं और राज्य चला रहे हैं। आप हवा में उड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में ईमानदार है या नहीं, इस पर आपको विचार करना होगा। मैं समझता हूं कि सिंसियर है और इसे मैं नहीं मान सकता कि उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब जनता को रोटी दिलाने में सिंसियर नहीं है। ऐसा कोई कहता है तो वह गलत है। कैपिटलिस्ट्स ने आज भुवनेश्वर के प्रस्ताव के बाद बगावत खड़ी कर दी है। कामराज जी ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने बतला दिया कि बगैर खून खराबी के भी समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। हम जानते हैं कि जितने कलकत्ता या बंबई तथा कानपुर के कैपिटलिस्ट्स हैं लाखों बोरे अनाज के भरे बैठे हैं। नेगी साहब ने इस संबंध में जितना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है इस उत्तर प्रदेश की असेम्बली में उतना यूनियन गवर्नमेंट के किसी मंत्री ने नहीं दिया। क्या ऐक्शन आप चाहते हैं? गिरफ्तारियां जारी हैं। मुनाफाखोर पकड़े जा रहे हैं और गोदामों पर कब्जा किया जा रहा है। आज कुछ अपोजीशन ट्रैप में फंस गया हैं। उत्तर प्रदेश की दो पार्टीज की सांठ-गांठ कैपिटलिस्ट्स से है, इस षडयंत्र का भी भंडाफोड़ हो कर रहेगा।

पाला पड़ गया, यह बात ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ५० हजार कुएं, जिसमें ३८ हजार बोरिंग के हैं, बनने जा रहे हैं। ५ हजार ट्यूबवेल्स बनने जा रहे हैं। यह सब तो अन्न को बढ़ाने के लिये ही हैं। आप यह भी देखें की दुनिया की आबादी की १४ परसेंट आबादी हिन्दुस्तान में रहती है और दुनिया की जमीन की केवल २ परसेंट जमीन कृषि के अन्तर्गत है। तो स्वाभाविक है कि अन्न की कमी इस देश में होनी चाहिये। चूंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिये इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। ६३–६४ में इसी सरकार ने १८ करोड़ रुपये कृषि पर खर्च किये और ६३–६४ में ही करोड़ों रुपया सर्विस कोआपरेटिव्स के जरिये किसान को दिया गया। लेकिन बदकिस्मती है कि प्राकृतिक संकटों का भी सामना करना होता है। सैलाब से पिछली बार पौन करोड़ एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी। कैपिटलिज्म के उरूज के लिये पाला आ गया। करोड़ों रुपया एग्रीकल्चर में खर्च हुआ, करोड़ों रुपया सिंचाई पर खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया सर्विस कोआपरेटिव्स के जरिये से कर्जा बांटा गया, करोड़ों रुपया खाद पर खर्च हुआ, लेकिन श्रीमन्, परिणाम क्या हुआ? खरीफ मार ले गया सैलाब और रबी मार ले गया पाला। तो करीब-करीब ६३–६४ में ६० करोड़ रुपये हमारे जाया हो गये, प्राकृतिक संकटों की शिकार हो गयी हमारी सारी रकम। उसके बाद ६४–६५ में सरकार की नीयत देखिये। ऐग्रीकल्चर का कितना बजट है, कोआपरेशन का कितना बजट है, इर्रीगेशन पर कितना है। पूरा बजट तीन मदों पर रखा गया है और कृषि को टापमोस्ट प्रायरिटी दी गयी है। हम किसान के दुश्मन हैं और उस कोने में बैठ कर वे बड़े हमदर्द हो गये। आदमी कितने हैं ११ और हमदर्दी का चोंगा पहने घूमते हैं। यह ट्रैप है, षडयन्त्र है कैपिटलिस्टों का और ये लोग उस षडयन्त्र में उनको मदद दे रहे हैं। यह पोजीशन है। यह कहते है भुखमरी है लेकिन पोलिटिकल गैंबिलिंग है। मैं सरकार को काशन करना चाहता हूं कि वह सावधान रहे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आ रहे हैं। यह लोग जगह-जगह पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, डिमांस्ट्रेशंस कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। मैं सरकार को सिगनल देना चाहता हूं, सावधान! इस ट्रैप में आप न फंस जाइये।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

नहीं फंसेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र--

और यह कह रहा हूं कि काश्तकारों को कोई रिलीफ तो आप देंगे ही।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

फौरन।

श्री जे० पी० मिश्र--

तो कांग्रेस का रथ बड़े ताकतवर बैलों के कंधों पर चलता चला जा रहा है और नीचे बच्चियां निकल रही हैं जो यह समझ रही हैं कि देश का रथ वे चलायेंगी। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, ५ मिनट मुझे और मिलने चाहिये। लालबत्ती से मुझे डर लगने लगता है।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा, ५ मिनट में आप खत्म कर दीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र--

मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस का रथ बड़े मजबूत बैलों के कंधों पर खींचा जा रहा है और जो यह बच्चियां बैठी हुई हैं वह कहती हैं कि हम देश को आगे खींचे ले जा रहे हैं। ये कहती हैं हम तीसमारखां हिन्द हैं, तीसमार खां उत्तर प्रदेश हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप साफ-साफ एलान करें कि आप काश्तकारों का लगान कितना माफ करेंगे स्पेसिफिकली अभी, और इसी वक्त माननीय रेवेन्यू मन्त्री आप एलान करें और प्लानिंग मिनिस्टर आप इस बात को स्वीकार करें कि ५० हजार कुएं जो आप कर्जा देकर बनवाना चाहते हैं उनको आप अपने महकमे से बनवा कर देंगे।

अनेक सदस्य--

ठीक है।

श्री जे० पी० मिश्र--

आप यह साढ़े सात सौ और डेढ़ हजार कर्जा न बांटे, माताटीला डैम को आप सस्पेंड कर दें, फिलहाल। इस १९६४-६५ के बजट में जितने बड़े प्राजेक्ट्स हैं जिन को ख्रुश्चेव आकर देखते हैं, जिनको आकर जान्सन और होम देखते हैं उनको सस्पेंड कीजिये और गांव से प्लानिंग शुरू कीजिये। गांव का कुआं, गांव का फर्टिलाइजर और गांव की खेती और श्रीमन्, अगर आप इतना कर सकते हो तो उत्तर प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार की जड़ घर कर सकती है। इसकी जड़ उखाड़ सकते हैं तो हमीं उखाड़ सकते हैं। अगर दूसरा चाहे तो नहीं उखाड़ सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सारा लगान सस्पेंड कर दीजिये, सारा लगान आप मुआफ कर दीजिये उत्तर प्रदेश में २२ करोड़ माफ कीजिये और उसकी जगह १० या १२ करोड़ दीन काश्तकार से ले लीजिये, फिर आप देखिये कि उत्तर प्रदेश में कितनी जल्दी जनजागरण होता है, कितनी जल्दी कृषि की उन्नति होती है और कितनी जल्दी आप फूड की समस्या पर काबू पा सकते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं और बहुत पुराना हूं, आपका साथी हूं और मैं आपको मशविरा देता हूं इस वक्त कि ये पीछे रह जायेंगे, आज आगे जा सकते हैं। आप आज एलान कीजिये पीछे रह जायेंगे। आप पूरे प्रदेश के काश्तकारों को आगे उठाइये। भुवनेश्वर के प्रस्ताव की इज्जत कीजिये, यही समय है, स्ट्राइक कीजिये, समाजवादी पंजे को मजबूती से इनकी गरदन पर रख दीजिये, ताकि जिनका गठबंधन कैपिटलिस्टों से है, जिनका गठबंधन है मैं उन्हें जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, उनका गठबंधन कैपिटलिस्टों से छुटाकर, सिद्धान्तों की निहाई पर कानून के हथौड़े से समाजवाद को ले आइये और तब देश और प्रदेश का कल्याण होगा, यही आदेश है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेंट कामराज का। (लाल बत्ती देखकर) मुझे डर लगने लगता है इसे देख कर। आखिर में मुझे

एक बात कहनी है । मुझे आपसे यह कहना है कि यह बहस का प्रश्न नहीं है, लोगों की भावनायें हैं और ४३१ मायनस सरकार, बस इसका कहना मान लीजिये । कांग्रेस पार्टी के हम बैक बेंचर्स विरोधी पार्टी के फ्रन्ट बेंचर्स से आगे हैं काम में, रचना में । हां, मैं यह स्वीकार करता हूं कि विध्वंस में वे हमसे आगे हैं । डाक्टर अहमद ऐसे सोबर लीडर्स, चन्द्रजीत जी, झारखंडेराय जी, भगवान सहाय जी, मेकराम शर्मा जी ऐसे लोगों से जिनके कुछ सिद्धान्त हैं मैं अपील करता हूं कि गवर्नमेंट को छोड़िये, मैं आपको इन्वाइट करता हूं 'बी' ब्लाक के कामन रूम में साढ़े ५ बजे शाम को । हम कांग्रेस पार्टी के लोग और आप सब बैठ कर सोचें कि यह ग्रेव क्राइसिस कैसे दूर हो । यहां जो भाषा कहें संयत कहें । ये प्रेस रिपोर्टर्स जो बैठे हैं ये उत्तर प्रदेश में कहीं बलवा न करा दें, क्योंकि जो अनर्गल, असत्य और झूठ यहां कहेंगे वह अखबारों में निकलेगा और गांवों में लोग उसे पढ़ेंगे जिससे बलवा न होने वाला होगा तो हो जायगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आज जिस मसले पर इस सदन में विचार हो रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिये इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती । इसलिये कि यह वह दोआबे का इलाका है कि इतिहास अगर उठा कर देखिये तो इसने तमाम हिन्दुस्तान को अन्न दिया है और कभी बाहर के आदमियों को भी खाना दिया है और इसी प्रदेश में यह स्थिति पैदा हो जाय कि सब काम रोक कर हम इसके ऊपर विचार करने के लिये मजबूर हो जायं । इससे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात हमारे और आपके लिये दूसरी कोई हो नहीं सकती, लेकिन हकीकत है कि हालात इस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे मिश्रा जी किसी के ऊपर उसका दोष दें । मिश्राजी ने बड़े साफ तरीके से कह दिया कि अपोजीशन पार्टी वालों की यह साजिश है कांग्रेस सरकार को हटाने के लिये । मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर यह साजिश होगी तो वह आपही लोगों में से कुछ आदमियों की होगी, अपोजीशन की नहीं होगी क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार उस तरफ से हटकर इस तरफ भी आ जाय तो भी अपोजीशन वालों को सरकार बनाने का मौका कम से कम १९६७ तक तो आप नहीं देने वाले हैं । यह इल्जाम लगाना अपोजीशन पर कि उनकी साजिश है, यह किस तरह से इस विषय के मातहत आता है जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं । ठंडे दिल से सोचिये कि किस वजह से हम और आप मजबूर हुये । अगर कोई यह कहे कि हमारे पास गल्ला थोड़ा है तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं । वजह सारी मेरी समझ में यह आती है कि आप अपनी प्लानिंग के दरमियान कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ़ पाये जिससे कि उत्तर प्रदेश की पैदावार को उतना बढ़ा पाते जितनी कि खाने वालों की तादाद बढ़ती जाती है और जैसा कि सरदार स्वर्णसिंह ने खुद तसलीम किया कि खाने वालों की तादाद बढ़ी लेकिन उसके मुकाबले में हम पैदावार उतनी नहीं बढ़ा पाये । यह हम सब को तसलीम होगा कि प्रोडक्शन के मामले में हम नाकामयाब रहे । हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी कमजोरी हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया जितनी संख्या में खाने वालों की संख्या बढ़ी । दूसरे यह कि जो भी प्रोडक्शन हमारे पास है चाहे वह बाहर से आता हो या पैदा करते हों उसके बांटने के ढंग में कुछ खामी है और ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं । जिस तरीके से गल्ला किसान उगाता है, चाहे उसको किसान खाता हो या शहर का रहने वाला खाता हो या मजदूर खाते हों, लेकिन उनके पास तक पहुंचने के तरीके में कुछ खराबी है । इसलिये आज हमें इन दोनों बातों पर विचार करना होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़े और आज की मौजूदा स्थिति में तमाम देश में रहने वाले रिक्शे वाले, किसान मजदूर, सरकारी मुलाजिम, छोटे या बड़े सभी परेशान हैं, जिसके लिये हमें कोई फौरी तरकीब सोचनी चाहिये जिससे हम फौरी रिलीफ दे सकें । इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने का मुस्तकिल तरीका सोचना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

इन तीनों प्लानों में जो तरक्की की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आज आप किसानों से पूछें कि पैदावार बढ़ाने के लिये साधन क्या हो सकते हैं तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि आप हमें पानी दे दीजिये, हमारी पैदावार बढ़ जायगी। बाकी दूसरी चीजें सैकंडरी हैं। बुनियादी चीज पानी है। हमने पहले प्लान में ३५.४४ करोड़ रुपया इरीगेशन पर खर्च किया और उसके बाद कल्टीवेबिल एरिया का केवल १७ परसेंट एरिया सिंचित हो सका। दूसरे प्लान में ३८ करोड़ रुपया खर्च किया और केवल २० परसेंट एरिया सिंचित हो सका और तीसरे प्लान में ७१ करोड़ रुपया खर्च किया और केवल २५ परसेंट एरिया सिंचित कर सके। इसके माने हुये कि ७५ परसेंट एरिया जिसमें हम काश्त करते हैं, वह आज भी पानी का मोहताज है। अगर आप पानी का इंतजाम कर दें तो कोई वजह नहीं है कि पैदावार दुगुनी या तिगुनी न हो जाय और यह स्थिति खत्म न हो, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिये कि क्या आप ईमानदारी से चाहते हैं कि किसान की पैदावार बढ़े? मुझे इसमें थोड़ा सा शक है। किसान की सारी दौलत उसका गल्ला है। जिस किसान के यहां १०० मन गल्ला पैदा होता है अगर उसके यहां २०० मन पैदा होने लगेगा तो उसका बच्चा पढ़ लिख जायगा और वह समय आ सकता है जब इस कुर्सी पर बैठ सकता हो। इसलिये आप नहीं चाहते हैं कि उसके अन्दर जाग्रति पैदा हो। आप उसको केवल दिखाने के लिये मीठे-मीठे लड्डू दिखाते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मुझे फख्र है कि मेरे बड़े भाई ने १९४६ में बी० ए० पास किया और आज भी वे हाथ से हल जोत रहे हैं। मैंने इंटर किया और आज भी अपने हाथ से हल जोतता हूं। मेरे पिता जी ८५ साल के हैं और आज भी वे हल जोतते हैं। किसी ट्रैक्टर वगैरह से हल नहीं जोतते हैं, किसी मिकैनिकल तरीके से नहीं जोतते हैं, बल्कि हल से पैदावार करते हैं। जानते हैं कि पैदावार कैसे बढ़ती है। क्या आप समझते हैं कि पैदावार रुद्रपुर यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट बढ़ाएंगे? ऐग्रीकल्चर वह पेशा है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस का मोहताज है, थियरी का मोहताज नहीं है। अगर कोई यह समझता है कि थियरी के जरिये पैदावार दुगुनी तिगुनी कर लेंगे, तो वह नासमझ है, बेवकूफ है। १९५४ में भारत सेवक समाज का कैम्प हुआ था मुरादाबाद में। माननीय गोविन्द सहाय जी उसमें गये हुये थे। वहां ऐग्रीकल्चरल आफिसर मिस्टर चौधरी थे। उन्होंने खेती की बीमारियों के ऊपर एक बयान दिया। फिर कहा कि आप को कोई सवाल करना हो तो करिये। मैंने एक सवाल किया कि एक बीमारी मेरी समझ में नहीं आती जो मेरे खेतों में होती है। उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजे, निकाले कि वह बीमारी कैसे दूर हो। गेहूं की एक बाल निकाल लीजिये। उस बाल के अन्दर २०–२५ दाने गेहूं के निकलेंगे और १५–१६ दाने काले निकलेंगे जिसको हमारी तरफ जेंची कहते हैं। मैंने कहा बताइये, कैसे दूर हो। मैंने चौधरी साहब की मेज पर बालें रख कर दिखायीं। चौधरी साहब, किसी ने इसको आज तक पढ़ा ही नहीं। मेरे जिले के ऐग्रीकल्चरल आफिसर मिस्टर श्रीवास्तव भी वहां थे। यह प्रैक्टिकल एक्सपीरिएंस है।

अब मैं आगे चलता हूं। लोग समझते हैं कि स्टाक नहीं है। नेगी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि सेंटर से कुछ गेहूं ले आइये। इससे समाधान नहीं होगा। हमारे होर्डर्स कंट्रोल के आदी हैं, उन्होंने कंट्रोल के जमाने में बड़े-बड़े फायदे उठाये हैं। वह हर टैक्टिक्स से वाकिफ हैं। आप एक कानून लगायेंगे वह उसका रद्दे अमल फौरन सोच लेते हैं। आप उन पर काबू नहीं पा सकते। आज भी क्या होता है, जो आपके फेयर प्राइस शाप वाले हैं उनको २ सेर ६–७ छटाक का गेहूं देते हैं, १ सेर १४ छटाक का बिकता है। देहात में १ सेर ६ छटांक का बिकता है। वही हालत चीनी की है। बुनियादी बात हमें सोचनी पड़ेगी। एक तो यह कि आप होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को नहीं रोक पाये। दूसरी बात यह है कि चाहे चीनी हो या गल्ला हो, जो जरूरतमन्द है उस तक नहीं पहुंच पाया। इन दो मसलों पर आप को सोचना पड़ेगा। अगर इस सिलसिले में बैठ कर कोई बात हो तो हम प्रोग्राम बताएं कि किस तरह से आप चीनी या गल्ले को जरूरतमन्द तक पहुंचा सकते हैं। वहां उसूल आ जाते हैं।

मिसाल के तौर पर यह कायदा है कि डेफिसिट एरिया का गल्ला डेफिसिट एरिया में जा सकता है। सुल्तानपुर का गल्ला गोरखपुर में जा सकता है। लेकिन सरप्लस एरिया का गेहूं डेफिसिट एरिया में नहीं जा सकता। आपके सुलतानपुर का गल्ला गोरखपुर जा सकता है लेकिन गोरखपुर का सरप्लस गल्ला कानपुर या सुलतानपुर नहीं जा सकता है। इस बात को सोचना होगा कि जो सरप्लस एरिया है उसका गल्ला हम डेफिसिट एरिया में क्यों नहीं भेज सकते।

डी० आई० आर० के सम्बन्ध में भी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। आप देखें कि जब आपको डी० आइ० आर० का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ करने की जरूरत पड़ती है तो आप सब कुछ बन्द कर देते हैं लेकिन जब उसका इस्तेमाल किसी बड़े आदमी के लिये करने की जरूरत पड़ती है तो वह आपका कानून धरा रह जाता है। अभी धामपुर में ६-२-६४ को एक क्रशर को आपके इन्सपैक्टर ने रात के ९।। बजे पकड़ा और उसको सील कर दिया लेकिन ८-२-६४ को वहां के कलेक्टर ने उसकी सील को तुड़वा दिया और आज वह क्रशर चल रहा है। वह क्रशर इसलिये चल रहा है कि उसके जो मालिक हैं उनके बड़े भाई के रिश्तेदार होते हैं वह कलेक्टर साहब। एक तरफ तो आप किसानों के ऊपर डी० आइ० आर० लगा सकते हैं लेकिन उनके ऊपर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जो क्रशर चलाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि आज कोई भी कुछ कर डाले किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है बिजनौर जिले में घुसने के लिये। आपको डी० आइ० आर० की सैंक्टिटी रखना चाहिये और जितने होर्डर्स हैं उनके खिलाफ आपको डी० आइ० आर० का इस्तेमाल करना चाहिये और उनके खिलाफ आपको सख्त कदम उठाने चाहिये।

*श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो विषय हमारे सामने है, वह बहुत गम्भीरता के साथ विचार करने का विषय है। अभी तक मैंने तीन भाषणों को बड़े गौर के साथ सुना। भाषणों को सुनने की बात नहीं बल्कि अपनी आंखों और अपने तजुर्बे से जो चीज सामने आई है उसमें यह कह देना कि विरोधीदल कोई कांसपिरेसी गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है या उसको बदनाम करने की नीयत से कुछ कहना चाहता है, यह सही नहीं है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज हमारे प्रदेश में ३०, ३२ रुपये मन गेहूं बिक रहा है। अब लोगों की परचेजिंग पावर आमतौर पर इतनी नहीं रह गई है कि इतना महंगा गेहूं वह खा सकें। इस बात का दोष किसी पर नहीं डाला जा सकता कि लोग जाकर जनता को भड़काते हैं और उनसे रायट कराते हैं। अगर हालत अच्छी होती तो यह झगड़े की बात पैदा नहीं होती और न लोग जाकर भड़काते। मान्यवर, हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि हमारी फूड पालिसी, हमारी प्रोडक्शन की पालिसी या हमारे वितरण के तरीके में क्या-क्या खामियां हैं। आज इसी बात पर हम विचार करने के लिये बैठे हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का २५, ३० हजार रुपया आज हम इस बहस पर खर्च करने वाले हैं। इस बहस का मंशा यह नहीं है कि दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना हम शुरू कर दें। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये, यह हमको सोचने की जरूरत है। मैं माननीय विरोधीदल के नेताओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो परिस्थिति जिस तरीके से आज सामने आई है उसी दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिये। अगर यह बात है कि यह सरप्लस स्टेट है, खाद्यान्न यहां पर ज्यादा है, शुगर यहां पर बहुत ज्यादा है और फिर भी यहां पर अगर गड़बड़ी होती है तो दरअसल में नेगी जी की यह जिम्मेदारी है कि वह सही रूप से वितरण नहीं कर पा रहे हैं। अगर यह वाकया है कि यहां पर अनाज की कमी है, जैसा कि हमारे त्रिपाठी जी ने कहा, जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा, तो यह मानना पड़ेगा कि पिछले तीन प्लान के दौरान हम अपने यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाये हैं।

(इस समय ११ बज कर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सुशीला रोहतगी, पीठासीन हुईं।)

जितनी आबादी बढ़ी है उस हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसलिये यह डेफिसिट है। एक हमको फंडामेंटल डेटा मानकर चलना पड़ेगा। हमारे यहां अनाज की कमी है। चीनी की कमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बृजभूषणशरण]

है। अगर कमी है तो हरएक आदमी के पास उसको नहीं पहुंचा पाते हैं। तब लाजिमी है कि कोई न कोई रह जायगा। जब आप यह मांग करते हैं कि एक किलो चीनी हर एक के पास पहुंचे तो एक किलो को जरब देकर आदमियों से निकाल लीजिये कि इतने आदमियों को चीनी पहुंचेगी और इतनों को नहीं पहुंच पायेगी। इसलिये बेसिकली आपको यह बात माननी पड़ेगी कि हम कमी में हैं और केवल इस के बाद हल्ला मचा कर इस व्यवस्था को आप ठीक नहीं कर सकते। इसी कमी को दूर करने के लिये हमारे नेगी जी दिल्ली गये और एक लाख टन अनाज का आश्वासन वहां से लाये हैं। चीनी भी कुछ अधिक मिल सके इसका भी आश्वासन लाये हैं और इससे आपकी फौरी तकलीफ जरूर दूर हो सकती है। जो ५००० नयी दुकानें खोलने की बात उन्होंने सदन में कही है उस हिसाब से एक दूकान पर १६,००० आदमी आते हैं और इतने आदमियों को एक दूकान से वितरण नहीं किया जा सकता और न इस समस्या का हल हो सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में बातें बहुत हो रही हैं। कृपा कर माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री बृजभूषणशरण—

तो मैं खाद्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ५००० दूकानों की जगह वे एक महीने में कम से कम साढ़े सात हजार दूकानें खोलने की व्यवस्था करें।

एक सदस्य—

८००० कर रहे हैं।

श्री बृजभूषणशरण—

अगर ८००० हैं तो उनको आप १०,००० कर दीजिये। मैं मानता हूं कि आपके पास इतना गेहूं नहीं है कि आप हर दूकान को ४० मन रोज बांटने के लिये दे सकें, लेकिन मैंने १९५८ में भी यह बात कही थी और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर दूकान को बजाय ४० मन के २० या २५ मन गेहूं रोज दीजिये। उससे स्टेट ट्रेडिंग का एक न्यूक्लियस पैदा होगा और जब आप ट्रेड को नेशनलाइज करना चाहेंगे, जब आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास १० हजार दूकानें होंगी और एक-एक गली कूचे में आपके ऐजेन्ट्स मौजूद होंगे तो जिस दिन आप टेक ओवर करना चाहेंगे, कर सकेंगे। मैं आगे सुझाव देते समय आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि किस तरह से आप स्टेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे बजट को देखिये। हमने कितना लम्बा चौड़ा बजट एग्रीकल्चर के लिये, सर्विस कोआपरेटिव्ज के लिये और इरिगेशन आदि के लिये रखा है। लेकिन इस संबंध में मैं रियासत हुसैन जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि आपने वह रुपया खर्च तो किया, लेकिन उसके कागज पर खर्च होने से ही हमको कोई तसल्ली नहीं मिलती। हमको तसल्ली तो तब होगी जब कि उसका कुछ रिटर्न हम को मिले। हम को देखना पड़ेगा कि खाद्य समस्या के लिये कौन जिम्मेदार है। हमें आप को फूड मिनिस्टर मिल जाते हैं और उनको बचाने के लिये भगवान आ जाते हैं कभी पाले के रूप में, कभी वर्षा के रूप में और कभी ओले के रूप में। कभी बाढ़ आ जाती है और वह जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह परमात्मा की कृपा है कि हमको कहने के लिये कुछ न कुछ हो जाता है कि इन इन वजूहात से हमारा उत्पादन कम हुआ और हम अपनी जान बचा लेते हैं। सच बात यह है कि पाला और ओला तो पड़ता ही है, वर्षा भी आती है और बाढ़ भी, लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुये आपको प्लान बनाना पड़ेगा।

किस को नहीं मालूम कि हमारे प्रदेश में इतनी नदिया हैं और इन इन में बाढ़ आ सकती है। माधो प्रसाद जी ने जो बात कही, अदब के साथ मैं उनसे मतभेद रखना चाहता हूं। उनका कहना है कि सरकार ने फ्लड को कंट्रोल क्यों नहीं किया, उसे करना चाहिये था। मेरा खयाल है कि सरकार फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को यह करना पड़ेगा, अगर वह वेलफेयर स्टेट कायम करना चाहती है ताकि फ्लड आने के बाद भी उत्पादन हो, और वह बढ़े और लोग परेशानी में न पड़ने पायें। वह आते हैं यह तो हमको मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उनसे बचने के उपाय भी हमको निकालने पड़ेंगे। पहले इंसान नंगा पैदा हुआ था और फिर उसने पाले से, ठंडक से बचने के लिये फूस की झोपड़ी बनायी (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे थोड़ा सा समय और दें। अभी मैंने सुझाव तो दिये ही नहीं। मेरे दो मिनट अभी हैं, कृपया ५ मिनट मुझे और दें। सात मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा।

मैं आप से निवेदन कर रहा था कि इंसान अपनी जरूरतों के मुताबिक ही अपने बचाव के रास्ते निकालता है। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें हैं। अब उसके लिये आप चाहे इंटेंसिव कल्टीवेशन कीजिये, चाहे एक्सटेंसिव, लेकिन वह आपको करनी है। आपका एग्रीकल्चर क्या कर रहा है? मैं समझता हूं कि वह फेल हुआ है और उसने इन पिछले दिनों में हम को कोई सुझाव नहीं दिये हैं। जहां तक इर्रीगेशन का ताल्लुक है, अगर माइनर इरीगेशन से काम चल सकता है तो उसको काम में लाया जाय। आपको पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा और जब तक पैदावार नहीं बढ़ाई जायेगी, किसी को फांसी दे देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है।

शुगर की कमी है, हर रोज इसकी भी चर्चा सुनायी देती है। बजट पर भाषण के समय भी यह चार्ज लगाया गया कि शुगर मिल मालिकों के प्रति सरकार का दयापूर्ण व्यवहार रहता है। यह ठीक है, उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार सरकार का रहता है। क्यों मिल मालिकों से यह नहीं कहा जाता कि उनको गन्ने की ५० प्रतिशत कीमत पहले देकर गन्ना खरीदना होगा? वह माल मामूली सब्जीमंडी वाले भी, जो छोटे आढ़तिये वगैरह होते हैं, वे भी १००,२०० एडवान्स में देकर किसी चीज को खरीदते हैं और एडवान्स दिया करते हैं। तो यह बड़े बड़े मिल मालिक जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपया लगा कर मिलों को बनाया है, यही नहीं इस शुगर इन्डस्ट्री को पूअर करके, और मिलें स्थापित की हैं, तो क्या वे यह नहीं कर सकते कि ५० फीसदी कीमत गन्ने की वे पहले किसानों को अदा कर दें ताकि गन्ना किसान उस रुपये से अपना काम चला सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन वे एक धेला न दें, यह इन्साफ के खिलाफ है। इस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाय, यह भी कोई अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा करके भी हम इसको चौपट करदेंगे। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको मजबूर करें कि वे इतना रुपया एडवान्स में काश्तकारों को दें।

एक सुझाव और देना चाहता हूं, जैसा कि जे० पी० मित्र जी ने भी कहा, यह नहीं होना चाहिये कि आज के समय में किसी मुन्सिफ की अदालत से इनजंकशन आर्डर होने पर सारा अनाज रुक जाय। आखिर अदालतें हमारे बनाये कानून के अनुसार चलती हैं, अदालतें कानून नहीं बनातीं। इस इमरजेन्सी के समय में क्यों नहीं हम ऐसा कानून बनाते कि कोई अदालत फूड ग्रेन्स के मामले में कोई इस तरह का आर्डर पास नहीं कर सकती, न ही किसी एग्रीकल्चरल लैंड को अटैच ही किया जा सकता है क्योंकि आज जरूरत है कि कोई लैंड खाली न पड़ी रहे, आज होता क्या है। गांव में जरा सा झगड़ा हो गया, जमीन के अटैचमेंट के आर्डर हो गये, १४५ के अन्तर्गत, महीनों जमीन खाली पड़ी रहती है। तो यह नहीं होना चाहिये, और इसके लिये हमें फौरन कानून बनाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि आप सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा परिवर्त्तन कीजिये कि फूड ग्रेन से संबंधित अगर कोई झगड़ा आदि हो तो उसके बिकने पर कोई पाबन्दी न लगायी जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं। कहा जाता है २२ करोड़ का लगान माफ कर दीजिये। इससे काम नहीं चलेगा। यह काश्तकारों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। लगान माफ

[श्री ब्रजभूषणशरण]

करने से ही यह नहीं होगा कि वे खेती की पैदावार ज्यादा बढ़ोयेंगे । उनको खुद समझना, चाहिये, अगर पैदावार बढ़ाते हैं तो उनका ही फायदा होगा । यह वोट कैंचिंग बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि सब लगान माफ कर दे....

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद--

यह वोट कैंचिंग शब्दों को, श्रीमती अधिष्ठाता जी, यह वापस लें, उनका यह कहना गलत है.....

श्री ब्रजभूषणशरण--

अगर इन शब्दों से माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद जी को तकलीफ हुई है, तो मुझे उन्हें वापस लेने में जरा भी हिचक नहीं है लेकिन पीछे से कुछ आवाज आयी थी उस पर मैंने यह कहा था । सरकार को यह नीति बदलनी चाहिये कि लगान का एक पैसा नहीं लिया जायेगा, सिंचाई का एक पैसा नहीं लिया जायेगा और पैदावार का जो भी हिस्सा चौथाई या आठवां जो मुकर्रर हो जाय वह लेंगे । उसके बाद आप स्टेट ट्रेडिंग भी कर सकेंगे फिर किसान भी उसका कोई बुरा न मानेंगे । उनके पास अगर ४-६ मन भी होगा तो वह भी दे देंगे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीया अधिष्ठाता महोदया, अभी जो यह बहस चल रही है और शुरू में ही जिस भावना से इस बहस को शुरू किया गया, उसको देखते हुए और माननीय सदस्यों की जो बात मैंने सुनी उसको देखते हुए मैं यह नहीं समझ पाया कि आज जो कीमतें बढ़ रही हैं वह खाद्यान्न नीति की वजह से बढ़ रही हैं या खाद्यान्न संकट की वजह से बढ़ रही हैं । खाद्यान्न संकट के विषय में जो सुझाव आने चाहिये थे, वह बहस में नहीं आ पाये क्योंकि बहस खाद्यान्न नीति पर ही हुई । इसमें वोट की बात नहीं है और न पार्टी प्रोपेगेंडा की बात है । आज हमारे सामने जो सचमुच समस्या है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, अगर आप सरकारी आंकड़ों को उठाकर देखें तो एकोनोमिक डिपार्टमेंट की हर तीसरे महीने जो रिपोर्टस् छपती हैं, उनसे सरकार को भी बराबर यह पता चलता रहा है कि लगातार कीमतें बढ़ती रही हैं । गत ६३ दिसम्बर से अब तक के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के कुछ आंकड़े हैं । सन् ६२ में लखनऊ में गेहूं का भाव ३९ रुपया प्रति क्विंटल था जो दिसम्बर ६३ में ६१ रुपया हुआ और आज ६५-७० रुपया हो गया है । कानपुर में ६२ में ४० रुपया था, ६३ के अन्त में ५८ रु० और आज उसका भाव ६५ रुपया है । वाराणसी में ६२ में ४१ रुपया था, ६३ में ६३ रुपया और आज वहां भी उसका भाव ६५ रुपया है । इससे मालूम होता है कि उधर के माननीय सदस्य और यह सरकार कीमतों के प्रति कितनी जागरूक है । इसकी तरफ सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये था । श्रीमन्, डेनमार्क में.....

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि इस समय बदली हुई परिस्थिति के अनुसार आप श्रीमन् न कह कर श्रीमती कहें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमती जी, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेनमार्क में एक ऐसा समय आया जब वहां की कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन में दूध के दाम एक पैसा बढ़ा दिये लेकिन वहां के जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने इस बात को तय किया कि उनकी आमदनी इस बात को गवारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं करती कि एक पैसा दूध का दाम ज्यादा हो। तो, श्रीमती जी, एक पैसे की बढ़ोत्तरी का मामला इतनी दूर तक गया कि सरकार को इस मामले को लेना पड़ा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य को श्रीमती कहने में मुश्किल हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अधिष्ठाता महोदया कहें, मुझे कोई ऐतराज न होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं इस बहस की गंभीरता की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करता हूं और मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को किस हद तक कीमतों की बढ़ोत्तरी की ओर जागरूक रहना चाहिये। लेकिन आज नेगी साहब ने एक बयान दे दिया कि अगर होर्डर्स इसी प्रकार से मुनाफा करते रहेंगे तो अवश्य ही लूट मार मचेगी। इसके क्या मानी होते हैं? इससे साफ तौर से सरकार की निष्क्रियता साबित होती है। इससे साबित होता है कि सरकार वस्तु स्थिति पर नियंत्रण रखने में असफल रही है। आज सरकार स्थिति पर काबू नहीं पा रही है और जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसी तरह से चलती रहीं तो इस आदरणीय सदन से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। खास कर आज माननीय जगमोहन सिंह, खाद्य मंत्री की वही मिसाल है कि जैसे किसी घोड़े पर कोई गलत आदमी सवार हो जाय। अगर सवार अच्छा नहीं रहा तो घोड़ा अपने मन से जहां चाहेगा चला जायगा और बागडोर को वह पकड़े रहेगा और कहीं लगाम इधर उधर हो गया तो घोड़ा सवार के हाथ पैर भी तोड़ सकता है। तो आज सरकार के जितने भी आइ० ए० एस० आफिसर हैं, जिनका खाद्य मंत्रालय से संबंध है और जो दफ्तर में बैठ कर काम करते हैं वे, सरकार को जिस तरह से चाहते हैं, चला रहे हैं। इसलिये मैं माननीय जगमोहन सिंह नेगी से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप अपने मंत्रिमंडल का लगाम जरा कसें या अगर ऐसा न कर सकते हों तो मेहरबानी करके इस्तीफा दे दें। क्योंकि सारे उत्तर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता से इसका संबंध है। आपने कहा कि हमने प्रदेश में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल रखी हैं। मुझे पंचवर्षीय योजना की एक किताब मिली है जिसमें बढ़ी हुई कीमतों के बारे में जिक्र है। इसके पहले और दूसरे पन्ने को आप देखें जिनमें कीमतों का जिक्र है। इस सारी किताब को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल के लोगों का या सरकार के जो संचालक हैं उनको यह मालूम ही नहीं है कि सारी व्यवस्था किस तरह से चल रही है। ऐसा लगता है कि किसी ऐयाश किस्म के आफिसर ने, या शराब के नशे में इस किताब को लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अधिकारियों से यह योजना नहीं चल सकती। इसमें प्राकृतिक आपदाओं का भी वर्णन किया गया है लेकिन जिस तरह से इन आपदाओं को योजना से जोड़ा गया है, वह गलत है। मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित जो भी आफिसर हो जिसकी वजह से निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। आखिर प्लानिंग करने के क्या माने हैं? आज भी आप पुराने किस्म की नौकरशाही चलाना चाहते हैं। इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आज खाद्य नीति पर बहस न करके खाद्य संकट दूर करने के लिये तत्काल जो दो तीन कदम उठाने आवश्यक हैं, उनको मैं बतलाना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि आपके पास पी० ए० सी० की फोर्स मौजूद है। एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिये तो आप अपनी सारी फोर्स लगा देते हैं और आज आप गल्ला नहीं बरामद कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश की सीमाबन्दी करें और वहां अपनी पी० ए० सी० की फोर्स लगा दें जिससे कोई आदमी एक छटांक भी गल्ला उत्तर प्रदेश से बाहर न ले जाने पावे। दूसरे यह कि जितने भी जखीरेबाज हैं उनके पास जहां भी गल्ला हो उसे सरकार ले ले। मैं आपसे कहता हूं कि लखनऊ में भी काफी गल्ला है लेकिन आज वह खुले

[श्री काशीनाथ मिश्र]

बाजार में लोगों को नहीं मिल रहा है। मुझे अफसोस है कि जब एक राज्य कर्मचारी ने मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता जी से कहा कि लखनऊ में २८ रु० से ३१ रु० मन गेहूं तक बिक रहा है तो उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा---क्या ऐसी बात है ? सोचने की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को अपने कमरे में बैठे हुए लखनऊ शहर का बाजार भाव न मालूम हो उसे उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बने रहने का क्या हक है ? मैं निहायत अदब के साथ पूछ रहा हूं कि एक राज्य कर्मचारी के प्रतिनिधित्व करने पर उनको इतना आश्चर्य हुआ लेकिन आपको बतलाऊं कि सन् ४६ में इंगलैंड में जब लार्ड एटली की सरकार थी तो वह अपना झोला लेकर लाइन लगाने में नहीं चूके ताकि बाजार का भाव तो मालूम हो जाय कि जनता को किस भाव पर गल्ला मिलता है तथा उसे क्या दिक्कत है, फिर यहां मंत्रियों तक को भी बाजार का भाव क्यों नहीं मालूम रहता ? सरकार को चाहिये कि वह तमाम जखीरेबाजों व व्यापारियों के यहां से गल्ला निकाल कर पूरी कोशिश करके जितनी भी सस्ते गल्ले की दूकानें खोल सके, खोले। क्योंकि होली का समय आ रहा है, अब केवल ५-६ दिन रह गये हैं, अगर आपने ठीक तरीके से गल्ले के वितरण पर नियंत्रण नहीं किया तो हो सकता है कि इस अवसर पर आपको फूड रायट देखने को मिले। आज सर्वसाधारण को सस्ते गल्ले की दूकानों पर आटा तक नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी को चेतावनी देता हूं कि ५, ७ दिन के अन्दर सारे देश में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है और सरकार उसका सामना न कर सके, इसके लिये तैयार रहे। जब ७० फीसदी सस्ते गल्ले की दुकानों की शिकायतें हैं जिलाधीशों के पास, ऐसी दूकानों को तत्काल रद्द कर दें क्योंकि सारा गल्ला वे चोर बाजारी में बेच रही हैं। डेढ़ महीने बाद स्थिति सुधर जायगी, लेकिन इस काल के लिये नियंत्रण करने के लिये सुझाव देता हूं कि सरकार की तरफ से १०,००० कर्मचारी भरती किये जायं। हो सकता है कि इस बजट पर कुछ भार पड़े लेकिन आपका प्राथमिक काम है कि लोगों को भोजन दें। आपकी योजना इसीलिये चल रही है कि प्रारम्भिक आवश्यकता जो है वह पूरी की जाय। इसके लिये १० हजार सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवायी जायं और इतने ही राज्य कर्मचारी नियुक्त किये जायं। क्योंकि इस समय जो आपका तरीका है उस तरीके से दूकानदार जब तक ब्लैक नहीं करेगा उसका काम नहीं चल सकता। जब तक इन तरीकों को नहीं बदलेंगे तब तक समस्या हल नहीं होगी। अगर सरकार चाहती है कि कृषि उत्पादन बढ़े तो आज ही वित्त मंत्री बजट में व्यवस्था करें कि नयी जमीन तोड़ कर पैदावार बढ़ायी जाय। इन योजनाओं में कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा कि नयी जमीनें तोड़ करके खेती लायक बनायी गई हों। १ करोड़ एकड़ ऐसी जमीन है। आप बजट में इस व्यवस्था का प्रावीजन करें तभी प्रदेश की स्थिति सुधर सकती है।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, जो समस्या विचाराधीन है वह काफी विकट है। वैसे तो कुछ दिनों से भाव बढ़ने शुरू हो गये थे, मगर जनवरी के महीने के अन्त में जो सर्दी पड़ी शायद इन्सानी याद में इतनी सर्दी नहीं पड़ी। मुझे उन दिनों में देहात में जाने का मौका मिला और देखा गया कि बर्तन में अगर बाहर पानी रह गया तो ऊपर से जम गया। नतीजा यह हुआ कि रबी की फसल एकदम खराब हो गई। आमों की फसल भी खराब हो गयी और जो जायद रबी है, जैसे खरबूजा वगैरह वह भी खराब हो गया, मगर गुंजायश यह है कि वह दुबारा बोया जा सकता है, लेट हो जायगा। तो वैसे इस समय कोई फसल नहीं आने वाली थी बाजार में लेकिन इस सिचुएशन से एक आतंक फैल गया, नाउम्मीदी फैल गयी, घबराहट फैल गयी। उधर दूकानदारों को, जिनके पास अन्न का जखीरा था उन्होंने सोचा कि इस समय थोड़ा रोक रखें तो दाम बढ़ने की उम्मीद है। इसलिये ब्लैक मारकेटिंग और होर्डिंग का जोर हुआ। एक महीना इस बात को हो गया। यह खेद की बात है कि हमें इतनी देर लगी इस मामले पर चर्चा करने में। यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसकी चर्चा फौरी होनी चाहिये और फौरी इलाज इसका होना चाहिये। लेकिन इस आपत्ति में वह कहावत चरितार्थ नहीं करनी चाहिये कि किसी का

घर जले और कोई तापे। किसान और देहात की गरीबी का नफा लोगों को नहीं उठाना चाहिये। नेकनीयती से वे सब कदम उन सब साथियों को जो सरकार में हों या गैर सरकारी हों उठाने चाहिये जिससे इस आपत्ति का मुकाबला पहले आसानी से किया जा सके। फ्रैंच रिवाल्यूशन पर ५ नावेल लिखे गये, उनमें से एक मुझे याद आती है कि एक बागी को पकड़ लिया और उसका गिलोटीन करना था। जो जनरल था वह उसका अहसानमन्द था। उसने अपनी पोशाक उस बागी को पहना कर उसकी पोशाक खुद पहन ली और अपने को गिलोटीन करवा लिया लेकिन उस बागी ने भी अपने को गोली मार ली। तो आज जरूरत इस देश में ऐसे नेताओं की है तो अपने कर्त्तव्य का पालन करें, चाहे वह सरकार में हों या न हों। कर्त्तव्य पालन का अभाव व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है देश में। कल भी चर्चा थी सदन में और आज भी है कि घोड़े की सवारी करने लायक कोई नहीं है। मैं नहीं जानता कि है या नहीं कोई, लेकिन एक बात सोच लो कि हमारी वजह से सवार न बैठ पाता हो तो यह इल्जाम हम पर न आ जाय कि हम घोड़े पर नहीं बैठने देते।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि भूख हड़ताल वाले कदम भी कुछ इस काम में सहायक नहीं होंगे। भूख हड़ताल करके किसी को अन्न मिलेगा? इससे अन्न पहुंचने में सहायता मिलेगी या आतंक फैलाने में सहायता मिलेगी अथवा स्टेट में कंफ्यूजन पैदा करने में सहायता मिलेगी? आज इस बात की आवश्यकता है कि अपने-अपने गरेबान में मुंह डालें और देखें कि क्या हम कर सकते हैं। सरकार ने देर की है और सरकार को इस बात को सुनना चाहिये। प्राम्प्ट ऐक्शन होना चाहिये, इफेटिक्व ऐक्शन होना चाहिये। जब सवाल हो तो कहा जाता है कि हमने तार भेज दिये। तार भेजने से क्या काम होने वाला है, क्या रिलीफ लोगों को पहुंच गयी?

हमारे खाद्य मंत्री जी दिल्ली गये। १ लाख टन गल्ले का वायदा हुआ। मुझे लगता है ऐसा कि शायद यह काफी न हो और ज्यादा गल्ले की आवश्यकता हो। एक हफ्ते पहले मैं सहारनपुर गया था। ३२ रुपये मन गेहूं का भाव वहां है और ३२ रुपये जिसके पास होंगे वही गेहूं खायेगा। तो इस बात की आवश्यकता नहीं है कि गेहूं लाओ बल्कि इस बात की है कि खाना लाओ, मोटा अनाज लाओ। मेरा निवेदन है कि जहां एक तरफ सरकार को ज्यादा गल्ला पैदा करने की जरूरत है वहां दूसरी तरफ इस बात को देखने की जरूरत है कि जो दूकानें वह खोलती है कागज पर, वह वाकई खुलती हैं या नहीं और उन पर अनाज मिलता है या नहीं मिलता है? और इस बात की भी जरूरत है कि वह जो डी० आई० आर० है, जिसकी तमाम चर्चा हो चुकी है उसका भी इस्तेमाल कर लें। वह हथियार कब काम आयेगा? कई गीदड़ खेत खाने गये। एक गीदड़ के हाथ में कागज लग गया तो उसने कहा कि तुम लोग बेधड़क खेत खाये जाओ मेरे पास परवाना है। इतने में कुछ कुत्ते उनको दौड़ाने लगे तो उन लोगों ने कहा कि अब परवाना क्यों नहीं दिखाते, तो उन्होंने कहा कि ये अनपढ़ हैं किसको दिखायें? तो यहां तो अनपढ़ नहीं हैं आप एफेक्टिव स्टेप्स उठाइये। ब्लैक मार्केटियर्स को सजा दो, सरकारी कर्मचारियों को भी सजायें दो जो इस वक्त खिलवाड़ करता मिले।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शार्ट टर्म क्राप्स पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये। वह चीजें पैदा होनी बन्द हो गयी हैं जूना, कोदों, कौन यह चीजें पैदा करता है? रागी जो साउथ की मेजर क्राप है ऐसी फसलें पैदा करनी चाहिये तब कुछ काम चल सकता है मुल्क का।

लांग टर्म क्राप के लिये भी मैं समझता हूं कि चर्चा हमें करनी चाहिये। किसी ने क्या इस बात को देखा है कि इतना रुपया हमने खर्च किया, उसका नतीजा भी कुछ हुआ या नहीं? आज जरूरत इस बात की है कि आप बैठें और छानबीन करावें कि पिछले १०, १५ सालों में हमने क्या किया। आपको अन्दाज है कि इतने करोड़ रुपया लगाने से आबपाशी कितनी बढ़ी? आप यह जान कर हैरान होंगे कि नहरों की सिंचाई का सबसे ज्यादा रकबा ५१–५२ में था, तो फिर क्या १२ साल तक भाड़ झोंका गया? वेल्स लगाये गये, लेकिन वेल्स की सिंचाई का सबसे ज्यादा रकबा ५४–५५ में था। टैंक्स की सिंचाई का सबसे बड़ा रकबा ५५–५६ में था। होना चाहिये तो यह था कि अगर आपने सामान दिया तो पैदावार बढ़ती, मगर पैदावार

[श्री फूलसिंह]

बढ़ रही है या नहीं इसको कौन देखता है ? हाईएस्ट पर एकड़ ईल्ड यू० पी० में किसी क्राप का नहीं है। क्यों नहीं है, कभी सोचा ? नहीं सोचा। आब्वियस बात है मद्रास में पैडी ट्रांसप्लान्ट करने के बाद पानी छोड़ देता है। यू० पी० का हाल यह है कि १० परसेंट इर्रीगेटेड खेती धान की होती है और ९० परसेंट अनइर्रीगेटेड खेती होती है तो फसल काहे से पैदा करोगे ? अभी दो किताबें छपी हैं। "कस स्टडी आफ इर्रीगेशन"। उसमें एक बात कही गयी है कि पंजाब में ५० परसेंट आबपाशी पर भार बढ़ा है और यू० पी० में ३ सौ और चार सौ परसेंट भार बढ़ा है। पंजाब में ५० परसेंट में डेवलपमेंट की गयी, इसके बाद जो डेवलपमेंट लेवी बगायी गयी थी वह वसूल नहीं की गयी। तो फिर आपकी पैदावार कैसे बढ़े ? माईनर इर्रीगेशन की रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ट्यूबवेल से इर्रीगेशन कैनाल इर्रीगेशन के मुकाबले में १० गुना कास्टलियर है। तो किसान कोई लकड़ी का बना है क्या ? क्या इतनी भी अक्ल उसको नहीं है कि वह यह भी नहीं समझ पावे कि इतना कास्टली यानी क्या खेती में देने के काबिल है ? क्या आपने यह देखा है कि हाइडेल से या थरमल से कितनी आबपाशी की दर है ? डीजेल की तो अभी बात मत करो। हाइडेल से थरमल की इर्रीगेशन महंगी पड़ती है और जब वह इतनी महंगी पड़ रही है तो फिर आप शिकायत क्या करते हैं ? यह तो आप जिन्दा हैं यही गनीमत है। इसमें कसूर किसी का नहीं है। लेकिन अब यह समय आ गया है, यह दैवी आपत्ति आ गयी है और यह चुनौती है हमारे लिये कि हम बैठें और सारी चीजों को देखें। (लालबत्ती होने पर) अभी कुछ समय अगर और मिल जाता ?

श्री अधिष्ठाता--

अभी आपको और समय चाहिये ?

श्री फूलसिंह--

जी हां। तो हम बैठें, सारी चीजों को देखें, सुलझावें कि इसका क्या रास्ता हो सकता है। मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। मैंने एक बार टाइम मांग लिया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपके दो मिनट और बाकी हैं, आप बोल सकते हैं।

श्री फूलसिंह--

इर्रीगेशन की बाबत दो, एक बातें मैं और कहना चाहता हूं। चीजों को हम शायद देखना नहीं चाहते। चीजों के इस्तेमाल का कोई आइडिया हमें नहीं है। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि कर्जे की जरूरत किसान को नहीं है, साहूकार को जरूरत है। क्या किसान का मतलब बैल से है या डंडे से है और रुपये का मतलब आप से है ? कर्जा नहीं होगा तो किसान खेती कैसे करेगा ? दो रिपोर्टें छपी हैं। एक तो कोआपरेटिव सेमिनार हुआ देहली में, उसकी रिपोर्ट छपी और दूसरी रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट छपी, दस साल हुये। अभी हाल ही में रूरल इन्डेटेडनेस एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट छपी है। उसको आप देखेंगे तो हैरान हो जायंगे। फील्ड में जाइये तो मालूम होगा कि ८० फीसदी तो पेपर एन्ट्री है, न कर्जा लेना, न देना सिर्फ कागज को बदल दिया। मेरे नाम कर्जा है, उसे बेबाक कर दिया और एक महीने बाद फिर कर्जा एडवान्स कर दिया और उस एक माह का सूद कोआपरेटिव के कर्मचारी को दे दिया या फिर किसी साहूकार को दे दिया। इन दोनों रिपोर्टों में यह स्पष्ट बात है कि कोआपरेटिव के इस एफर्ट के बावजूद....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

अधिष्ठात्री महोदया, माननीय फूल सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया कि जो हमने योजनायें बनाईं, जो उन पर व्यय किया उसका क्या नतीजा सामने आया। इत्तफाक से मेरे पास वह नतीजे मौजूद हैं और मैं आपकी अनुमति से वह सदन के सामने रख देना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का औसत प्रति वर्ष उत्पादन ४.१ प्रतिशत बढ़ा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल ३.६ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केवल १.२ प्रतिशत बढ़ा। द्वितीय वर्ष में ३.३ प्रतिशत गिरा, बढ़ने के बजाय। इन आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि निरन्तर हमारी कृषि की उन्नति गिरावट की तरफ गयी है, बावजूद इसके कि द्वितीय योजना में हमने प्रथम योजना से अधिक व्यय किया और द्वितीय की तुलना में तृतीय में उससे भी कहीं अधिक कर रहे हैं, परन्तु उस व्यय का, उन योजनाओं का, उस सारी मेहनत का, जो कि हमारे उधर के बैठने वाले कहते हैं, केवल परिणाम यही निकला है कि कृषि में उन्नति कि गति धीमी होती चली गयी है और अब यह नौबत आ गयी है कि बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गयी है। मैंने इन आंकड़ों को केवल इस उद्देश्य से रखा कि समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाय कि क्या हमारी नीतियां, क्या हमारा कार्य करने का ढंग दोषपूर्ण नहीं है? हमारे जे० पी० मिश्रा साहब ने काफी मुझको प्रोवोक किया परन्तु मैं उस दिशा में ज्यादा कुछ न कह कर केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस समाजवाद से आशा की जाती है कि कृषि की उन्नति होगी वह सम्भव कहीं हो नहीं सका। इधर के बैठने वाले हमारे समाजवादी भाई और उधर के बैठने वाले हमारे समाजवादी भाई, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आपके पास कुछ अच्छी सलाहें हैं, जिनसे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है तो कृपा कर उन्हें कामरेड ख्रुश्चेव और कामरेड चाऊ-एन-लाई के पास भेज दें क्योंकि बावजूद इसके कि उन देशों में समाजवाद काफी दिनों से और पूरी शक्ति के साथ स्थापित है, आज तक वे अपनी अन्न की समस्या को हल नहीं कर सके हैं। हमारे देश में ज्यों ज्यों चरण समाजवाद की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं त्यों त्यों कृषि उत्पादन गिरता चला जा रहा है, मैं कटुता उत्पन्न करना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार हो। हमारे प्रधान मंत्री जी की आशा कृषि के उत्पादन बढ़ाने की है कि इस देश में संयुक्त खेती हो। अगर मैं गलत कहता होऊं तो मंत्री जी मुझे ठीक कर दें। जितने एरिया में सहकारी खेती हो रही है वहां पर उत्पादन ४ मन प्रति एकड़ हो रहा है। जब इतना उत्पादन हुआ है तो भी उसकी बात करना, उसके अनुकूल सारी योजनायें बनाना और सारे कार्यक्रम बनाना इस दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न अन्न संकट के लिये उत्तरदायी है।

एक पुस्तिका यूनाइटेड नेशन्स के एफ० ए० ओ० संगठन की ओर से प्रकाशित हुई है जिसका नाम है "असेंशल स्टैप्स टूवर्ड्स इनक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्शन", मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य अध्ययन करे। उसमें बताया है कि इन शर्तों के पूरा करने पर ही कृषि उत्पादन बढ़ सकता है अन्यथा नहीं बढ़ सकता। हमारे यहां पहली तीन शर्तों में एक भी पूरी नहीं हुई है और न उनको पूरा करने के लिये कदम ही उठाया गया है। पहली शर्त यह है कि अगर किसान अपनी मेहनत से अधिक पैदा करता है तो उसको अधिक आमदनी मिलनी चाहिये। मैं इसको साबित कर सकता हूं कि जब जब किसान ने मेहनत करके पैदावार बढ़ाई है तब तब उसकी आमदनी गिरी है। इस प्रकार से उनका मेहनत का फल नुकसान में होता है। दूसरी शर्त यह है कि किसान शिक्षित होना चाहिये। संयोग की बात नहीं है लेकिन कोई ऐसा देश नहीं है जहां का किसान शिक्षित हो और कृषि में पिछड़ा हो और कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां के किसान अशिक्षित हों और खेती उन्नति पर हो। कहा यह जायगा कि सरकार सीमित साधनों के अनुसार जितना कर सकती है, कर रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के ऊपर जितना एलाटमेंट हुआ वह लोहे के कारखानों पर जितना खर्च हुआ है उसका १/३ भी नहीं था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

अधिष्ठाता महोदया, तीसरी शर्त यह है कि कृषकों को सिक्योरिटी आफ टैन्योर होना चाहिये। इस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके सही कदम उठाया था और किसानों को राहत मिली थी और उसके नतीजे भी आने लगे थे। लेकिन बाद में नागपुर में प्रस्ताव पास करके, चकबन्दी का प्रस्ताव पास करके, संविधान में १७ वां संशोधन लाकर, सिक्योरिटी आफ टैन्योर को बरबाद कर दिया। आज कोई भी किसान अपनी जमीन को सुरक्षित नहीं समझता और उसमें अपना मन और पूंजी नहीं लगाना चाहता है। कृषि के लिये खाद, पानी और बीज की जरूरत होती है। जिस मूल्य पर भारत सरकार खाद इम्पोर्ट करती है उसका पौने दो गुना किसान से वसूल करती है। स्वयं श्री एस० के० पाटिल ने कहा है कि २०० रुपये प्रति टन पर जो खाद विदेशों से आती है, उसको पौने चार सौ रुपये प्रति टन पर किसानों को दिया जाता है। जब भारत सरकार इस प्रकार की मुनाफाखोरी करे रासायनिक खादों के विषय में तो कैसे किसान पनप सकता है? आज संसार के सभी देशों से महंगी इस देश में रासायनिक खाद बिक रही है।

दूसरी बात पानी की है। पानी की ओर माननीय फूलसिंह जी ने ध्यान दिलाया। हमारे प्रदेश में सिंचाई की दरें बहुत ऊंची हैं, बढ़ती चली गयी हैं, १९३४ की तुलना में तीन चार गुनी बढ़ चुकी हैं और फिर भी समय पर किसान को पानी नहीं मिल सकता है। इस सदन में बार-बार कहा गया कि सिंचाई की योजनाओं पर बल दिया जाय परन्तु इस बजट में भी देखेंगे कि ११० ट्यूबवेल बनाने की योजना है, उस पर रुपया व्यय किया जायगा।

उसके बाद बीज की व्यवस्था पर आता हूं। बीज की हालत यह है कि सारा बीज बांटने का काम सहकारी विभाग को दे दिया गया, बहुत थोड़ा काम कृषि विभाग करता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बल देकर कहना चाहता हूं कि जितना बीज सहकारी बीज गोदामों से बंटता है, ८० फीसदी से ज्यादा बिलकुल बेकार बीज बंटता है। अगर यह बात मेरी गलत हो तो कोई जांच करायी जाय और सदन जो भी मुझे सजा देना चाहे दे। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि वे किसान जो सहकारी बीज गोदामों से बीज लेकर बोते हैं, अगर सेठ साहूकारों से लेकर बोएं तो उतना नुकसान नहीं होगा। जिस प्रकार का बीज बंटता है उस प्रकार के बीज से इस प्रदेश में कृषि की उन्नति में सहायता नहीं मिल सकती है।

अब मैं आता हूं कि जो आज समस्या है उसका किस तरह से मुकाबला करें। सर्व प्रथम जब मैंने यह कहा कि हमारे नेगी जी को समस्या की गम्भीरता का आभास नहीं है तो उनको आपत्ति हुई। मैं उनकी नेकनीयती पर, उनके परिश्रम पर तनिक भी शुबहा नहीं करता, न मैं इस सरकार की नेकनीयती पर, कम से कम इस समस्या के ऊपर, तनिक भी शुबहा नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि उनके जीवन और मरण का प्रश्न है। जितनी उनमें बुद्धि और परिश्रम है सब लगाएंगे, मैं मानता हूं। लेकिन जब वह कहते हैं कि एक लाख टन गल्ला दिल्ली से मिल गया और उन्हें संतोष हो जाता है, तब मुझे आश्चर्य होता है। उन्होंने कहां से हिसाब लगाया? मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में रबी की फसल जो मारी गयी है उसके कारण ४ करोड़ मन गल्ला कम पैदा होगा, उसके मुकाबले में सिर्फ एक लाख टन आयेगा। वह हमारी आवश्यकता का एक चौथाई भी नहीं होगा। उसका अनुमान लगा कर अगर अभी से प्रबन्ध नहीं करेंगे तो डर है कि बहुत बड़ी विपत्ति सामने खड़ी है।

दूसरा कारण मैं रखता हूं गम्भीरता को न समझने का। मैंने १२ तारीख को इस सदन में सुझाव रखा था कि इस विपत्ति के कारण हमारी फसलें मारी गयी हैं, परन्तु सम्भव है कि हम कुछ फसलें पैदा कर सकते हैं, बरसात के पहले हम कुछ न कुछ इस काम को पूरा कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने तुरन्त आश्वासन दिया कि इस पर कार्यवाही होगी।

सद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

मैं जानना चाहता हूं कि ४ करोड़ टन कम पैदा होगा इस प्रदेश में?

श्री भानुप्रतापसिंह--

४ करोड़ मन। उस सुझाव पर उन्होंने आश्वासन तो दिया और यह कहा कि मीटिंग बुलायी जायगी। परन्तु आज तक मीटिंग नहीं बुलायी गयी। इस समय एक-एक दिन, एक-एक घंटे का महत्व है। जो १०, १२ दिन गवां दिये गये, मैं कहता हूं कि १०, १२ दिन और गवां दिये तो जायद फसल बोने का समय भी बीत जायगा और कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। मैं अपना अनुभव बतलाना चाहता हूं। एक बार मेरे फार्म पर पत्थर पड़ गया और गेहूं और अरहर की फसल बिलकुल मारी गई। जनवरी का महीना था। मैंने तत्काल उस सारी खेती को कटवाकर उसमें सांवा और मूंग की फसल को बो दिया। ६ महीने के बाद मैंने उन खेतों से मूंग और सांवा की फसल ली और जितना मुझको गेहूं और अरहर की फसल से मिलता वह मुझे सांवा और मूंग की फसल से मिल गया। मैं यह नहीं कहता कि यह सभी जगह हो सकता है लेकिन जहां तक सम्भव है वहां तक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं और इस तरह से किया जाय तो इस प्रकार से यह कार्य हो सकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार तुरन्त इस तौर पर एक आन्दोलन चलाये। जायद फसल पैदा करने के लिये विकास विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग से कहा जाय कि और कोई कार्य न करे, वह सिर्फ इसी अभियान को चलाये। मेरा तो सुझाव यहां तक है कि हम चाहें तो इस सदन को १०, १२ दिन के लिये बन्द कर दें और सारे सदस्यों को अपने क्षेत्रों में भेज दें ताकि वे जाकर जायद फसल के अभियान को सफल बनाने का प्रयत्न करें। परन्तु यह जायद फसल पैदा करने का अभियान तभी सफल हो सकता है जब कि सिंचाई की दर तुरन्त घोषित कर दी जाय। इस फसल के लिये उसको कम से कम आधा कर दिया जाय क्योंकि जायद फसल पैदा करने के लिये अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी तभी यह सफल हो सकती है। यदि इसी दर पर आपने उनके सिंचाई देने की बात सोची तो फिर कोई मुनाफा नहीं हो सकता है।

तीसरा सुझाव यह है कि कम से कम रबी की मालगुजारी की किस्त आधी छोड़ दी जाय और आधी को मुल्तवी कर दिया जाय, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। किसानों को परेशान न किया जाय। मैं इतना कहूंगा कि रबी की फसल का आधा लगान माफ कर दिया जाय, आधा मुल्तवी कर दिया जाय। मुझे आशा है कि हमारे सहृदय राजस्व मंत्री मेरी इस छोटी सी मांग को स्वीकार करेंगे। एक बात सुझाव के रूप में यह है कि वास्तव में गल्ले की कभी कमी नहीं पड़ी है। इससे ज्यादा कमी पड़ेगी जब बरसात का मौसम शुरू होगा। जून, जुलाई, अगस्त में सब से अधिक संकट हमारे सामने आयेगा। उस समय के लिये हमको स्टाक उपलब्ध करना चाहिये। शहरों में नहीं, शहरों में किसी भी महीने में आ सकता है परन्तु देहातों में प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र में स्टाक बरसात के लिये होना चाहिये क्योंकि बरसात के दिनों में ट्रक मूव नहीं कर सकते और न बैलगाड़ी।

मैन पावर स्कीम जिन जिलों में चल रही है, मेरे जिले में चल रही है उसकी बड़ी दुर्दशा है। उसके लिये ८०, ९० लाख रुपया मंजूर किया गया है। अभी तक वह रुपया खर्च नहीं हो पाया है। उसका कारण यह है कि कोई इंजीनियर उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। वह यह समझते हैं कि यह उनका काम नहीं है। फालतू काम उनके ऊपर लादा जा रहा है। एक करोड़ की स्कीम है तो समझ में नहीं आता कि एक इंजीनियर अलग से क्यों न उसके लिये रखा जाय। वह मैनपावर स्कीम को चलाये। जिन जिलों में यह कीम है उनमें इसको चलाने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस खाद्य समस्या के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज इस समस्या के ऊपर हमको विचार करते समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये। और यह

[श्री ज्वालाप्रसाद]

इस वक्त सोचना कि कैसे उत्पादन बढ़े, क्यों घटा है, अब वह कैसे बढ़ाया जाय, यह सब मैं समझता हूं कि आज की समस्या नहीं है। आज तो समस्या यह है कि ४०, ५० वर्षों में, जैसा कि पुराने किसानों ने बतलाया है, ऐसा पाला नहीं पड़ा था, जैसा कि इस बार पड़ा है और न उससे ऐसी कृषि की कभी क्षति हुई थी। आज यह समस्या भीषण रूप में हमारे सामने है और यह ऐसी समस्या है कि जिसमें हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि आप अपनी ऐसी योजनायें रखें कि लाखों आदमी जो भूखे मरने वाले हैं उनकी रोजी की व्यवस्था हो जाय। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने देहातों में गरीबी मिटाने का जो प्रयास किया वह अच्छे ढंग से नहीं किया है। इस समय सारी तकलीफों के होते हुए जब हम देखते हैं कि सरमायेदारों को ५० लाख, ८० लाख और करोड़ करोड़ रुपया दिया जाता है ऋण के रूप में फैक्टरी लगाने के लिये, तो दूसरी तरफ देहात के दस्तकार भूखों मरते हैं। वे अपने हाथ के काम की बदौलत अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं, लेकिन साधन और पैसे की कमी के कारण गरीबी के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने परिवार का पालन नहीं कर पाते। अगर सरकार सरमायेदारों को इतना इतना रुपया देने के बजाय एक-एक हजार रुपया इन छोटे दस्तकारों को देती तो वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में समर्थ हो सकते थे और अपने गरीबी के चक्कर से निकल सकते थे।

दूसरी बात श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी योजनाओं पर उनके बनाते समय गंभीर रूप से विचार विमर्श नहीं हो पाता है। मेरे जिले में जब योजना बनी उस समय कुछ विचार विमर्श हुआ था और सिंचाई के संबंध में बहुत कुछ आश्वासन दिये गये थे। अगर इस साल पाला पड़ी हुई फसल को कुछ पानी बाद में मिल जाता तो भी उसमें कुछ हो सकता था, लेकिन फसल को पाले के बाद चाहे इंजीनियरों ने भले ही कुछ कठिनाई अनुभव की हो, नहरों में पानी नहीं आया और फसल को पानी मिल नहीं पाया और किसानों का गेहूं जो कुछ हो भी सकता था वह भी इस वजह से नष्ट हो गया। तो सरकार की योजनायें सफल कैसे हों? ऐसा मालूम होता है कि योजना बनाते समय बनाने वालों के ध्यान में किसान को परेशान करने की, सताने की भावना रहती है। मैं इस स्थिति में निवेदन करूंगा कि आप समस्या पर गंभीरता से विचार करें। आज हालत यह है कि किसान के पास एक भी साधन नहीं है कि जिससे वह अपनी पैदावार बढ़ा सके और दूसरी बात यह है कि हम उस मेहनतकश को जमीन नहीं दे पाये हैं कि जो आपका उत्पादन बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों के पास ज्यादा जमीन है कि जो दूसरों का शोषण करके कृषि कराते हैं। हम मेहनतकश को साधन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा करने से ही देहात की गरीबी मिट सकती है और कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है। तो पहले हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिये। भुवनेश्वर में भी समाजवाद का प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन जिस गति से समाजवाद की ओर यह सरकार चल रही है उससे हम समाजवाद ला नहीं सकते हैं।

नेगी साहब से मुझे एक निवेदन करना है। शक्कर वितरण के संबंध में नेगी साहब ने स्वयं यह बात कही कि देहात में शक्कर इसलिये ज्यादा नहीं पहुंच सकती कि वहां शक्कर खाने वाले १०० में केवल १० व्यक्ति हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह देहात की पूरी की पूरी शक्कर शहर के लिये रख लें और देहात में गल्ला, ज्वार, बाजरा भेजने में कोताही न करें। शक्कर आप ले लें, लेकिन मोटा अनाज आप देहात में हर जगह पहुंचाने की व्यवस्था करें। आज सवाल यह है कि जो बीज की शकल में गल्ला किसान ने अपने खेत में डाल दिया है वही उसको वापस मिलना मुश्किल है। गेहूं में ५० प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है और इसके अलावा जौ और बाजरा, बेझड़, आदि में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जब आपके आंकड़े जायेंगे तो पता चलेगा कि कहीं भी ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमारे माल मंत्री को खुशी होगी कि उनके अधिकारियों ने अच्छे आंकड़े दिये हैं और अब कोई छूट देने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप किसानों को छूट दें या न दें, मगर जो मजदूर किसान हैं उनको आप अवश्य छूट दें।

एक बात यह और कहना चाहता हूं। केवल लगान माफ करने से ही किसान खुशहाल नहीं होगा। आज होली का उत्सव सामने है। उनके पास खाने तक को नहीं है, फिर हम लोग कैसे सामान लाकर खुशी मनायें। देहात के लोगों को एशोइशरत की चीजें आप न दीजिए, मगर उनके लिये मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, आदि की व्यवस्था कीजिये। हम नहीं चाहते कि हमारे यहां भी बंगाल जैसी स्थिति हो। मजदूर चूंकि घर पर रहता है इसलिये उसके बच्चे ज्यादा होते हैं। हमें उनकी जिन्दगी की आवश्यक चीजें उनको देना चाहिये। जहां दस्तकारी नहीं बढ़ी है, वहां उनकी दस्तकारी को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये और उनको खाना देना चाहिये।

यदि मोटा अनाज पहुंचा कर गरीबों को जिला सकने में आप समर्थ न हों तो सरकार को न समाप्त करें, स्वयं इस्तीफा देकर अलग हो जांय।

†श्री बलवानसिंह—

मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। अभी माननीय भानु प्रतापसिंह जी ने जो अपने सुझाव दिये थे, मुझे आशा है सरकार उनकी बातों का जवाब देगी। कुछ भी निवेदन करूंगा। मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग से यह समस्या हल नहीं होगी, वह एक सवाल है; मगर मैं कुछ बातें कहने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं—

"इधर उधर की न बात कर, बता यह कि कारवां कैसे लुटा,
मुझे राहजनी का गम नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।"

मुझे यह बताइये कि आपने तीन योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च किया, उससे आपको क्या मिला? आज गल्ले के लिये चारों तरफ राहजनी और लूट मची है। ३२ रुपये मन गल्ला बिक रहा है। काश्तकार से वह १३ रुपये मन खरीदा गया.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपना भाषण २ बजे जारी रखें। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री कृष्णानन्द राय के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि हमारी तरफ के भी सदस्य कम आये हैं, चूंकि हम लोगों की भी जिम्मेदारी उतनी ही है और यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्रीमन्, अभी मैंने सरकार के लिये एक शेर कहा था और उसके अन्दर मेरी तमाम स्पीच थी। मुझे उम्मीद है कि लोग समझ गये होंगे। अभी नेगी साहब ने जो एक पत्र निकाला है वह मुझे मिला है। इससे सदस्या हल नहीं होती। सवाल यह है कि इस देश में गल्ला सबके लिये काफी है या नहीं? दूसरा सवाल यह है कि अगर गल्ला कम है तो उसका बटवारा कैसे हो? जो भी गल्ला है यू० पी० में, वह वैसे तो उसकी जरूरत के मुताबिक कम है? पैदावार भी कम हुई है, जैसा कि आपके आंकड़ों से साबित होता है। पहली और दूसरी पंचसाला योजनाओं के खत्म होने पर यहां १४२ लाख टन अनाज की पैदावार थी और इस वर्ष ६३ में सिर्फ १२० लाख टन होने की उम्मीद है। २२ लाख टन अनाज कम है। १ लाख टन की जरूरत मान रहे हैं हमारे नेगी जी। हर साल जो खेती की पैदावार गिरती जा रही है क्या वह आपकी मांगों को पूरा करेगी? २२,०० करोड़ रुपये का गल्ला हमारी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

सरकार विदेशों से मंगा चुकी है जबकि इस देश में ७० फीसदी काश्तकार ५० फीसदी नेशनल दौलत पैदा करते हैं। ३७ करोड़ एकड़ जमीन खेती में है और यू० पी० में है ४ करोड़ के करीब। तब भी सन् ६४ की फरवरी में बाजारों के लूटने की बात अगर आ जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि यह सरकार बिलकुल फेल रही है जहां तक खेती की इसकी पालिसी है। मुझे याद है कि जब हमारे सी० बी० गुप्ता जी फूड मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हम इन पंचसाला योजनाओं के बाद गल्ले का एक भी दाना बाहर से नहीं मंगावेंगे। १० साल हो गये कांग्रेस मिनिस्ट्री के इस वायदे को। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री का जहां तक सवाल है, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि उन्होंने तो आज से ७ साल पहले, बल्कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के पहले कहा था कि गमलों के अन्दर लोग गेहूं बोयें। हमारे फूड मिनिस्टर ने १० साल पहले कहा था कि हम एक भी दाना बाहर से नहीं मंगावेंगे और आज हम इस स्थिति में आ जावें कि एनार्की आ जावे। क्या सरकार को गल्ले के लिये, जो कि जिन्दगी की जरूरत की चीज है, कोई योजना है ?

मैं सरकार को एक हल बताना चाहता हूं। जितनी भी गले की होर्डिंग है उसे सी० आई० डी० के द्वारा मालूम कराइये और उम्मीद है कि आपके फरमान गये होंगे। जहां भी होर्डेड अनाज है उसे सीज कर लीजिये और उसे बाजार में लाइये। उम्मीद है कि लाखों टन गल्ला आपको उनसे मिल जायगा। लेकिन आपकी मशीनरी कितनी इफैक्टिव होगी, इसमें मुझे शक है, चूंकि कानपुर में ही लाखों टन गल्ला गोदामों में मौजूद है। क्या यह सबसे बड़ा ऐन्टीसोशल काम नहीं है कि ३ सेर का गेहूं खरीद कर १ सेर ६ छटांक का बेचा जाय ? मुल्क को सबसे बड़ी टी० बी० की बीमारी दे रही यही चीज है। लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। जैसे हमारे लिये पानी और हवा की जरूरत है वैसे ही अनाज की भी जरूरत है और अगर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाने वाली सरकार जुए के मुताबिक हिन्दुस्तान के व्यापारियों को छूट देती है कि वे बैंकों से रुपया लेकर गोदामों में अनाज रखे रहें, तो मैं ऐसी सरकार को समाजवादी सरकार कहने के लिये तैयार नहीं हूं। आप होर्डर्स के बारे में मालूम कीजिये। भुवनेश्वर में चर्चा चली कि जितनी भी चावल और आटे की मिलें हैं सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। क्या इससे समाजवाद आवेगा हिन्दुस्तान में ? गांव-गांव में एक, एक बेचारा चक्कीवाला बैठा हुआ है, क्या उसके अंदर सोशलिज्म आवेगा ? आज बिरला और टाटा ७०० करोड़ रुपये की दौलत रखे बैठे हैं। ४५ करोड़ के अन्दर ४० करोड़ किसानों के तमाम बैल और उनके इम्पलीमेंट्स जो हैं उनकी भी कीमत शायद इतनी न होगी। तो क्या यह हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं ? क्या आज हमारी खाद्य समस्या हल हो सकती है जब कि अमरीका के ऊपर नेगी साहेब की निगाह है ? यहां के काश्तकार को पैसा आप देंगे नहीं, उसका गल्ला लेंगे सस्ते दाम पर, तो कैसे काम चलेगा ? नेगी साहेब का फरमान निकला कि अगर चावल का दाम १० रुपये से कम जायगा तो सरकार खरीदने के लिये तैयार होगी। अगर आप यह ऐलान कर दें कि १५ रुपये पर चवाल सरकार खरीदेगी तो आपको २२०० करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपने तो किसान का एन्थूजिआज्म तोड़ दिया है। गल्ला आपके सामने नहीं आवेगा चूंकि जब फसल होती है तो उसके दाम ठीक नहीं मिलते हैं। हमारे चौधरी साहेब नहीं हैं, चरणसिंह जी। आबपाशी पहले के मुकाबले में कम है। हमारा कितना ही एरिया ऐसा पड़ा हुआ है कि अगर वहां पानी पहुंचा दिया जाय तो बहुत अनाज पैदा हो सकता है और हमारी खाने की समस्या हल हो सकती है। इस समय अगर हमारे यहां फूडग्रेन्स की कमी है तो कोई ताज्जुब नहीं है। केवल घाटों को साफ करने से काम नहीं चलेगा। अगर नालियों में गन्दगी गंगोत्री से आ रही है तो उसे साफ करना होगा। मेरा मतलब है कि बैंकों से रुपया लेकर महाजन गल्ला होर्ड किये हुए हैं, इसलिये आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। ये एक किस्म के कीड़े हैं जो कि किसान के अनाज को खाते हैं। पूंजीपति इनसे रुपया लेकर सस्ते दाम पर गल्ला खरीद कर होर्ड कर लेता है। इस पर सरकार की निगाह जाना जरूरी है।

आपकी कथनी तो वह जो हम कहते हैं और करनी वह है जो माननीय भानु प्रताप जी कहते हैं। इसके द्वारा आप समाजवाद और जनतंत्र को भी बदनाम कर रहे हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये, शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। लेकिन हमारे ऊपर आप डी० आई० आर० लगाते हैं और उसकी वजह से एक माह आराम से जेल में मैं रह आया। ५०० आदमी जेल गये। गुनाह हमने क्या किया था? यह कि लाखों किसान अपन गुड़ को अच्छी कीमत पर बेचने के लिये बाहर ले जाना चाहते थे, वह हमारी नहीं लाखों किसानों की आवाज थी। लेकिन उसके लिये सरकार ने डी० आई० आर० का इस्तेमाल किया। मैं पूछता हूं क्या आप स्टेट ट्रेडिंग करने के लिये तैयार हैं? जितने भी होर्डर्स हैं आप उनको खत्म कीजिये, लेकिन आप जो अपने को सोशालिस्ट कहते हैं इसको भी करने को तैयार नहीं हैं। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोग कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग दोषपूर्ण है, उनका यह कहना गलत है। गंगोत्री का पानी अब उल्टा बहने वाला नहीं है, भारत में सोशलिज्म अब चल कर रहेगा। हमारे देश में जो जमहूरियत चल रही है हम हर कीमत पर उसको बचायेंगे। यही लोग हैं जो इस कोआपरेटिव सोशलिज्म को नाकामयाब करना चाहते हैं क्योंकि केपिटेलिज्म को ये लाना चाहते हैं। इसलिये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो भी सुझाव आवें उनको आप मानिये। मेरा सुझाव यह है कि यू० पी० में ४ करोड़ एकड़ जमीन है जिस पर खेती होती है। प्रत्येक १० एकड़ पर आप एक मेसनरी वैल बनवा दीजिये और उसका पैसा ३० साल में वसूल कर लीजिये। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके अनाज की पैदावार दुगनी हो जायगी। लेकिन आप यह नहीं करेंगे। पुराने कुएं गायब हो रहे हैं, तालाब ऊपर से गायब हो गये हैं, नहरों से पानी लोगों को मिलता नहीं है, बड़े साहब कहते हैं खेती से हमको क्या मतलब? फिर भला अनाज की कमी क्यों न हो। इसलिये सरकार को बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिये। अगर होर्डर्स ज्यादा दाम पर बेचें तो उन पर मुकदमा चलाइये और किसानों को गारंटी दीजिये कि उसका गल्ला इतने दामों पर बिकेगा। बस दो सालों के लिये उसको तेज दाम दिला दीजिये, दो साल के बाद उसका दाम अपने आप गिर जायगा। आशा है सरकार मेरे सुझाव को मंजूर कर लेगी।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में दो रायें नहीं हैं कि आज प्रदेश में खाद्यान्न की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत चिन्ताजनक है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि देहाती क्षेत्र में कोई गल्ला किसी कीमत पर भी उपलब्ध नहीं है और जिस भाव पर सरकार ने सीड के लिये गल्ला Registered Seed grower से खरीदा था उससे ५० फीसदी Rates Cereals के ज्यादा हो गये हैं। श्रीमन्, हमें यह सोचना होगा कि इस समस्या का हल क्या है? यों तो खाद्यान्न की कमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दोनों पंचवर्षीय योजनाकाल में रही है और भागीरथ प्रयत्न के बाद भी खाद्यान्न की स्थिति नहीं सम्भल पायी। खेद है कि भारत में खाद्यान्न की कमी उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। १९५१ में ४८ लाख टन गल्ला बाहर से मंगाना पड़ा था जो घट कर १९५५ में ७.१ लाख टन रह गया। फिर सन् १९५६ में इम्पोर्ट बढ़ा और सन् ६० में ५१ लाख टन गल्ला भारत को मंगाना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न की कमी महज उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि सारे भारत में २ पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो जाने के बाद भी खाद्यान्न की कमी है और यह कमी वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आबादी भी बढ़ती जा रही है। जहां तक खाद्यान्न की कमी का प्रश्न है, जहां सारे भारत के लिये यह बहुत ही चिन्ताजनक प्रश्न है वहां उत्तर प्रदेश के लिये यह प्रश्न और भी चिन्ताजनक है। इन दोनों पंचवर्षीय योजना काल में खाद्यान्न के उत्पादन में भारत के सारे राज्यों में जितनी वृद्धि हुई है, वहां सब से कम वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है। १९५५–५६ से १९६०–६१ तक एग्रीकल्चरल इन्कम टोटल उत्तर प्रदेश में केवल १४ प्रतिशत बढ़ा है जब कि गुजरात में ४५ प्रतिशत, केरल में ३१ प्रतिशत, उड़ीसा में १७ प्रतिशत, पंजाब में ४३ प्रतिशत और वेस्ट बंगाल में २६.८ प्रतिशत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न के उत्पादन में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में जरूर अपना टार्गेट हासिल कर लिया

[श्री शिवराजसिंह]

था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल के तीन वर्षों में हर वर्ष उत्तरोत्तर कृषि उत्पादन घटता जा रहा है। सन् १९६१-६२ में जहां हमारा लक्ष्य १४४.१२ लाख टन गल्ला पैदा करने का था वहां १३८.३९ टन ही गल्ला पैदा हो सका। १९६२-६३ में जहां हमारा लक्ष्य बढ़ कर १५३.३४ लाख टन हो गया था, वहां हमारी पैदावार केवल १३२.२७ लाख टन ही हुई। इसी तरह से १९६३-६४ में हमारा लक्ष्य १५६.७४ लाख टन का था लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष मुश्किल से १२५ लाख टन हम पैदा कर सकेंगे। इससे मालूम हो सकता है कि हमारे यहां खाद्यान्न की कितनी कमी है।

खाद्य समस्या को हल करने के लिये हमारे सामने केवल दो पहलू हैं। एक तो यह कि वह कौन से कदम उठाये जांय जिससे तत्काल प्रदेश के जन-साधारण के जीवन संबंधी जितनी भी सुविधायें हैं, उसे प्राप्त हो जांय। दूसरे यह कि वह कौन से कदम उठाये जांय जिससे हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति सम्भल कर भविष्य में प्रदेश को ऐसी स्थिति का मुकाबला न करना पड़े।

जहां तक खाद्यमंत्री व उनके मंत्रालय का संबंध है, मैं उनको सुझाव देता हूं कि इसके फौरी इलाज के लिये वे इस बात की व्यवस्था करें कि आज जितना गल्ला प्रदेश के व्यापारियों के पास है वे अपने अधिक लाभ कमाने के लिये ज्यादा दिनों तक अपने पास न रोक पायें। उनकी रिटेंशन कैपेसिटी घटे। इसके लिये आवश्यक है कि बैंको द्वारा, कम क्रेडिट सीरियल्स पर लगाये जांय ताकि ज्यादा दिनों तक होडिंग करने की उनकी कैपेसिटी घटे जिससे वे मजबूर हों कि जितना गल्ला उनके पास है उसे वे जल्द से जल्द बाजार में बिकने के लिये ले आवें और ज्यादा गल्ला न इकट्ठा कर पावें। इसी प्रकार जितने वेयर हाउसेज हैं प्रदेश के अन्दर उनके अन्दर अधिकतर व्यापारी लोग ही अपना गल्ला रखते हैं और किसान बहुत ही कम संख्या में अपना गल्ला वहां रख पाते हैं। उसमें ७५ प्रतिशत दाम पर वहां गल्ला रखने की सुविधा मिली हुई है। मेरा अनुरोध है कि जबतक यह खाद्य समस्या है तबतक वेयर हाउसेज में ट्रेडर्स का गल्ला न रखा जाय ताकि उनकी गल्ले को रोकने की क्षमता घट जाय और वह गल्ला भी निकल कर बाजार में आ जाय। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बीच में बहुत से ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे जन साधारण को इम्पोर्टेड गेहूं और आटा मिल सके, लेकिन चूंकि इन फेयर प्राइस शाप्स से भी बहुत-सा आटा और गल्ला अन्डर ग्राउन्ड चला गया इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार डी० आई० आर० में आर्डर निकाले कि निश्चित मात्रा से ज्यादा गल्ला या आटा एक जगह इकट्ठा करना जुर्म होगा। कोई वजह नहीं कि एक परिवार ढाई मन से अधिक अनाज अपने यहां जमा करे जब कि फेयर प्राइस शाप हर जगह खुली हुई हैं और आगे भी खुली रहेंगी। इस तरह से जो अनाज अन्डर-ग्राउन्ड जा रहा है वह न जा सकेगा। फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा सफल होने के लिये सिद्धान्त सामने रखने चाहिये, एक तो यह कि गल्ले के दाम तब गिरते हैं जब कि फेयरप्राइस शाप्स काफी मात्रा में खोली जांय और अगर यह दूकानें आबादी के लिहाज से कम होंगी तो उस का कोई असर दामों के गिरने पर नहीं होगा बल्कि उससे और पैनिक फैलेगा और गल्ला स्टोर करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि इन फेयर प्राइस शाप्स के खुलने के बाद उन पर गल्ला आवश्यकता के अनुसार पूरा आना चाहिये। अगर वह खोली गईं और पूरा गल्ला न पहुंचा और कम गल्ला होने के कारण पैनिक फैला तो मांग और बढ़ती है और कीमतें और बढ़ती हैं। इसलिये ज्यादा संख्या में फेयर प्राइस शाप्स खोली जांय और यूनिफार्मली खोली जांय, हर क्षेत्र में खोली जांय और गल्ले की सप्लाई उन पर पर्याप्त और रेगुलर हो।

इसके अतिरिक्त इस समस्या के हल में कृषि मंत्रालय भी काफी मदद कर सकता है। जायद फसल पैदा करने का फौरन ही एक अभियान जारी किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में कृषि विभाग अवश्य कदम उठाये। लेकिन जहां तक लान्ग रेन्ज पालिसी की बात है उसको हल करने के लिये मेरा अनुरोध है कि हमारे यहां स्कीम्स की कमी नहीं है। कोई विषय कोई

माननीय सदस्य नहीं बता सकते जिसके संबंध में एग्रीकल्चर प्रोग्राम में आज भी कोई स्कीम मौजूद न हो। मैंने एग्रोकल्चर प्रोग्राम में ६५४ स्कीम्स गिनी हैं लेकिन फिर भी खाद्यान्नों की पैदावार हर वर्ष गिर रही है। इसका कारण क्या है? कहा जा सकता है कि प्राकृतिक सहयोग नहीं मिलता, और दैवी आपदायें हैं जिनके कारण फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन जिन नार्म्स से, जिन जरायों से हम ने कृषि की पैदावार को बढ़ाया है उनमें भी काफी शार्टफाल हुआ है। यह सन् १९६१–६२ का एग्रीकल्चर प्रोग्राम है। सरकार ने यह निश्चय किया कि ८.७ लाख टन गल्ला अधिक पैदा किया जायगा और मोटे मोटे ८ नार्म्स उसके लिये तैयार किये गये और ४.०७५ टन अतिरिक्त गल्ला अतिरिक्त फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पैदा होने की बात थी लेकिन केवल ९ प्रतिशत अतिरिक्त फर्टिलाइजर बांटा गया और इस तरह से ९१ प्रतिशत शार्टफाल हुआ। फर्टिलाइजर के बंटवारे में तो स्वाभाविक है कि अगर प्रकृति भी सहयोग देती तो ५० फीसदी का ९१ परसेंट यानी ४५,४६ परसेंट शार्टफाल हमारी पैदावार में होना केवल इसी कारण से स्वाभाविक था। इसी प्रकार १९६२–६३ में अतिरिक्त फर्टिलाइजर्स केवल २५ फीसदी बांटे गये। शार्ट फाल हुआ ७५ फीसदी। किसी भी साल इतने महत्वपूर्ण काम में शार्टफाल्स हों और वह भी दोहराये जांय यह दुख की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि जब शार्टफाल्स होते हैं, चाहें कृषि विभाग में हों, चाहे किसी अन्य विभाग में हों तो, जिम्मेदार कर्मचारियों के लिये क्या सजायें दी जाती हैं? मेरी जानकारी है कि सिवाय कृषि विभाग के किसी भी विभाग में किसी भी क्लास १ अफसर को कोई सजा आज तक नहीं दी गई। माइनर इरीगेशन की बात माननीय बलवान सिंह कह रहे थे। मैं बताऊं कि ६१–६२ में ४७.२ परसेंट अचीवमेंट हुआ। इंस्टालेशन आफ परशियन वील्स में केवल ४६.८, बोरिंग आफ वैल्स में ३८.६ परसेंट, रिपेयर आफ डेरीलिक्टेड वैल्स में ७.४ परसेंट। वर्ष, प्रतिवर्ष इसी तरह से शार्ट फाल्स होते जा रहे हैं। लखनऊ डिवीजन में मेसोनरी वैल्स में २३.८ और बोरिंग आफ वैल्स में केवल १८.२ परसेंट लक्ष्य प्राप्त हुआ। मैं जानना चाहता हूं जो कमिश्नर या डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर इसके लिये जिम्मेदार हैं उन्हें क्या सजायें दी गईं? आवश्यकता है कि सरकार का ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप मजबूत होना चाहिये और जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिये। कैबिनेट की प्रोडक्शन सब कमेटी १९६२ में बनायी गई, उसके फैसले को सवा साल हो गया, उसके बहुत से महत्वपूर्ण फैसले आज भी शैल्व्ड हैं। उसने तय किया था कि सीमेंट में सिविल डिफेंस के बाद टाप प्रायरिटी मैसीनरी वैल्स को दी जायगी। क्या यह सही नहीं है कि १९६३ के अन्त तक केवल २५ फीसदी सीमेंट ही माइनर इरीगेशन और प्लानिंग के लिये दिया जाता रहा है और ७५ फीसदी और चीजों को? कैबिनट की इसी स्कीम को लागू न करने के लिये जो सेक्रेटरी या डेवलपमेंट कमिश्नर जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिये। इसी प्रकार से यह तय किया गया था कि ट्यूब वैल्स के अन्दर अब रिपेयर्स नहीं की जायंगी, पार्ट्स का रिप्लेंसमेंट होगा, जितने पार्ट्स खराब होंगे वह बदले जायेंगे। मैं अपनी कांस्टीटूएंसी में देख कर आ रहा हूं कि दसियों कुएं हफ्तों बंद रहे हैं। इरीगेशन सेक्रेटरी का हुक्म चीफ इंजीनियर को मौजूद है कि १५ अक्टूबर को इस प्रदेश के सारे ट्यूब वैल्स चालू हालत में होने चाहिये। मैंने अपने जिले में पूछा कि आपको कोई विशेष अहकाम इस संबंध में मिला है? तो हमारे यहां के इंजीनियर ने कहा कि हमारे पास कोई पत्र ऐसा नहीं आया है। और मैंने उनको १० कुएं बताये जो ३० नवम्बर तक चालू अवस्था में नहीं आये थे। इससे जाहिर होता है कि कैबिनट के आर्डर्स की तामील सेक्रेटरियट में जिस ढंग से होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। सेक्रेटरीज के आर्डर्स की तामील नहीं हो रही है, चीफ इंजीनियर के आर्डर्स की तामील जिस सतर्कता से होनी चाहिये जिले में वह नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि सरकार का ऐडमिनिस्ट्रेटिव grip विशेष तौर से कृषि उत्पादन पर तथा उससे संबंधित कामों पर बढ़ना चाहिये। प्लानिंग कमीशन का सुझाव था कि कृषि जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय का मंत्री या तो मुख्य मंत्री होना चाहिये या वह पोर्ट फोलियो अपने पास रखना चाहिये। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में यह सम्भव नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिवाज है कि कई प्राइम मिनिस्टर्स ने कई विभाग के लिये सुपरवाइजिंग मिनिस्टर्स रखे हैं, नान-डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स रखे

[श्री शिवराजसिंह]

हैं। आज तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूडलिज्म बढ़ती जा रही है। कृषि को आज तो प्रायरिटी मिलना चाहिये उसके लिये आवश्यक है कि जो भी कृषि मंत्री हो उनको मुख्य मंत्री सुपरवाइजिंग मिनिस्टर का स्टेटस दें और बाकी मिनिस्टर्स, जिनका सम्बन्ध कृषि के उत्पादन से हो उन पर तथा उनके विभागो पर कृषि मन्त्री का नियन्त्रण पूर्णरूप से होना चाहिये।

†श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस खाद्य समस्या पर हम इस सदन में विचार कर रहे हैं वह एक काफी गंभीर समस्या है और मेरा निश्चित मत है कि हमारे राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गल्ले का इतना बड़ा संकट पैदा हुआ, कीमतों के बढ़ने का संकट पैदा हुआ और उसका सामना इस प्रदेश की सरकार व जनता को करना पड़ रहा है। इस बात को सभी महसूस करते हैं कि आज हमारे राज्य के अन्दर जो गम्भीर संकट आया हुआ है उसका मुकाबला सभी को मुस्तैदी के साथ करना है। अगर जल्दी से जल्दी हमने इस संकट का मुकाबला नहीं किया तो आज जो विस्फोटक स्थिति हमारे राज्य के अन्दर पैदा हो गयी है जिसके फलस्वरूप फूड रायट्स हुए हैं। यह स्थिति अगर बढ़ती गयी तो मैं समझता हूं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी जिससे किसी को प्रसन्नता नहीं होगी। आज जो स्थिति है उसको गंभीरता के साथ आंकना चाहिये और उसके लिये कदम उठाना चाहिये। आज इस बात का अवसर नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप करें और हम एक दूसरे पर राजनीतिक हमला करने की कोशिश करें और एक दूसरे का मजाक और मखौल उड़ाने की कोशिश करें। जे० पी० मिश्रजी ने इस सदन में यह कहा कि आज इस संकट को पैदा करने के लिये एक षड़यंत्र है और उन्होंने कहा कि उस षड़यंत्र में विरोधी दल की कुछ पार्टियां हैं और सत्तारूढ़ दल को हटाने के लिये यह षड़यंत्र किया जा रहा है। मैं सहमत हूं कि जो संकट है उसके पीछे एक षड़यंत्र है, लेकिन उसको उन्होंने गलत जगह देखने की कोशिश की है। विरोधी दल द्वारा वह षड़यंत्र नहीं रचा जा रहा है बल्कि वह षड़यंत्र इस प्रदेश के ट्रेडर्स और सरकार के करप्ट अधिकारियों का षड़यंत्र है आज दोनों मिल बैठे हैं और उस षड़यंत्र को उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर पैदा किया है जिसके फलस्वरूप यह गंभीर स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर पैदा हो गयी है और इतना बड़ा फेमीन यहां उत्पन्न हो गया है और अचानक यह हालत आ गयी कि १ सेर ५ छंटाक का गेहूं और १२ छंटाक की दाल बिक रही है। सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।

मैं खाद्य मंत्री को इसलिये चार्ज नहीं करता कि वह इन परिस्थितियों से अवगत नहीं हैं या इस संकट के समय वह सो रहे हैं। मैं इस बात के लिये चार्ज करता हूं कि जैसा कदम उठाना चाहिये और आज की परिस्थिति से उत्पन्न नीतियों के अन्दर जो मोड़ लेना चाहिये वह किसी भी कारण से हो, वह नहीं उठा रहे हैं, यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बात को बताया जाय कि जो आवश्यक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं उसके लिये कहां तक केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है, कहां तक यह राज्य, शासन प्रणाली और कायदे कानून उसके लिये जिम्मेदार हैं? कौन सी शक्तियां हैं जो उनके ऊपर दबाव डाल रही हैं जिसके कारण वह सख्ती से कदम नहीं उठा रहे हैं? इस प्रदेश के अन्दर गल्ले के बड़े बड़े जखीरेबाज हैं जिन्होंने गल्ले को छिपा रखा है और वे प्रदेश के अन्दर गिरती हुई स्थिति से लाभ उठा रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं उसके लिये यह सरकार जिम्मेदार है। इस संकट को, इस अभाव को मीट करने के लिये इस प्रदेश की सरकार, जो मौजूदा मशीनरी है वह असमर्थ हो रही है। आज सस्ते गल्ले की दूकानों को देहातों के अन्दर खोला गया है, लेकिन वह गल्ला जो सस्ते गल्ले की दूकानों पर जाता है वह उनके लिये उपलब्ध नहीं होता जिनके लिये वह

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूकानें खोली गयी हैं। फर्जी रजिस्टर में नाम दर्ज होता है और वह गल्ला सीधे चोरबाजारी में चला जाता है। शहरों के अन्दर कार्ड बने हैं, उनपर गल्ला ईशू होता है, लेकिन देहात में ऐसा नहीं होता। वहां खुलेआम चोरबाजारी होती है और आपकी अपनी मशीनरी निकम्मी साबित हुई है इसको रोकने के लिये और उसने ऐसी स्थिति जानबूझ को पैदा की है। आज जो हमारे प्रदेश का सप्लाई विभाग है, अपवाद हो सकते हैं कि कोई सप्लाई आफिसर ईमानदारी से काम करते हों, उस विभाग के कुछ कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हों, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बड़े-बड़े व्यापारियों से सांठ-गांठ आज इस विभाग के कर्मचारियों ने की है और इसी का परिणाम है कि आज यह स्थिति है। खाद्य मंत्री को एक नहीं अनेक बार हम लोगों ने उदाहरण दिये। अभी मैं मुजफ्फरनगर से लौटकर जब आया तो मैंने उनसे वहां के सप्लाई आफिसर के बारे में कहा कि वहां की आम जनता की और वहां कांग्रेस के नेताओं की भी यह शिकायत है कि वह आदमी ईमानदार नहीं है। उन्होंने उसका ट्रांसफर कर दिया लेकिन कोई स्ट्रांग पनिशमेंट नहीं दिया। They have taken a new lease of life एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच गये और वहां जाकर लूट मचा दी। आज ऐसी आवश्यकता है कि जो ऐसे अधिकारी हैं जो आज प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इस हुकूमत को बदनाम करने के लिये तैयार हैं, जो जनता को भूखों मार रहे हैं, जो लुटेरों और मुनाफाखोरों को मुनाफा दिलाने के लिये तैयार हैं उनको प्रासीक्यूट कीजिये, उनको सजा दीजिये और कुछ उदाहरण पेश कीजिये जिससे जो स्थिति है उसमें सुधार हो।

श्रीमन्, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज जो शासन की मौजूदा प्रणाली है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है। आपने कहा कि गेहूं में चोरबाजारी बन्द करने के लिये मिलों को हम आटा देंगे ताकि वह आटा तैयार करें और वह आटा लोगों को बड़े पैमाने पर मिल सके। लेकिन आज आटा के मिल मालिकों में स्वयं मुनाफाखोरी की बड़ी भारी प्रवृत्ति है और मुनाफाखोरी करने में और चोरबाजारी करने में आज उनका सबसे बड़ा हाथ है। माननीय हुकुमसिंह जी के जिले बहराइच की एक बड़ी मिल है आटे की वह इतनी बड़ी चोरबाजारी का अड्डा है कि जो विधायक हैं वह सब जानते हैं। जो गेहूं वहां जाता है उसकी सूजी निकाली जाती है और उसका अच्छा आटा निकालकर चोरबाजारी में ३८ रुपये कुछ नये पैसे में न बेंचकर ५० रुपये मन में बेचा गया खुले आम। आज यह स्थिति है। इस से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज यह स्थिति इस सूबे में है। खाद्य मंत्री ने कई बार यहां कहा कि वह डी० आई० आर० का इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकेंगे। कानपुर के अन्दर १० दिन पहले शिकायत हुई। ६ व्यापारी पकड़े गये। वहां के व्यापारियों ने उसके विरोध में हड़ताल की और वहां के अधिकारियों ने उनको छोड़ दिया। अगर इस तरह से आप चोरबाजारों के आन्दोलनों पर घुटने टेक देंगे और मुनाफाखोरों के सामने इस तरह से सिर झुकायेंगे तो फिर यह स्थिति और विषम होगी। हमारी भूख हड़ताल के बारे में मजाक उड़ाई गई। हमें भूख हड़ताल करने में खुशी नहीं होती। हम जानते हैं कि हम भूख हड़ताल करके गेहूं नहीं ला देंगे हम जानते हैं कि भूख हड़ताल करके हम आटा नहीं दे देंगे, लेकिन हम जनता के सामने आपकी कमजोरियों को लाना चाहते हैं जिससे आपकी नीति में परिवर्तन हो और उसके लिये जो भी शान्तिपूर्ण आन्दोलन आवश्यक होगा, करेंगे और भविष्य में बराबर करते रहेंगे। आप इसको हल्की फुल्की निगाह से मत देखिये। कहा गया कि विरोधी दल जनता का मनोबल तोड़ना चाहता है। ऐसी बात नहीं है। विरोधी दल तो महंगा गल्ला नहीं बिकवा रहा है, विरोधी दल तो चोरबाजारी नहीं करवा रहा है। आज इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। विरोधी दलों ने इस चीज को महसूस किया है और सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि उसको जो आवश्यक कदम है वह उठाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि आज हमारे सूबे में जो खाद्य संकट पैदा हुआ है उसका मौलिक नीतियों से भी सम्बन्ध है और उस उन नीतियों की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। एक कृषि प्रधान राज्य होते हुये भी कृषि का जितना उत्पादन हम चाहते हैं वह नहीं

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हो पा रहा है, जिस गति से आबादी बढ़ रही है उस गति से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो क्या आज उन नीतियों में मोड़ देने का वक्त नहीं है, जिसको लगातार हमने कहा है कि जब तक जमीन का मालिक जमीन जोतने वाला नहीं बनेगा तब तक अन्न की पैदावार नहीं बढ़ेगी। हदबन्दी कानून इस प्रदेश ने लागू किया। लेकिन वह निकम्मा साबित हुआ। जमीन जोतने वाले को एक बिस्वा भी जमीन नहीं मिलती। आप जाइये मुजफ्फरनगर में, तराई के इलाके में, बड़े-बड़े फार्म वाले हैं जिनके पास हजार एकड़, पांच सौ एकड़ जमीन है। आज वे मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन गरीबों को जमीन नहीं मिल पा रही है। कृषि नीति के अन्तर्गत आप सहकारी नीति अपनायेंगे या नहीं, आप बड़े कृषकों की रक्षा करेंगे या छोटे किसानों को जमीन देंगे, आपकी सिंचाई की क्या नीति होगी, बड़े-बड़े डैम्स बनायें या सिंचाई के छोटे-छोटे साधन बढ़ायेंगे, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े-बड़े डैम्स से सिंचाई देंगे तो आप बनाइये, उन पर पैसा खर्च करिये और अगर आप समझते हैं कि छोटे साधनों से हम उनकी मदद करेंगे तो आप सीधे-सीधे उस रास्ते पर चलिये। एक कन्फ्यूजन की नीति जो इस शासन की है वह इस क्षेत्र में भी मौजूद है। आज किसान पैदा करता है लेकिन उसको वाजिब दाम नहीं मिलते। किसान आज खेती को घाटे का व्यापार समझता है और वे देहातों को छोड़ कर शहरों में जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस बात की मांग करता हूं कि सरकार अपनी मूल्य नीति निर्धारित करे और किसान जो चीज पैदा करता है, उसके उत्पादन में और बाजार में बिकने के दाम में १० प्रतिशत से ज्यादा का अन्तर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमने जिलों में विजिलेन्स कमेटियां बना दी हैं जिनमें बैठ कर माननीय सदस्य विजिलेन्स कमीशन की तरह से काम कर सकते हैं। वास्तविकता पर पर्दा डाल कर घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। इस सदन के माननीय सदस्य जिलों के अन्दर बैठकर विजिलेन्स कमीशन का काम नहीं कर सकते। वे यहां बजट सेशन अटेंड करेंगे, राजनीतिक और दूसरे काम करेंगे या आपकी विजिलेन्स कमेटी में बैठ कर काम करेंगे। ठीक है, वे मदद करेंगे, लेकिन जिस मशीनरी से काम लेना है पहले उसको दुरुस्त करिये। अगर मौजूदा मशीनरी से काम नहीं चल सकता, जैसा कि आप कहते हैं कि स्केलिटन स्टाफ ले कर चल रहे हैं तो आप उसको बढ़ाइये। आज इस संकट का सामना पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक कर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय संकट की बेला में पूंजीपतियों ने लाभ उठाने की कोशिश की है। उनके सामने न देश का हित है, न समाज का हित है, और न राष्ट्र का हित है। उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमायें। इसलिये मैं मांग करता हूं कि आप राज्य में स्टेट ट्रेडिंग की नीति अपनाने के लिये एक ऐसी सक्षम मशीनरी बनाने के लिये कदम उठाइये ताकि राज्य में स्टेट ट्रेडिंग लागू हो। मैं इस बात की भी मांग करता हूं कि आप बड़े पैमाने पर सहकारी उपभोक्ता भंडार खोलिये जिसमें जनता का सहयोग हो, जनता द्वारा स्वयं उसके सामानों के क्रय-विक्रय करने की व्यवस्था हो। श्रीमन्, आज ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनके ऊपर खाद्य मन्त्री और सरकार को ध्यान देना होगा। मैं उनकी मजबूरियों को भी जानता हूं और बहुत से सी चीजें हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अन्दर भी वह काम नहीं कर पाती है। उन्नाव में धान पर प्रतिबन्ध लगा है। अगर काश्तकार चावल लेकर कानपुर जाते हैं तो उनको सिपाही को २५ रुपया देना पड़ता है जो पुल पर रहता है। इस तरह का खुला भ्रष्टाचार सारे सूबे में व्याप्त है जो देश में ऐसी विषम स्थिति पैदा कर रहा है। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम इस संकट में राजनीति नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन हम चिन्तित हैं कि सरकार परिस्थिति का सही मूल्यांकन करके कोई कदम उठाये। अगर आपकी कमजोरी दिखाई देगी, आपकी नीतियों में मोड़ नहीं आयेगा और लुटेरों के सामने घुटने टेकेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, आन्दोलन करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप वही रास्ते पर चलें वरना आपको इस प्रदेश की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। आपके पास साधन होते हुये भी, गल्ला होते हुये भी अपनी करप्ट मशीनरी के कारण और पूंजीपतियों की साजिश की वजह से आपने घुटने टेक दिये और जनता को महान संकट

में डाल दिया। मैं प्रार्थना करूंगा कि किसानों का लगान माफ करें, वसूली भी बन्द की जाय और टेस्ट वर्क्स चालू किये जायं जिससे गरीब जनता को साधन मिल सकें और वह मजदूरी करके अपनी जीविका चला सकें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

अधिष्ठाता महोदय, जिन बातों पर प्रकाश डाला गया है उनको बार-बार दुहराकर सदन का समय जाया करके मुल्क को हानि पहुंचाना है। मैं समझता हूं कि नये विचारों को सदन में स्थान मिलना चाहिये और नये-नये दृष्टिकोण को फूड प्राब्लम के ऊपर रखा जा सके, उसके लिये समय मिलना चाहिये। हमारी फूड प्रोब्लम के दो आसपेक्ट्स हैं। एक तो पैदा करना और दूसरे उसका वितरण करना। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय, केन्द्रीय सरकार पर नाज करते हैं कि उन्होंने प्रदेश को खाना खिलाया है, और अमरीका तथा दूसरे देशों से अनाज लेकर, इसके लिये मैं उनको कभी वधाई नहीं दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे देशवासी इन १६ सालों में जो अनाज की कमी है और जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति कर सकेंगे। यह वह मेरा विश्वास गलत साबित हुआ। मैं अपील करना चाहता हूं कि हम इन विचारों को और भावनाओं को देश में बढ़ायें। हम अपनी बुद्धि को न बहा दें और पार्टीबाजी में मुल्क को खत्म न कर दें। अलग-अलग राजनीतिक संस्थाओं में बंटकर मुल्क को समाप्त न कर दें। यहां पर हम और आप कांग्रेस और विरोधी दलों में बंटे हैं लेकिन क्या आपकी बुद्धि में यह बात नहीं समाती है कि भूख जो पेट में होती है उसको शान्त करने में क्या आप लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं? हरगिज नहीं। इसलिये हमको इस समस्या को मुल्क के दृष्टिकोण से देखना होगा। यहां चापलूसी की जरूरत नहीं है। जो समझते हैं कि हम मिनिस्टर साहब को खुश करके परमिट ले सकते हैं वह मूर्ख हैं। इस सदन में इस प्रकार के भाषणों की जरूरत नहीं जो मुल्क को गड्ढे में ले जायं। जरूरत है ठंढे दिल से सोचने की। मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप आंकड़े देखिये जो अनाज बाहर से आता है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यह इस बात का सबूत है कि हमारे देशवाशी निठल्ले बन गये हैं। इसका आर्थिक पहलू भी है। जिन्होंने इकोनामिक्स की स्टडी की है, वह समझ सकते हैं। अमेरिका का डालर इसके लिये रेस्पांसिबिल है। आप ब्लाकों में देखते हैं, क्या तमाशा है? इस मुल्क का इन्सान सोचता नहीं है, दिमाग होते हुये भी उसका दिमाग शून्य हो गया है। हमारे नेता भाषण देते हैं कि सेल्फ जनरेटिंग इकोनामी पैदा करो। कैसे हो सकती है? सरकार ने सारा इनीशिएटिव अपने हाथ में लेकर लोगों को निठल्ला बना दिया। हमारा देहात का आदमी समझता है कि सरकार को जरूरत नहीं तो हमको जरूरत नहीं, सरकार देगी तो हम करेंगे। उसका सेल्फ रिलायन्स खत्म हो गया। आपने मूसलाधार पानी की तरह से ब्लाकों में जो रुपया बखेरा उससे लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो गया। जितने वकीलों के दलाल हुआ करते थे, सरकारी अफसरों के दलाल अंग्रेजी जमाने में हुआ करते थे, वह सारी ग्रांटें ब्लाक में हजम कर जाते हैं। आप कहते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ायेंगे। जरा बुद्धि से सोचने का कष्ट करो कि आज कांग्रेस के राज्य में एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस कितनी बढ़ गयी है? माननीय राममूर्ति जी ने देखा होगा। आज छः गुना, आठ गुना ऐग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बढ़ गयी है। माननीय फूलसिंह ने बहुत ठीक कहा। उन्होंने ८० प्रतिशत कहा, कम कहा, १० प्रतिशत और है। गरीब लुट रहा है। उसका कर्जा बराबर बढ़ता जा रहा है। २५ सैकड़ा सूद पड़ता है। हमने कैलकुलेट कर रखा है, थर्ड क्लास की अरिथमेटिक्स से। आपने ऐग्रीकल्चरिस्ट की इन्डेटेडनेस को बढ़ा कर मुल्क को तबाह कर दिया है और जो इस पर नाज करता है वह मुल्क को धोखा देता है। बुद्धि से सोचिये, आंख से देखिये। हम आपको छोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के साथियों को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने देश को, हिन्दुस्तान के ४० करोड़ निवासियों को नहीं छोड़ सकता। भले हम कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, हम गलत बातों को छोड़ सकते हैं लेकिन देश का हित नहीं छोड़ सकते। जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं चाहे वह फार्म बहुत पैदा करते हों लेकिन यह यकीन रखिये कि यह मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि हिन्दुस्तान का भविष्य बोल रहा है कि उन सब लोगों को यह हिसाब-किताब

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

देना पड़ेगा। जिन लोगों ने मुल्क की पूंजी को चुराकर बड़े-बड़े फार्म को बनाया है उन सब लोगों को यह हिसाब देना पड़ेगा। इस बात में किसी को भी जरा शक करने की गुंजायश नहीं है।

श्री अधिष्ठाता --

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) --

अधिष्ठाता महोदय, आज सूबे में खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर विवाद हो रहा है। माननीय रावत जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकारी पार्टी के लोगों को अकल आ गई है और अक्ल आनी भी चाहिये। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि पाले की बात जो यह सरकार करती है यह तो इस फसल की बात है, लेकिन सरकार को जितना अन्न इस प्रदेश के लिये पैदा करने की जरूरत थी वह पैदा नहीं हो सका है, उतना खाद्यान्न यह सरकार पैदा नहीं कर सकी है। जितना लक्ष्य पैदावार को बढ़ाने का इस सरकार ने रखा था वह नहीं बढ़ पाया है। मैं आंकड़ों के जंजाल में जाना नहीं चाहता हूं, पर यह कहता हूं कि इस सरकार ने पैदावार को बढ़ाने के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं अपनाया। सरकार ने किसानों को निश्चित रूप से अच्छा सामान नहीं दिया। किसानों को सिंचाई के साधन नहीं दिये। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छा बीज उनको नहीं दिया गया। किसानों को सारी सुविधा खेती बढ़ाने के लिये नहीं दी जाती है तो ऐसे राज्य की आर्थिक स्थिति इस तरह से हो ही जाया करती है। यह बात हमारे सामने है कि यह सरकार १५,१६ वर्ष से बराबर कहती रही है लेकिन उसके लिये करती कुछ नहीं रही है। अभी यहां से मिश्र जी चले गये। वह उन बातों को भूल गये हैं वह तो इस सदन में इस तरह की बात करते हैं जैसे चीन से लड़ाई की बात करते हों या पाकिस्तान से लड़ाई की बात करते हैं। मिश्र जी यह समझते हैं कि यहां पर यह कांग्रेस सरकार बहुमत के बल पर आई है। सन् १९६२ में जो चुनाव हुआ है उससे यह साबित हो गया है कि कांग्रेस पक्ष को अल्पमत प्राप्त हुआ है और विरोधी दल को ६६ फीसदी वोट, इस प्रदेश में प्राप्त हुआ है। इस चुनाव के बाद जितने भी उप चुनाव हुये हैं उन सब चुनावों में कांग्रेस को कम वोट प्राप्त हुये हैं और उन सब में विरोधी दल के उम्मीदवार जीत कर आये हैं। और मैं आगे के लिये भी कहता हूं, कि १९६७ में जो चुनाव होने वाला है उस समय आपको मालूम हो जायगा कि क्या तस्वीर इस प्रान्त की होगी? मिश्र जी जैसे लोगों की तो जमानत भी जब्त हो जायगी और उनका पता नहीं लगेगा कि वह कहां हैं।

खाद्यान्न की पालिसी के बारे में सरकार ने जो नजरिया अपनाया है अगर उस नजरिये के मातहत वह पूंजीवादी नियन्त्रण कर रही है तो नेगी जी ठीक कर रहे हैं। पूंजीवादी समाज के नियन्त्रण में हर जगह इस तरह का तरीका होता है, इस तरह से चोरी होती है, इस तरह से लूट होती है। अगर यह सरकार उस पूंजीवादी के लिये पूंजीवादी समाज की रचना करना चाहती है तब तो यह सरकार ठीक कर रही है लेकिन अगर समाजवादी नीति की बात करते हैं तो १६ साल पहले जब अंग्रेज सरकार यहां से खत्म हुई तो उस समय आपको एक निश्चित दाम नीति अख्तियार करनी चाहिये थी। समाजवादी खयाल के भाषण तो हुये लेकिन उनमें दाम नीति नहीं बतलाई। सोशलिस्ट पार्टी ने, डा० राममनोहर लोहिया ने इस देश में और सोशलिस्ट पार्टी ने इस सदन में समाजवादी सिद्धान्त को लेकर बारबार यह कहा है कि दैवी प्रकोप भले ही हो जाय, यह तो अलग की बात है लेकिन जितना आप पैदा करते हैं उसका सही रूप से नियन्त्रण किया जाय। यह सब जानते हैं कि इधर आपकी पैदावार बराबर घटी है। इसका कारण दैवी प्रकोप हो सकता है। लेकिन पैदावार हुई उसके लिये आपने दाम नीति को नहीं अपनाया। एक काश्तकार पैदा होने पर अपना गेहूं १६ रुपये मन बेचता है लेकिन जब उसको होली के अवसर पर जरूरत पड़ती है तो वह उसी गेहूं को ३२, ३३ रुपये मन खरीदता है। कारखाने से जो सामान बना हुआ वह खरीदता है वह भी दुगुनी, तिगुनी कीमत पर खरीदता है। यह समाजवादी

सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता है और न समाजवादी समाज की बात हो सकती है। सरकार को एक फसल से दूसरी फसल आने तक जो भाव हो उसमें इतना अधिक अन्तर नहीं होने देना चाहिये। १६ रुपये मन काश्तकार का गेहूं बिके तो होली के अवसर पर उसे वह गेहूं साढ़े १८ रुपये मन से ज्यादा का नहीं मिलना चाहिये। अगर यह नहीं होता तभी यह रायट होते हैं, यह हल्ला मचाया जाता है, और तभी जनता परेशान होती है। नेगी साहब ने कहा कि गल्ले की को कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात केवल इसलिये कही जाती है कि जनता का धीरज न टूट जाय। आप को अपनी जगह बैठ कर यही बात कहनी भी चाहिये, लेकिन मैं देखता हूं कि जहां आपने एक एक जिले में ५०, ६० दूकानें खोलने की बात कही है, वहां मेरे क्षेत्र में ही कुल २० या २५ दूकानें खुल पायीं हैं। वह क्षेत्र डेढ़ लाख जन संख्या का है। सारे दिन उन दूकानों पर दो, तीन हजार आदमियों की भीड़ लगी रहती है। १८ तारीख को मैं अपने क्षेत्र में था। वहां एक दूकान पर दो हजार आदमियों की भीड़ सुबह सात बजे से ले कर तीन बजे तक लगी रही, और उसके बाद भी बहुत से लोगों को गल्ला नहीं मिल पाया। मैं नेगी साहब को बतलाना चाहता हूं कि आप इस मामले की तहकीकात कराइये। उन दो हजार आदमियों की लाइन में एक गर्भवती महिला भी थी और अपनी आंखों देखी बात मैं कहता हूं कि उस भीड़ में ही परेशानी के कारण उसे गर्भपात हो गया। यह आपकी खाद्यनीति है। यह आपके पूंजीवादी नियन्त्रण का परिणाम है और इसमें यहीं होता रहेगा। हम कहां तक कम्प्लेन्ट करें। सरकार कुछ सुनती ही नहीं। मैंने इसी सदन में कहा था कि मथुरा में फूड ऐन्ड वेजीटेबिल प्राडक्ट कम्पनी के मालिक को चीनी मिलती है और वह उसका ब्लेक करता है। वह मिल मालिक करोड़पति है। जब उसके लिये शिकायत की गयी तो नेगी साहब ने उसकी जांच उसी डी० एस० ओ० से कराई कि जो सीमा पर गुड़ के तस्कर व्यापार में लाखों रुपया कमा रहा है। मथुरा के जिला अधिकारियों ने इस तस्कर व्यापार में लाख, लाख रुपया रोज तक कमाया है। माननीय नेगी जी मुझे उस शिकायत के उत्तर में लिखवाते हैं कि उक्त मामले की जांच के फलस्वरूप यह पता चला कि उसमें लगाये गये आरोप बिलकुल निराधार हैं। मैं तो कहूंगा कि यह सरकार ही बिलकुल निराधार है। ऐसी सरकार से क्या आधार की बात जानी जा सकती है?

श्री अधिष्ठाता —

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदन में बातें बहुत हो रही हैं। कृपया शान्ति रखें।

श्री राधेश्याम शर्मा —

अगर इसमें कुछ समझ होती तो इतनी भुखमरी, भ्रष्टाचार, जोरजुल्म और बेकारी यहां नहीं रह सकती थी। जब रोज-रोज हम वही बातें कहते हैं तो सरकार कहती है कि विरोधी सदस्य तो कोई नयी बात कहते नहीं। आप पुरानी रटी हुई बातें कहने का हमें मौका ही क्यों देते हैं? आपने पिछले साल हमारे बहुत हल्ला मचाने पर मन्त्रिमन्डल में कमी की। आपका इस साल सुरक्षा सा बड़ा मन्त्रिमन्डल नहीं है। अगर आप कोई सही काम करते हैं तो उसके लिये आपकी तारीफ ही की जाती है, उसके लिये चिल्लाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं, तो जरूर कहा जायगा। मैं तो समझता हूं कि यह सरकार पूंजीवादी, साम्राज्यवादी सरकार है इससे और कठिन शब्द मुझे इसके लिये नहीं कहना है। विरोधी पार्टी के लोग यहां जागरूक हैं इसीलिये कहते रहते हैं। डेमोक्रेसी में सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष गाड़ी के दो पहियों की तरह से रहते हैं। मैं तो विरोधी पक्ष के लोगों से कहता हूं कि इस सरकार को हटाने के लिये, इसकी साम्राज्यवादी सामंतवादी और नौकरशाही परम्परायें समाप्त करने के लिये एक महायज्ञ रचो और उस यज्ञ की पूर्णहुति १९६७ में, आम चुनाव में हो, उसके बाद आप देखेंगे कि यह ठाकुर साहब हुकुम सिंह अपनी तुर्रेदार टोपी पहन कर यहां नहीं बैठ पायेंगे और नेगी साहब भी यहां नहीं आ पायेंगे और फिर यहां आ कर समाजवाद की स्थापना करो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) —

अधिष्ठाता महोदय, जिस समस्या पर सदन में विवाद चल रहा है उस पर मैंने कई माननीय सदस्यों के विचारों को सुना। मान्यवर, आज जो परिस्थिति है, निःसन्देह वह बड़ी जटिल है....

श्री अधिष्ठाता —

आप लोग शान्ति रखें।

श्री रणबहादुरसिंह —

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने खयालात इस परिस्थिति के सम्बन्ध में पेश किये हैं, उन खयालों से, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों अथवा उधर के, सभी एकमत हैं और उनमें किसी को सन्देह नहीं है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाय ? मुझे परेशानी हुई जब मैंने एक माननीय सदस्य के द्वारा यह सुना कि यह संकट जो पैदा हो गया वह केवल समाजवाद के नाम पर हो गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो हमारी प्लानिंग है, हमारी नीति है, उसके कारण यह हुआ। माननीय चन्द्रजीत जी ने जो बातें कहीं, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। यह संकट तीन कारणों से सामने आया। पहला कारण है नीचे के कर्मचारी, दूसरे मुनाफाखोर तथा तीसरा पाला। इन तीन कारणों से यह संकट आज है। इसने प्रदेश की स्थिति को इतना जटिल बना दिया है।

मैं इस सम्बन्ध में, अधिष्ठाता महोदय, कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि प्रदेश में सस्ते गल्ले की दूकानों को बढ़ाया जाय। दूसरा सुझाव यह है कि जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उनका चेकिंग अच्छी तरह से हो। आज जितना गल्ला हम उनको देते हैं, मेरा विश्वास है, यह ठीक तरह से पूरा का पूरा किसानों तक नहीं पहुंचता। जितना गल्ला जाता है उसका ८० फीसदी बाहर बाजार में चला जाता है और किसानों को वही गल्ला ब्लैक में बाजार से खरीदना पड़ता है। बस की चेकिंग के लिये माननीय नेगी जी ने कहा कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। मैं आपके द्वारा नेगी जी को बतलाना चाहता हूं कि इसके लिये आप ब्लाक्स के कर्मचारियों से मदद लें। उनको यह काम दिया जा सकता है।

मान्यवर, जिस वक्त हमारे देश में संकट आया था लड़ाई का, उस समय केन्द्रीय सरकार के आदेश हुये थे कि प्राइसेज को कन्ट्रोल किया जाय, कीमतें बढ़ने न पायें। मैं अपने जिले की बात बताता हूं। उन्होंने बस्ती जिले के १,१०० बिजनेस मैनों का, बिना छोटे बड़े का ध्यान किये हुये, चालान किया। उसका असर बस्ती जिले पर ही नहीं, सारे प्रदेश पर पड़ा। उसमें जितने भी बी० डी० ओ० वगैरह तथा इस विभाग के कर्मचारी थे, सब को लगा दिया गया। आज वही स्थिति फिर पैदा हो गयी है। जब से यह खाद्यसंकट की स्थिति हमारे प्रदेश में पैदा हुई है, मैं नहीं जानता कि कितने मुनाफाखोरों की गिरफ्तारी हुई। ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आयी। काफी जोर के साथ यह कहा गया कि हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन अब तक क्या कार्यवाही की गयी, वह आज तक हमारे सामने नहीं आयी। हमारे कांग्रेस मंत्रि मंडल की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि विभागों का बटवारा कुछ ठीक नहीं है। कृषि के बारे में ही ले लीजिये। सिंचाई विभाग किसी के पास है तो बीज का वितरण कोई करता है, खाद का कोई करता है, गन्ना किसी के पास है। इससे बड़ी दिक्कत होती है। आज कृषि मंत्री जी जो मौजूद हैं उनके पास बहुत वर्षों से यह महकमा है, उन्होंने किसानों की सारी समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि प्रदेश में ही नहीं, हिन्दोस्तान भर में, चौधरी चरण सिंह जी के दिल में किसानों के लिये जो वेदना है, यह मैं नहीं कहता कि मंत्री जी योग्य नहीं हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सही माने में वे प्रदेश के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैंने प्रोडक्शन को बढ़ाने की उनकी जो योजना है उसको देखा है लेकिन उनकी यह योजना अंधकार में पड़ी हुई है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि वे तमाम

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह की भावनायें जो आपस में पैदा हो गयी हैं उनको भुला दिया जाय और वास्तविक रूप से उनकी उस योजना पर चला जाय, पूरा प्रोडक्शन को बढ़ाने का उत्तरदायित्व चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया जाय, तो अवश्य ही प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ जायगा । लेकिन उनके पास है क्या ? उनको एक तो रिसर्च मिला हुआ है और दूसरे एग्रीकल्चर कालेज मिला हुआ है । यहां इस बारे में और तो ज्यादा कहना नहीं चाहता । लेकिन यह बड़े दुःख का विषय है कि ऐसा आदमी होते हुये भी उसका सदुपयोग नहीं किया जाता । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उनकी स्कीम के मुताबिक चला गया तो प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ कर रहेगा ।

इसके अलावा एक दुःख की बात और है । हर आदमी जो नुकसान हुआ है उससे सहमत है, सरकार भी सहमत है, लेकिन नुकसान के आंकड़े एक बार सदन में आये और फिर वापस चले गये, इस आंकड़े बाजी में किसान पिसा जा रहा है । कहा जाता है कि जब तक सरकारी आदेश नहीं आयेंगे, हम वसूली करते रहेंगे । पार्टी में भी इस सवाल को उठाया गया लेकिन अभी तक स्टे आर्डर भी नहीं हो पाये हैं, माफी की बात तो दूर रही ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया । अब मायर जी बोलेंगे । मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य थोड़ा-थोड़ा बोलें तो बहुत से सदस्यों को समय मिल जायगा । ८ मिनट बोलने की कृपा करें । यदि आप सहयोग करेंगे तो बहुत से माननीय सदस्य बोल सकेंगे ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस बात पर सब सहमत हैं कि संकट इतना बढ़ गया है कि उसका हल तलाश करना आवश्यक हो गया है, लेकिन जब तक उसकी रेस्पान्सीबिलिटी फिक्स नहीं की जाती तबतक उसका हल कैसे निकलेगा ? शिवराज सिंह जी, जो पहले एग्रीकल्चर के डिप्टी मिनिस्टर थे, जो कामराज योजना में काम आ गये, उन्होंने कहा कि यह विभाग मुख्य मंत्री के पास होना चाहिये क्योंकि जिन सज्जन के पास यह आज तक रहा है वे फेल हुये हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि वे बिलकुल फैल्योर रहे हैं क्योंकि उनके अंग को तोड़ कर जगह-जगह बांट कर अलग-अलग रखा है । उस बेंच पर बैठने वाले हमारे एक मित्र ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिये खाद देने का काम एक आफिसर के पास है, एक मिनिस्टर के मातहत है, पानी देने का काम दूसरे के मातहत है, गन्ना विभाग तीसरी के मातहत है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बेचारा क्या करे, क्या वह अपने घर से पैदा करे ? आपके दफ्तरों के अन्दर आज हालत जैसी है उसे कल माननीय धुसिया जी ने बड़े अच्छे ढंग से प्वायंट आउट किया । बड़े बड़े आफिसरों की जो हालत है वह न आपसे छिपी है, न माननीय सदस्यों से छिपी है और न जनता से ही छिपी है । जहां शाम हुई कि बोतल पर बोतल खुलती है, चाहे वह कहीं से भी आती हो । लेकिन नीचे की हालत यह है कि मंत्रिगण जब दौरा करते हैं तो उनके चौतरफा घूमने वाले जितने लोग हैं उनका एक लिंक होता है सदस्यों से और जो चीज यहां से आम जनता को दी हुई समझी जाती है वह वहां तक नहीं पहुंच पाती । यहां से दूकानें खोलने के लिये आदेश जाते हैं ताकि जनता को अनाज दिये जायं लेकिन वहां इसका नतीजा कुछ नहीं हो पाता है । अनाज भी यानी गेहूं सफेद और लाल रंग का बाहर से आया हूं । हमारी हालत तो आज उस भिखारी-सी है जिसके सामने कोई च्वायस नहीं होता है, जो भी उसकी झोली में डाल दिया जाय उसे लेने को वह मजबूर होता है । बाहर का गेहूं जिस तरह की कीमत अदा करने पर अपने सर पर कर्जा चढ़ाने के बाद हासिल हुआ है, मेरा खयाल है कि उनके गदहे भी शायद इसे न खाते होंगे जो हिन्दुस्तान को दिया जाता है । हम ऐसे नाअहल साबित हुये, उसकी जिम्मेदारी ज्यादातर सरकार पर है ।

जितनी उपजाऊ धरती है दो-दो और सात-सात नये पैसे गज पर एक्वायर कर ली जाती है और उसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिया जाता है । एक तरफ किसानों को उसकी उस भूमि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

से वंचित किया जाता है और दूसरी तरफ उनसे कहा जाता है कि तुम पैदावार बढ़ाओ । क्या वे छत पर या मकान के कोठे पर अन्न की पैदावार बढ़ावें ? एक तरफ तो आप उनसे जमीन छीनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी धरती को गाजियाबाद व कानपुर में दो, दो और सात, सात गज के बदले दो, दो सौ रुपये गज के हिसाब से बेचा जा रहा है । और वह पैसा किन लोगों के हाथों में जा रहा है ? उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहा है जो ज्यादा पैसे वाले हैं और जो पैसे से पैसा कमा रहे हैं ।

आपसे मैं गेहूं की बात कह रहा था कि एक तो सफेद गेहूं रंग का है और एक लाल रंग का है जो बाहर से आया है । लाल गेहूं लेना लोग पसन्द नहीं करते और न वह बाजार में ब्लैक में ही बिक सकता है, इसलिये यहां से आदेश हुआ कि दोनों प्रकार के गेहूं को मिला कर बेचा जाय । आज यह हालत है कि एक बोरी गेहूं में ५ सेर सफेद गेहूं मिला दिया जाता है ताकि कहने के लिये हो जाय कि हम तो मिला कर गेहूं बेच रहे हैं लेकिन वही सफेद गेहूं बाजार में ब्लैक में ३२ रुपये मन के हिसाब से बेचा जा रहा है । आज की खबर के अनुसार लखनऊ में गेहूं का भाव ३६–३७ रु० मन हो गया है । आपको शायद याद हो कि सन् ४७ में ही कांग्रेसियों के रंग-ढंग को देख कर पूज्य बापू जी ने कहा था कि ऐ कांग्रेसियों, अगर तुम्हारा ढंग व रास्ता ठीक नहीं हो पाया तो एक वक्त ऐसा आने वाला है जब कि सफेद टोपी वालों को जनता चुन-चुन कर मार देगी । आपके कर्म ऐसे हैं, जिस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, जिस से आप जनता को लूटे जा रहे हैं उस ढंग से वह समय अब आने ही वाला है । आज इसका नतीजा यह हो रहा है कि इस प्रान्त में जो एक कृषि प्रधान प्रान्त है, जगह जगह गल्ले की दूकानें जनता द्वारा लूटी जा रही है । जनता सोना, चांदी नहीं चाहती, वह तो अनाज ही लूटती है । भूख में वह क्या करे ? आप उस की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, आप उसे खाना नहीं देना चाहते, आप उसके लिये अन्न मोहैया नहीं कर पा रहे हैं, आप उस की सुनवाई नहीं करते । आज जहां दस जगह बाजार लुटा है वह आगे और बढ़ेगा, कानपुर की खबर है कि वहां भी १२ जगह लुटा; लेकिन अगर यही हालत रही तो अभी १२ सौ जगह भी लेट लूटा जा सकता है। वह मुसीबत के और भूख के मारे लोग हैं, उन के खाने का हल आप निकालिये । आप कोई प्लान बनायें कि जिस में कृषि से सम्बन्धित जितने भी कार्य हैं वे सब आप एक मंत्री के अन्डर में लायें । दूसरे प्लानिंग का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से सम्बन्धित है वह भी यहीं होना चाहिये । क्योंकि जितने औजार आज किसानों को दिये जा रहे हैं, उन को मजबूर किया जा रहा है कि तुम लोहे के हल लो, फर्टिलाइजर लो, लेकिन अगर आप उस की असलियत देखें तो बाजार में जो हल १२ रुपये का मिलता है वह प्लानिंग के जरिये आप के बी० डी० ओ० और विभाग के जरिये से वह २२ रुपये में सप्लाई हो रहा है और किसान से कहा जाता है कि तू सबसीडी ले और वह अक्ल का अंधा बना सबसीडी के लिये घूम रहा है और वह ७ रुपये के लालच में आ जाता है और अपने पास से १४ देता है । ५०–५४ रुपया देने के बाद ४ रुपये उस के पास आते हैं और सरकारी खजाने से ६० रुपये निकल जाते हैं । मैंने मंत्री महोदय से और अधिकारियों से कई बार शिकायत की कि यह प्लानिंग के नाम पर लूट हो रही है । इस तरह से औजारों के वितरण से आप किसी प्रकार भी यह आशा नहीं कर सकते कि आप किसी तरह भी खेती के काम में प्रगति ला सकते हैं ।

जितना आप का पानी की सप्लाई का काम है और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जगह-जगह ट्यूबवेल लगे लेकिन खराब मशीनरी सप्लाई होने के कारण, इन्जिन खराब होने के कारण या पम्पिंग सेट की खराब सप्लाई के कारण वह बेकार पड़े हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। दूसरे बिजली और पानी इतना महंगा सप्लाई किया जा रहा है कि किसान अपनी खेती को सड़ता देख सकता है लेकिन पानी के लिये इतना पैसा देने के लिये उस के पास नहीं है । अगर आप उस को सबसीडी देना चाहते हैं तो उस को सिंचाई की छूट दीजिये ताकि वह पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके और खेती में पैदावार बढ़ा सके । या आप और अन्य साधन पैदा करें । बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, हमारे यहां एक जमुना का बांध कालसी के ऊपर बन रहा है

जिस को देखने अभी सेन्टर के मिनिस्टर श्री राव भी आये थे, लेकिन उन्हें असलियत का क्या पता। वहां के बारे में मैंने सदन में कई बार कहा और लिख कर भी दिया कि करोड़ों बोरा सीमेंट वहां दिया जा रहा है उस में से ७५ प्रतिशत सीमेंट बाजार में बिक रहा है। बड़ी बड़ी तादाद में ट्रकों पर सीमेंट वहां से जाकर बिकता है और अन्दर रेत डालकर बांध के पत्थर से पत्थर जोड़े जा रहे हैं। आप इस की इन्कवायरी करायें मैं सबूत दूंगा। अगर आप ने चेक नहीं किया तो एक दिन पूरा बांध टूट जायगा और पच्छिम के ४-५ जिले बिलकुल तबाह हो जायेंगे। आप ने देखा कि इटली में ईमानदारी से काम हुआ फिर भी बंध टूटा और कोई नहीं बचा सका, लेकिन आप के यहां जिस तरह से वह बनाया जा रहा है उस का नतीजा यही होगा कि जब एक दम से पानी रुकेगा और बांध टूटेगा तो ५-६ जिले पूरे साफ हो जायेंगे और उस वक्त आप जिम्मेदारी किस पर रखेंगे ? आप कहां लोकेट करेंगे उस बेईमानी को ? असलियत असलियत है, आप अच्छा काम चाहते हैं लेकिन आप के अफसरों पर आप को कंट्रोल नहीं है। आप की हिम्मत नहीं है या दिमाग नहीं है और अगर है तो उस को आप इस्तेमाल नहीं करते। अब माननीय फूलसिंह और माननीय शिवराज सिंह यादव को भी अक्ल आने लगी लेकिन जब वह कुर्सियों पर थे तो उन की अक्ल कहां थी या उन को अक्ल तभी आती है जब कुर्सियां छिन जातीं हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री खाद्य जो समझते हैं कि इनके बगैर कोई दूसरा आदमी इस महकमे को नहीं चला सकता उन्हें भी अक्ल आ जानी चाहिये। टटहरी रात को टांगे ऊपर को कर लेती है और आवाज देती है कि आसमान उसी ने थाम रखा है। तो हमारे मंत्रि मंडल के या केन्द्र के जितने मंत्री समझते हैं कि हम नहीं तो देश नहीं रह सकता, पंडित जवाहरलाल जी समझते हैं कि अगर मैं भारत का प्रधान मंत्री नहीं रहूं तो देश खड्डे में चला जायगा, इसी तरह से गुप्ता जी समझते रहे, इसी तरह से दूसरे लोग समझते हैं, यह गलत है। इतना बड़ा प्रान्त है कि एक तरफ बिलकुल हैव नाट्स हैं और दूसरी तरफ हैव्ज समझे जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रान्त का बटवारा होना चाहिये ताकि ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरक्की हो सके। जब तक बांटा नहीं जायगा यह प्रान्त तरक्की नहीं कर सकता। इस मांग को जोर से बढ़ाया जाय ताकि वह लोग पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लोग भी ध्यान दें कि ईस्ट यू० पी० के लिये ज्यादा से ज्यादा साधन पैदा करने की जरूरत है, धंधा देने की जरूरत है। अलग-अलग हो कर ही दोनों विंग फल फूल सकते हैं। एक जगह होते हुये इसकी कोई आशा नहीं की जा सकती।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह आपको मालूम है कि डाक्टर अहमद साहब का प्रस्ताव सब से पहले मैंने समर्थन किया था। आप मुझे केवल ५ मिनट का ही समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

समय मांगने का आपको अधिकार है, लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कल जब आपको बुलाया था तो माननीय विकल जी ने आरोप लगाया था कि यहां पर पक्षपात होता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज देश और प्रदेश संकट से गुजर रहा है इस समय कुछ कहना बहुत कठिन मालूम होता है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुये कुछ न कहना भी उतना ही कठिन है। इस पैदावार के बारे में गांव का एक सही उदाहरण घटित होता है। गांवों में लोग कहते हैं कि गाजर पर बैल को घुमाये तो नाज और भूसे में से कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। १८, २० साल तक सरकार कागज पर दांय चलाती रही, पैदावार न बढ़ा सकी। अभी कई सदस्यों ने आंकड़े पेश किये, मैं उनका कायल नहीं हूं और सरकार के कागजी आंकड़ों पर तो बिलकुल विश्वास नहीं है। लेकिन गांव की घटनाओं को जानता हूं। क्या कारण है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अभी डेढ़ महीने पहले अखबारों में पढ़ा था कि प्रदेश में काफी पैदा-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

वार है, माननीय स्वर्ण सिंह मंगल कलश देने यहां आये थे । कल मैंने पढ़ा कि नेगी जी ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से कहा है कि १ लाख टन गल्ला हमें दें । आना चाहिये, उससे इंकार नहीं करता लेकिन आप देखेंगे कि यह कागज पर दायं चली । मंगलकलश पाने वाला सूबा आज भुखमरी में है । खाली पूर्वी जिलों की बात नहीं कहता । उनकी हालत बहुत खराब है । मैं कई जिलों में जा चुका हूं । मैं तो पश्चिमी जिलों की बात कहता हूं । वे इस बात का अंन्दाजा लगायें कि कितने घरों में खाना बना है, कितने बिना खाने के इस साल रहे हैं ? कुछ लोगों ने कहा कि अफसरों के घोड़े सरकार के नीचे से निकल गये । मैं कहता हूं कि जनता के घोड़े भी आपके नीचे से निकल चुके हैं । आप मुगालते में मत रहिये । समाजवाद और जनतंत्र की बात चाहे कितनी आप कहिये ? कुछ चन्द लोग हैं ५ फीसदी, जिनके खाने के आइटम गिने जाते हैं । मैं कहता हूं कि समाजवाद और जनतंत्र दोनों को इस सरकार ने १८ वर्ष में खूंटी पर टांग दिया है । सरकार क्यों नहीं बढ़ा पाई पैदावार को ? एक उदाहरण देता हूं कि पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने अक्तूबर में अम्बाला में मीटिंग की । उसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट, इंजीनियर्स, बी० डी० ओज०, तहसीलदार सभी को बुलाया । सबके सामने पहले खड़ा किया डिप्टी कमिश्नर को और पूछा कि डिप्टी कमिश्नर्स में पहले यह बतलायें कि उनमें कितने ऐसे हैं जिनके बाप दादा के यहां खेती होती थी ? दो डिप्टी कमिश्नर्स ऐसे पैदा हुए । इस तरह से हर आफिसर को खड़ा किया और पूछा कि किस किस का वास्ता किसानी से है ? उसी मीटिंग में फिर उसने आदेश दिया कि डिप्टी कमिश्नर अपने जिले की लिस्ट बनायें कितने गांवों पर वह कब्जा करना चाहते हैं, उनकी पैदावार उनको बढ़ानी होगी । यह नहीं कि सारे जिले की पैदावार को डिप्टी कमिश्नर अपने हाथ में लें । डिप्टी कमिश्नर, बी० डी० ओ० और तहसीलदार को अलग-अलग गाँव दिये गये और उसने उनसे कहा कि कोई किसान तुम्हारे पास नहीं आयेगा । एक एक आफिसर किसान की चौपाल में होगा । किसान के पीछे आफिसर घूमता रहे । खाद, बीज और पानी की जरूरत हो तो उसे दे । क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में यह दम है कि किसान के पीछे सरकारी आफिसर को घुमा दे ? यहां तो दफ्तरों की फाइल ने किसान को मजबूर कर दिया कदम कदम पर रिश्वत देने के लिये । उसके एक एक काम में रोड़ा अटकाया गया । फिर पैदावार कैसे बढ़े ? पैदावार कौन बढ़ाये ? जो बढ़ाता है उसको भाव नहीं मिलता उसका । ३, ४ साल के बाद कुछ गन्ने की फसल अच्छी थी तो कंट्रोल लगा दिया कि गुड़ बाहर नहीं जा सकता । जब पैदावार करने वालें को फायदा नहीं, पर्मिट वाला फायदा उठाये, खाने वाले को फायदा नहीं तो किसान अपनी पैदावार को नहीं बढ़ायेगा, खास कर जब अपनी मर्जी से वह अपनी पैदावार नहीं बेच सकता ।

माननीय चरण सिंह कहा करते हैं कि जमीन बढ़ नहीं सकती । मैं आज चौधरी साहब की नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं । गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने गलत आदेशों से जमीन घटा दी है । किसानों की उपजाऊ जमीन उनसे छीन ली गयी है । गाजियाबाद के ५२ गांवों की जमीन ले ली गयी है । चिल्लाकर उन्होंने अपनी बात कही लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी । जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रदर्शन हुआ और अपनी मुख्य मंत्री जी से क्या कहूं । चना और मंत्री दोनों का एक स्वभाव होता है । चना जब तक तवे से बाहर रहता है तब तक बहुत अच्छा लगता है चाहे पकौड़ी बना कर खा लो और चाहे कच्चे चबा लो, लेकिन तवे पर जाते ही रोटी बनाइये तो वह उतनी ठीक नहीं लगती । इसी तरह से अब हमारे मंत्री बाहर रहते हैं तो वे अच्छे रहते हैं लेकिन जहां कुर्सी पर जाते हैं तो न वह हमारे गले उतरते और न जनता के । मैं जानता हूं कि जब वह बाहर थीं तब एक बार मथुरा के किसानों की आवाज सुनकर देहातों में पैदल घूमी थीं, लेकिन आज गाजियाबाद के किसान एक हफ्ते लखनऊ में रहे उन्होंने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया और नाराज रहीं । हम बड़ी खुशामदें करते रहे लेकिन आखिर में एक रोज जमीन निकाल ली गयी । गाजियाबाद में गांधी नगर को ४८ से लेकर

आज तक वहां की म्युनिसिपैलिटी डेवलप नहीं कर सकी । सन् ५२ से आज तक सरकारी कर्मचारियों ने उस को घेरकर डाल दिया है । लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जनता के हाथ में नहीं रहा और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में विकास वहां का रहा तो ५० वर्ष तक वहां विकास नहीं होगा । कितनी उस जमीन की वैल्यू होगी ? जंचवाइये कि आपके आफिसरों ने क्या किया । बहुत लम्बी-चौड़ी रकम है । क्या क्या उन्होंने नहीं किया किसानों को भूखा मारने में । तो वह जमीन सरकारी अफसर आपके घटा रहे हैं ।

मैं पानी वाली बात को कह दूं कि इसलिये पैदावार नहीं बढ़ती । यह तो मैंने सरकारी कर्मचारियों वाली बात कही है, किसानों से बहुत सीधा वास्ता इतना नहीं है । यहां इलाज भी दूसरा किया जाता है । शिर में दर्द और पैर में पट्टी । किसान मांगता है पानी और उसको दिया जाता है जबरदस्ती खाद । चौथे रोज मैं अपने गांव गया । मैंने देखा और पूछा तो पता चला कि कोआपरेटिव सोसाइटीज वाले जबरदस्ती खाद डाल गये और ईख सूख गई । पता नहीं गवर्नमेंट ने खाद की एजेंसी ले रखी है या क्या बात है कि बी० डी० ओ० और कोआपरेटिव वाले सभी खाद दे रहे हैं जबरदस्ती । उसको पानी मिलना चाहिये एकमात्र पानी दे दो, खाद नहीं चाहिये । हमारे यहां तो ट्यूबवेल्स लगवा दिये और नहरें खारिज कर दी । ट्यूबवेल्स भी बन्द और नहरें भी नहीं और २ जिले बिलकुल खाली कर दिये, बुलन्दशहर और अलीगढ़ ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आज अगली योजना बन्द कर दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है । पिछली योजना को जिन कर्मचारियों ने बनाया, वह निकम्मी रहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को सजा दी जाय चाहे वह पेंशन पा गये हों तो भी उनकी पेंशन वापस ली जाय और अगर मौजूदा सर्विसेज में हो, चाहे जहां दिल्ली में हो तो उनको सजा दी जाय वरना जब पिछली योजनायें खराब हो चुकीं तो अगली योजनायें बनाने से क्या लाभ ? आप बनाते चले जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप खत्म कीजिये ।

श्री रामचन्द्र विकल—

उनके बनाने से कोई फायदा नहीं धन्यवाद ।

श्री सत्यदेवसिंह (जिला आजमगढ़)—

विरोधी दल के एक सदस्य का समय विकल जी को दे दीजिये बहुत ठीक कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

*श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आज सुबह से सुन रहा हूं । जितने भाषण हुए उनसे पता लगता है कि असलियत से दोनों तरफ के लोग दूर हैं । आज देश और प्रदेश दोनों में एक सी हालत है । यह महंगाई की कठिनाई हमारे इस प्रदेश की ही नहीं है बल्कि हमारे देश की है । इसका कारण ढूंढ़ना चाहिये कि इस तरह की महंगाई आई ही क्यों ? मैं समझता हूं कि इस सारी महंगाई की जड़ यह कांग्रेस संस्था और इसकी सरकार है । आप देखें कि दोनों तरफ के लोगों ने यह मंजूर किया है कि किसान कहां से दे अगर उसकी वस्तु का मूल्य बढ़ता नहीं है । यह भी बात कही जाती है । फिर भी महंगाई का नाम लोग लेते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । किसान को कपड़ा चाहिये । आपकी देश और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इतने ऊंचे दाम सन् ५० से ६३ तक कर दिये कि जिसका नाम नहीं । किसान क्या हवा पी कर और पेड़ की छाल लपेट कर रहेगा और हम लोगों को बढ़िया बढ़िया अनाज पैदा कर के देगा ? यह समझना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विश्वनाथ प्रसाद]

पड़ेगा कि आखिर यह महंगाई क्योंकर आयी । आप कोई भी उपाय करें थोड़ा बहुत समय टल सकता है मगर समस्या का स्थायी हल करने के लिये इस कांग्रेस सरकार को और कामराज योजना को जो समाजवाद की बात करती है, ढोल में पोल, सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिये । भारतवर्ष में किसान ही ज्यादा हैं और किसान की सारी आवश्यकता की चीजें १९५० से १९६३ तक छै गुनी महंगी कर दी गयी है, जब कि अन्न के भाव वही ढाई और तीन सेर के बीच में कायम रहे हैं । जब कभी सस्ता होने को आया तो सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम १० रुपये मन धान और १४ रुपये मन गेहूं खरीद लेंगे । तो फिर सस्ता कैसे बिके ? वह गरीब किसान जो बीघा दो बीघा जोतता है, जिसके पास न पहनने को वस्त्र है न खाने को अन्न वह तो ढाई, तीन सेर. का बेच जाता है और उसे बड़े-बड़े किसान, जिनमें हमारे महानुभाव लोग भी हैं, इनके घर में से गल्ला कब बिकता है ? बनियों को गाली देना बड़ा आसान है लेकिन जरा यह भी तो कानून बनाते कि गल्ला जब पैदा होगा तो यह देख लिया जायगा कि कितने बीघे में कितना है और इतने रुपये मन तुम्हें जरूर सरकार के हाथ बेचना पड़ेगा । जैसे उधर १० रुपये और १४ रुपये बांधे गये उसी तरह इधर भी बांधना पड़ेगा कि इससे ज्यादा आप नहीं बेंच सकते तथा किसानों और बनियों, दोनों के घर पर छापा मार कर अनाज निकालते । लेकिन आप तो टैक्सेशन की भरमार करते जा रहे हैं और चीजों के दाम बढ़ाते जा रहे हैं । यह सारी महंगी टैक्सेज की भरमार से आयी है । जनता कर ले लेकर आपने सीमेंट और लोहे के कारखाने खोले लेकिन सन् ५० में सीमेंट और लोहे के क्या दाम थे और आज क्या हैं । सीमेंट और लोहे को क्या कहना, जनाब ने तो इन्साफ पर भी दाम बढ़ा दिये । बहुत से वकील साहब यहां हैं । बीस साल पहले अच्छे से अच्छा वकील ५ रुपये में मिलता था लेकिन आज ५० रुपये में भी बात नहीं करते । मुझे अफसोस होता है कि आज यह इतना अहम मसला है कि जिसमें लूट मार होने की नौबत आ गयी है और जरा देख लें कि हम लोग यहां कितने बैठे हैं । मैं समझता हूं कि कोरे समाजवादी बनने से दुनिया का काम नहीं चलने वाला है । लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो सही काम कीजिये । हमने अखबारों में पढ़ा कि विधायकों की तनख्वाह और भत्ता बढ़ने वाला है । लेकिन टैस्ट वर्क्स की मजदूरी ६ आने से एक रुपया होने वाली नहीं है । आजकल महंगाई के जमाने में ६ आने में आदमी कैसे पेट भर सकता है ? यह समाजवाद के विरुद्ध है । हमारे बलवान सिंह जी ने बहुत ऊंची छलांग मारी । उनके भी शायद फार्म होगा उनके यहां यदि छापा मारा जाय तो पता चले कि कितना गल्ला छिपाये हुए हैं । इस प्रकार के लोग समाज को धोखा देने वाले होते हैं, जो इस तरह की बातें कहते हैं । मंत्री जी की क्या बात कहूं ? २–३ महीने पहले नेगी जी को बताया गया कि गेहूं का भाव २५ रुपये मन हो गया है । आपने कहा कि क्या हो गया ? ४–५ रुपये मन बढ़ने से कोई हर्ज नहीं है । जो २५ रुपये मन खरीदेगा वह ३० रुपये बेचेगा, जो ३० रुपये खरीदेगा वह ३२ रुपये बेचेगा । जब आपको भूत और भविष्य का ज्ञान ही नहीं है तो क्या शासन करते हैं । उनकी हालत तो यह है और जो जिलों में इनके अधिकारी बैठे हैं उनकी हालत पर तो तरस आता है । यज्ञोपवीत विवाह के बराबर होता है और उसमें केवल ५ सेर चीनी देते हैं और असल में ५ मन चीनी खर्च होती है । मैं जानता हूं कि ब्लैक आपके जरिये होता है । इसलिये आप रोक नहीं सकते हैं । जब आप रोक नहीं सकते हैं तो आपको जगह छोड़ देनी चाहिये । श्रीमन् गांवों में सीमेन्ट देते हैं उसका कोई हिसाब बी० डी० ओ० नहीं देते हैं । गवर्नमेन्ट को सारा पता है, लेकिन आंख मूंद कर सारे कुकर्म करा रही है और आज यह मौका आ गया है कि लूट खसोट हो रही है । जब उनको ज्ञान नहीं है तो उनको चाहिये कि कुर्सी छोड़ दें । उनमें ही बहुत से अच्छे लोग हैं, उनको कुर्सी दे दें, वे संभालें ।

यह जौनपुर की ही नहीं बल्कि सारे देश की हालत है । कोआपरेटिव इन्होंने खोला है, वह बड़ा बेईमान है । एक साहब ने बड़ी तारीफ की । ३५ रुपये महीने गल्ला बेचने वाले देते हैं और वे जो गल्ला ले जाते हैं उसको चोर बाजारी में बेचते हैं, यह सब कोआपरेटिव वाले . . . . करते हैं । जो गवर्नमेन्ट खुद जान बूझकर ये काम करती है वह गवर्नमेन्ट खुद बेईमान है

*श्री हुकुमसिंह विसेन---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज दिन भर इस विवाद को सुनते हो गया, बहुत से मित्रों के व्याख्यान सुने। शुरू में साढ़े दस बजे ज्यादा जोर था। यह मालूम होता था कि अगर आज यह विवाद न हुआ तो आसमान फट पड़ेगा। मुझसे जब दरियाफ्त किया गया तो मैंने कह दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमारे माननीय मित्रों की ख्वाहिश है। मुझे आशा थी कि हमारे मित्र कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिनसे हम फायदा उठा सकेंगे। मैंने कह दिया कि हो। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही हाउस खाली हो गया। तब मेरे ऊपर ऐसा इम्प्रेशन पड़ा कि यह फर्जी है या कोई भेद है। कुछ लोग अनशन कर रहे थे, मालूम हुआ कि वह छोड़ कर चले गये। उनको जाना ही था, विवाद हो गया तो एक बहाना मिल गया।

(व्यवधान)

आपको मैंने कुछ कहा नहीं। आप की शान में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं कि अपने को भी नीचा गिरा दूं। मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। सबसे पहले प्रवक्ता श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी बस्ती के हैं। हमारे मित्र के भाई हैं। वह बड़े चतुर हैं। बोलते भी बहुत अच्छा हैं। बोलने में रफ्तार भी अच्छी रहती है। मैं कान खोले हुए सुन रहा था ताकि मेरे कान से कोई लफ्ज छूटे नहीं। मुझे बड़ी निराशा हुई। खाली उन्हीं से निराशा नहीं हुई। बहुत से सज्जन बोले। साहू जी बोले। जौनपुर का नमूना मालूम होता है। मैं समझता था कि कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन होगा, और नेगी साहब तथा हम लोगों की मुश्किलें आसान होंगी।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पुनः पीठासीन हुए।)

न डाक्टर जेड० ए० अहमद बोले, न झारखण्डे राय जी बोले, श्री चन्द्रजीत यादव बोले। उनका हस्बदस्तूर जो तरीका है वह बोल गये। तो आखिर में बड़ी निराशा हुई। हम जहां के तहां रह गये। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इतना समय लगा, इतनी बहस हुई, १५-२० हजार रुपया असेम्बली का खर्च हो गया।

हमारा संबंध इस डिबेट से है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा। कुछ मित्रों ने पाले का जिक्र किया। पाले ने जरूर कुछ नुकसान किया। नुकसान यकसां नहीं हुआ, खेत से खेत, ट्रैक से ट्रैक, होल्डिंग से होल्डिंग डिफर करता है। पाले के नुकसान की वजह से उतनी कीमत नहीं बढ़ी जितनी गलत प्रोपेगन्डा की वजह से बढ़ी। भुखमरी है, यह है, वह है। व्यापारी बड़ा होशियार होता है। इनता मुंह से निकला कि उसका फौरन असर हुआ। उसका नाजायज फायदा वह उठा लेता है। आप इसको माने या न मानें, लेकिन हम अपनी बात अर्ज करना मुनासिब समझते हैं। ऐसे गलत प्रोपेगन्डा से बाजार के भावों पर असर पड़ता है। पाले का अगर असर पड़ता तो चैत में जाकर पड़ता जब कि फसल का कटान होता है और वह बाजार में आती है। तो अब फसल न आने का कोई असर नहीं है। जितना असर है वह सब गलत प्रोपेगन्डा का असर हुआ है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह ऐसा तमाशा है, यह ऐसा काम है जिसके लिये कोई पोलिटिकल स्टन्ट नहीं होना चाहिये, जैसा कि हमारे मित्र भानु प्रताप सिंह जी ने उधर से कहा। मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने इस प्रकार से कहा। अगर ऐसा सिचुयेशन आ गया है कि जो बड़ा मुश्किल है तो हमारा और आपका सबका पूरा फर्ज है कि सब लोग सहयोग देकर, सब लोग मिलकर इसका कोई हल निकालें। मैं यह समझता था कि हमको कोई सुझाव मिलेगा। भानु प्रताप सिंह जी ने एक सुझाव दिया। मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम कोई जायद फसल पैदा करें इस दौरान में, जिससे हमारी मुश्किल आसान हो जाय। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है। मुझे अफसोस है कि इस पर अभी विचार नहीं हुआ लेकिन अभी कोई वक्त गुजरा नहीं है। अभी भी समय है। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि उनकी तरफ से ऐसा सुझाव आया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

माधो प्रसाद जी ने कहा कि रेलवे फ्रेट बढ़ गया तो इस वजह से दाम बढ़ गये। अब रेलवे मिनिस्टर से लिखा-पढ़ी करें तो उसमें बहुत वक्त गुजर जायगा। ऐसी बात करनी चाहिये जिससे फौरी इन्तजाम किया जा सके। जो विकट परिस्थिति आ गई है और जिसके लिये आपने डिबेट मांगी थी और हमने एग्री किया था तो उसमें कोई फौरी इन्तजाम की बात नहीं बतलाई। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। या तो मैं स्वयं नहीं समझता या फिर हमारे बहुत से मित्र वैसे ही कोरे बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। ऐसी बात कहनी चाहिये जिससे कोई फौरी इन्तजाम की बात निकले। रेलवे फ्रेट कम करने की बात तो बहुत दूर की बात है। एक बात कही कि इर्रीगेशन में बड़ी गड़बड़ी है, राममूर्ति जी ने कुछ नहीं किया। अब पुरानी गलतियों पर टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। हमारा और आपका कर्त्तव्य है कि बैठकर और मिलकर कोई हल हो तो निकालें, इसको पोलिटिकल स्टन्ट न बनायें। जहां तक पाले का ताल्लुक है किसी ने कहा कि आधा माफ कर दो और आधा पोस्टपोन कर दो। मान लीजिये मेरे खेत पर पड़ गया और श्री पाल सिंह जी के खेत पर नहीं पड़ा तो क्या मैं इतने बड़े राजा महाराजा को छोड़ दूंगा, क्या मैं बलवान सिंह जी को छोड़ दूंगा? यह मुमकिन नहीं हो सकता है। मैं ऐसे मोटे ताजे आदमी को नहीं छोड़ सकता....

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मैं एक बात पूछना चाहता हूं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं नहीं बैठ रहा हूं। यह सवाल पूछने का समय नहीं है।

साढ़े दस से साढ़े ११ तक सवाल होते हैं। हर वक्त सवाल नहीं होते। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने हुकुम दिया और उसके अनुसार मैंने अपना वह वक्तव्य दे दिया। चार, पांच रोज के अन्दर मैंने सारे सूबे से इत्तला मंगवायी और जितनी जल्दी हो सकता था मैंने उस हुकुम की तामील की। मैंने उसमें साफ-साफ कह दिया था कि यह रफ एस्टीमेट है। उसमें कुछ माननीय सदस्यों को शिकायत है कि यह अन्डर एस्टीमेट है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन हमारा प्रोसेस अभी जारी है। और मैंने हुकुम दे रखा है कि एक्यूरेट स्टेटमेंट बनाओ। अन्डर एस्टीमेट करने की कोशिश न करना वरना मैं बरदाश्त नहीं करूंगा। वह काम हो रहा है और जैसे-जैसे वह होता जायगा, लोगों की राहत मिलती जायगी। अगर श्रीपाल जी उसके मुस्तहक होंगे तो उनको राहत मिलेगी और गरीब अगर उसका मुस्तहक होगा तो उसे मिलेगी। अगर हम सरसरी तौर पर एलान कर दें कि आधा माफ कर देते हैं और आधा स्टे हो जायगा तो वह गलत होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट भी मैनुअल से बंधा है। जब तक आप उसमें तरमीम न करें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम नियमों में बंधे हैं और अगर उसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो हमारी तो इसी सदन में खाल खींच ली जायगी। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जो हमारे नियमों में आ जायेंगे और जो थोड़ा बहुत हम लिबरल हो सकते हैं वह हम करने के लिये तैयार हैं। सरकार की हमेशा यह नीति रहती है कि जब ऐसी कैलेमिटी आये तो हम जो संभव हो सकती है रियायत दें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अन्दर। इसको हम कर रहे हैं। हमने उसके लिये आर्डर जारी कर दिया है। मुझे इस डिबेट का इन्तजार नहीं था और गवर्नमेन्ट ने निश्चय कर लिया है कि जिन इलाकों में खरीफ की फसल बरबाद हो गयी है वहां लोगों को रेमिशन मिला है और अगर रबी की फसल का ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान होगा तो वहां हम वसूलयाबी स्टे कर देंगे। जैसे जैसे तखमीने तैयार होते जायंगे, हम उस हिसाब से उनकी मालगुजारी छोड़ते जायंगे, जो मुस्तहक होगा। एक और दिक्कत की बात है। इधर के बैठने वाले सदस्य कहने लगे कि चकबन्दी का जो खर्च है वह भी रोक दिया जाय। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की तरह से उसमें कोई प्राविजन ऐसा नहीं है कि उसे हम रोक सकें। उसमें तो कैलेमिटी होने

पर लगान की वसूली रोकी जा सकती है, इसमें ऐसा कोई प्राविजन नहीं था तो कैबिनेट में मैंने उसे रखा और उसके डिसीजन से मैंने उसे भी मुल्तवी करवा दिया। इस तरह हमने, जितना हो सका, किया है। हमने कलेक्टरों को कह दिया है कि जहां जहां टेस्ट वर्क की जरूरत है वह उसके लिये हमें रेकमेन्डेशन भेजें और मैं उसकी मंजूरी दूंगा। लेकिन वह टेस्ट वर्क प्रोडक्टिव होने चाहिये जिससे कुछ काम बने। चार, पांच जिलों में टेस्ट वर्क शुरू हो गये हैं और दूसरे जिलों के लिये मैंने कह दिया है। देवरिया, गोरखपुर आदि के लिये बड़ा हल्ला होता है। मैंने उनके लिये कहा है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

उसमें जो मजदूरी ६ आना प्रतिदिन मिलती है उसको बढ़ाने के लिये भी कोई आज्ञा हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आप फिर वही झगड़ा लगाते हैं। वही पेचीदगी अब फिर आप मत पैदा कीजिये। जो हम कर सकते हैं वह हम करेंगे।

हमारे रणबहादुर सिंह जी एक ही सांस में ठंडी और गर्म दोनों बातें कह गये। कहते हैं कि उनके यहां कलेक्टर ने तमाम गिरफ्तारियां कर डालीं और वहां का कलेक्टर बड़ा निष्पक्ष तथा ईमानदार है। यह भी कहा कि उसने वहां का तखमीना सही नहीं भेजा। अगर वह इतना ईमानदार है तो तखमीना वह गलत क्यों भेजेगा ?

टेस्ट वर्क हम खोलने जा रहे हैं। हर तरह का रिलीफ, जिसके देने से हमारे कान नहीं पकड़े जायंगे, हम देंगे। आपको जितनी हमदर्दी किसानों से है, उससे ज्यादा ही हमदर्दी हमको है। माननीय रियासत हुसैन ने बड़ा जोरदार लेक्चर दिया और कहा कि वह हल जोतते हैं, उनके चाचा हल जोतते हैं, उनके सभी रिश्तेदार हल जोतते हैं, यह सब तो हम पहले से ही जानते थे, यह सब कहने में क्यों उन्होंने समय खराब किया।

(हंसी)

मैंने अपने हाथ से हल नहीं जोता, मगर मैं भी एक काश्तकार का बेटा हूं, मेरे यहां भी खेती होती है। मैं भी गेहूं और जौ में फर्क जानता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

कृपया आप माइक पर बोलिये जो सुनाई दे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, हमारे माधो प्रसाद जी बेचैन हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से और जनरल पब्लिक से यह मांग करता हूं कि सब इस मौके पर सरकार को पूरा पूरा सहयोग दें। सरकार इस मुसीबत को दूर करेगी, इसमें शुबहा नहीं।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)----

मान्यवर, निहायत संजीदा और संगीन सवाल पर हम गौर कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। राष्ट्रीय संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। इस सरकार ने १६ साल हुकूमत की, अरबों और करोड़ों रुपया विकास के नाम पर खर्च किया, भूमि सुधार के नाम पर जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, चकबन्दी कानून को लागू किया, जिसको कि उस जमाने में माननीय चरणसिंह जी ने क्रान्तिकारी की संज्ञा दी थी, फिर हदबन्दी लागू की गयी, सिंचाई की तमाम बड़ी छोटी योजनायें लागू की गयीं, कृषियंत्र भी बांटे गये, बीज भी बांटे गये, खाद दी गई, लेकिन उस सबका फल क्या हुआ? १६ साल के महत्तम प्रयास के बाद भी पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन घट गया। खेती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखण्डेराय]

की पैदावार घटती ही गयी। अब किस पर जिम्मेदारी लादी जाय ? कहीं न कहीं तो पिन डाउन करना पड़ेगा न ? इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय चरणसिंह जी इस्तीफा दें। वह इतने दिनों से कृषि मंत्री रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा उत्पादन ? पूरी सरकार के इस्तीफे की बात नहीं है। एक मंत्री की असफलता पर असफलता होती जाय, फिर वह क्यों रहे उस पद पर? खाद्य समस्या और कृषि का बहुत घना संबंध है। जगमोहनसिंह नेगी कुछ नहीं कर सकते अगर पैदावार ही नहीं बढ़ी।

मान्यवर, यह संकट राष्ट्रीय पैमाने पर है। शीत-लहरी ने हमारे प्रदेश में ही ज्यादा असर नहीं किया है। पंजाब, बिहार और बंगाल तक किया है। राजस्थान में कुछ अकाल पैदा हो गया है। बाहर से अनाज मंगा कर कब तक खाया जायगा ? यह चुनौती है इस सरकार के लिये। १६ साल के अन्दर भी मानव को सर्व प्रथम आवश्यकता, भोजन, उससे भी मुक्ति नहीं मिल सकी। इस सरकार के तमाम विकास का क्या मतलब है ? ये योजनायें किस काम की हैं ?

सुझावों की बात कही जाती है। एक सुझाव मैंने दे दिया है। दूसरा यह है कि नेगी जी छुट्टी लें। इन खून के व्यापारियों के सामने, गल्ले के नहीं, घुटने टेक देना, उनके छिपे जखीरों को न पकड़ना, कोई हल नहीं निकाल सकता है। १ लाख टन सड़ा हुआ गेहूं जो बम्बई से आ रहा है उससे कुछ समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि नेगी जी, आप बोलिये। आप की सी० आई० डी० क्या घास छील रही है ? वह किस दिन काम आयेगी ? सरकार को पता हो जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की फलां मीटिंग में कौन फैसले हुए, किसने हां कहा, किसने नहीं कहा और कौन न्यूटरल रहा। उसे पता है कि किसी विरोधी के घर में कितनी रोटियां बनीं, कितनी खाई गयीं, कितनी जल गईं। यह सब पता है। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि कहां अनाज का जखीरा है। आप अपनी कमजोरियों को मानिये। अपने बुनियादी रद्दी तरीकों को बदलिये। आपकी सी० आई० डी० इंटलीजैन्स डिपार्टमेन्ट, आई० जी, इतनी बड़ी पलटन क्या कर रही है? इस समस्या से पूरे प्रदेश के जन-जन का संबंध है। सरकार के प्रयासों का फल क्या रहा है ? भुखमरी, अकाल, अन्न संकट और दामों का बढ़ना। क्या इसी पर इनाम दिया जाय इस सरकार को ? विकल जी ने बहुत सही कहा है कि धरती का जोतने वाला किसान, खेत मजदूर, जमीन चाहता है। उन्हीं के मजबूत हाथ धरती को काटकर अनाज पैदा करते हैं। आपकी चकबन्दी बोगस और हद बन्दी फेल हुई। आप प्यासे खेत को पानी दीजिये। खाद को जहन्नुम में फेंक दीजिये। नहीं है जरूरत उसकी। आप पहिले पानी दीजिये। उसी से हिन्दुस्तान का किसान पैदावार बढ़ा देगा।

मान्यवर, गल्ले के व्यापारी भूखे भेड़िये हैं। वे अनाज के व्यापारी नहीं हैं। यह वह बिरादरी है जिन्होंने १९४३ में ३५ लाख बंगालियों को एड़ियां रगड़वा कर मरवा दिया कलकत्ते के फुटपाथों पर। ये पसीजे नहीं। अनाज की खतियां बन्द पड़ी रही और ये मौत से सौदा करते रहे। इनको इंसान का खून चाहिये। उनके सामने सरकार घुटने टेकेगी और हमसे उपाय पूछेगी। उपाय और कुछ नहीं है। आप इनके जखीरों को सीज कीजिये, हिम्मत है तो। डी० आई० आर० किसान मजदूरों के पकड़ने के लिये ही है ? इतनी अपार शक्ति इनके पास है। जनता का बहुमत इनके साथ है। इनके नेता के लाखों आदमी दर्शन करने के लिये आते हैं। इस पर भी इनका हाथ लुंज-पुंज। इनका हाथ कमजोर हो गया है थोड़े से बनियों के सामने। धिक्कार है इस हुकूमत को और ऐसे मिनिस्टरों को जो मजाक में इस गंभीर समस्या को ले जाते हैं।

लांग रेन्ज प्लान की बात मैं भी नहीं कहता हूं। वह हैं। लेकिन इस समय फौरी जरूरत है कि लोगों को राहत दी जाय, स्टेट ट्रेडिंग कहां पास हुआ, किस प्रस्ताव में, किस कांग्रेस प्रस्ताव पास करके ४, ६ महीने हल्ला गुल्ला करके रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं। डर में ? लग रहा है कि कहीं भुवनेश्वर की भी यही गति न हो जाय। स्टेट ट्रेडिन्ग कहां गई ? मंत्री जी कहते हैं कि बफर स्टाक बनाये हैं। स्टेट ट्रेडिन्ग मीन्स बफर स्टाक। आप स्टेट ट्रेडिंग कीजिये। नहीं करते हैं तो हटिये कुर्सियों से।

मान्यवर, कानून कायदे की बात कही गई । हमारे ठाकुर साहब, जैसा मैंने कहा, उठेंगे और मजाक उड़ा देंगे सारी बातों का। कानून कायदे इस सदन ने बनाये हैं । वे हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट ने बनाये हैं । अगर वे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें ठुकरा कर फेंक दीजिये । आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार, गवर्नर और प्रेसीडेन्ट किस लिये हैं ? संविधान को इंसान ने बनाया है। वह बदल रहा है बदलिये उसको इसलिये उसकी जो धारायें जनता की उन्नति को रोकती हैं, उनको बदलिये । कमजोर हाथों से काम नहीं चल सकता है । जमाना, जनता समस्या का समाधान चाहती है । उसके लिये हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाइये । पुकार रहा है आपको । अगर चूके तो जमाना आपको माफ नहीं करेगा । दुनियां में बड़ी-बड़ी हुकूमतें उलट दी गईं । अगर ये समस्या को हल नहीं कर पावेंगे तो ये भी फेंक दिये जावेंगे ।

श्रीमन्, १२ साल से मैं यहां पर हूं । १२ साल से बजट भाषण सुनता हूं और पढ़ता हूं । हाफिज जी ने सन् ५४ या ५५ में कहा था कि हमारा प्रदेश खाद्यान्न में आत्म निर्भर हो गया है, हम आत्म निर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं । अब २ योजनाओं के बाद तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में कहा जा रहा है कि फर्स्ट प्रायरिटी खाद्यान्न और कृषि को । फिर वहीं पहुंच गये है जहां से स्टार्ट किया था । पुराने ढांचे से अब काम नहीं चलने वाला है । बदलिये इस ब्यूरोक्रेसी को । भूख की ज्वाला ज्वालामुखी से भी भी बढ़कर है। उसमें यह सरकार भस्म हो जायगी ।

क्या सचमुच इतना कम गल्ला है ? नहीं । चावल इतना पैदा हुआ, उस पर मंहगाई इतनी क्यों ? जखीरेबाज १२ रुपये मन पर गेहूं खरीद कर स्टाक पर कुंडलियां मारे बैठा है । तोड़िये इन कुंडलियों को । डी० आई० आर० का इस्तेमाल कीजिये, फौज और पुलिस का इस्तेमाल कीजिये, यह तमाम सदन और हमारी जनता आपका साथ देगी, आपका जय-जयकार करेगी ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री नौरंगलाल जी, अब आप केवल ५ मिनट लें ।

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे ठाकुर साहब ने कहा कि आज की डिबेट में कोई सजेशन नहीं आया । मैं इस थोड़े से समय में केवल सजेशन्स ही रखूंगा । पहला तो सजेशन यह है कि तीन आदमियों की एक हाई पावर कमेटी बना दी जाय जिसमें चीफ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर और लीडर आफ दि अपोजीशन हों । वे सब इन तमाम डिफीकल्टीज को टाइड ओवर करने के लिये अपने सजेशन दें और उनको सरकार कार्यान्वित करे । दूसरा यह कि जहां भी फूड राइट्स हों वहां के एस० पी० और थानेदार को तुरन्त मुअत्तिल कर दिया जाय और उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाय । अगर वह इन्नोसेन्ट निकले तो ही छोड़ा जाय । इससे फूड राइट्स एक-दम बन्द हो जायेंगे । तीसरा यह कि किसी दिन चुपके से, बिना किसी को पता चले, सारे सूबे में एक साथ होल्डर्स के सारे स्टाक को पकड़ लें और उसको नियंत्रण के साथ लोगों में बंटवा दें । इसका नतीजा यह होगा कि जनता में आपके प्रति कान्फीडेन्स पैदा होगा और सरकार को भी यह मालूम होगा कि उसके पास भी कोई शक्ति है । चौथी चीज हमें अपने में इस बात का मनोबल पैदा करना चाहिये कि बरातें और दावतें बन्द कर दीजायं । १० आदमी से अधिक कहीं भी खाने को न जायं । पांचवीं बात जिस वक्त सन् १४ में अकाल पड़ा था तो अंग्रेजों ने हर स्कूल के टीचर्स को अनाज बांटने के लिये दिया था । इसलिये आप दूकानदारों को छोड़ कर गांव के टीचर्स को इस काम को दे दीजिये तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा । छठी बात यह है कि आप काश्तकारों को एक भी पैसा न दीजिये, उनको बैल दीजिये, खाद दीजिये, पानी दीजिये, बीज दीजिये, क्योंकि पैसा देने से वह सब बेकार होता है । इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नौरंगलाल]

अलावा ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बूढ़े हैं जिनके पास खाने को नहीं है, इसलिये हमें उनके खाने का प्रबन्ध करना चाहिये। अगर एक भी बुड्ढा मर गया तो हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा इरादा आज की बहस में कोई हिस्सा लेने का नहीं था क्योंकि मेरी तबियत भी कई रोज से ठीक नहीं थी परन्तु माननीय झारखण्डे राय जी का भाषण सुनने के बाद मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं भी अपने विचार सदन के सामने आपकी इजाजत से रखूं। यह बात ठीक है कि हमारे यहां कृषि की पैदावार बढ़ नहीं रही है बल्कि उल्टे दो साल में, ६०–६१ में जितना हो गयी थी उससे घटी है। लेकिन पैदावार के बढ़ने और घटने के बहुत से कारण होते हैं। गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, मैं इस बात को तसलीम करता हूं और बहुत हद तक उस जिम्मेदारी से मैं भागना नहीं चाहता हूं, लेकिन केवल गवर्नमेंट ही पैदावार बढ़ा सकती है या घटा सकती है, यह सही नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। जमीन किसान के पास है। गवर्नमेंट किसान को उस तरह हुक्म नहीं दे सकती, जिस तरह किसी राज्य कर्मचारी को हुक्म दे सकती है।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक बाइलाजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, मेकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो नेचुरल प्रोसेस आदमी के कंट्रोल के बाहर होता है। पाला पड़ जाय, हवा चल जाय, ज्यादा बारिश हो जाय, ड्राट हो जाय तो वह मनुष्य के कन्ट्रोल के बाहर है। फिर भी ऐसे हेजार्डस् व कैलेमिटीज के बावजूद भी किसान अपना काम बन्द नहीं करता। फैक्ट्री ओनर नुकसान होने पर अपनी फैक्ट्री बन्द कर देता है लेकिन किसान उसे नहीं बन्द कर सकता है। लिहाजा वह खेती करता रहता है।

तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सूबे के लोगों का मेंटल ऐटिट्यूड ऐसा है कि हम लोग भाग्यवादी अधिक हैं, इस दुनिया को मिथ्या समझते हैं और पुरुषार्थ में कम विश्वास रखते हैं। हमारे देश के और सूबे ऐसे नहीं हैं लेकिन खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोगों में इस तरह के दोष हैं। हमारे यहां इकोनामिक डेवलपमेंट अधिकतर पंजाब, मारवाड़ व गुजरात के लोगों द्वारा ही हुआ है, चाहे आप मद्रास में जाकर देखें, चाहे बंगाल में जाकर देखें, चाहे इस प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर बनारस तक जाकर देखें। हमारे यहां के लोगों का जो सोशल व इकोनामिक ऐटिट्यूड है, हमारे यहां का जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें जनता को तब्दीली लानी होगी। जब तक उसमें तब्दीली नहीं आती, आप अरबों रुपये लगाते जाइये, वह ड्रेन में बह जायगा। मेरा खयाल है कि उसे बदलने में भी कम से कम दो जेनरेशन लग जायेंगी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह बात स्वीकार करनी होगी कि इस प्राब्लम का जो डाइगनोसिस मैं करने जा रहा हूं, हो सकता है कि यह गलत हो लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं गया है। न तो अपोजीशन पार्टी का और न हमारी रूलिंग पार्टी के ही अधिक मित्रों का ध्यान उधर गया है। मेकेनिकल मेंटलिटी से यह काम नहीं होने वाला है कि आपने किसी आफिसर को बदल दिया या किसी तरह की ट्रेनिंग की कोई बात कर दी। इसके लिये ह्यूमन फैक्टर की आवश्यकता है। केवल भाषण करने से इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी है लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने अभी इशारा किया, नेचुरल फैक्टर्स की है।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि कृषि मन्त्री सामने बैठे हुए हैं और शायद उन्होंने मेरा नाम भी लिया और कहा कि मैंने जमींदारी एबालिशन किया। जमींदारी एबालिशन किया, यह तो ठीक है लेकिन क्या आपको इस जमींदारी एबालिशन से शिकायत है कि इसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वजह से पैदावार घट गयी है ? यदि नहीं, तो फिर आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिये थी। हमारे नौजवान माननीय सदस्य चन्द्रजीत जी अक्सर जिक्र करते हैं कि जब तक नयी नीति नहीं अपनायी जायगी कि जो मेहनतकश हो वह जमीन का मालिक बने, तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। मैं पूछ रहा हूं कि आज जमीन का मालिक किसको बनाया गया है। इस उत्तर प्रदेश के जो मेहनती किसान हैं उन्हीं को जमीन का मालिक बनाया गया है। इस प्रदेश में जो भी खेती करने वाले हैं, ख्वाह मौजूदा कानून के मुताबिक जमीन पर उनका अधिकार था या नहीं था, यहां तक कि सब-टिनेंट व ट्रेस पासर टिनेन्ट्स को भी जमीन का मालिक बना दिया गया है । ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नजर नहीं आती और अगर कोई हो मेरे दोस्त बतायें, आज नहीं तो कल बतायें और कल नहीं तो परसों बतायें। दूसरा नुक्स उन्होंने यह बताया कि बड़े-बड़े लोगों के पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं। मैं आप को ५५–५६ के आंकड़े बताता हूं। उस वक्त जब कि १ करोड़ किसान यहां थे तो ७,००० किसानों पर ३० एकड़ जमीन थी यानी २ प्रतिशत से कुछ अधिक जमीन अब से दस या ८ साल पहले ३० एकड़ से ऊपर के किसानों पर कुल मिलाकर नहीं थी।

एक सदस्य--

तराई में क्या है ?

श्री चरणसिंह--

उस तराई क्षेत्र में भी सन् १९३८ और सन् १९४७–४८ में कुल ३–४ फार्म १,००० एकड़ से ज्यादा के दिये गये क्योंकि उस वक्त वहां कोई भी बसना पसन्द नहीं करता था और इधर सरकार ने दस-बीस या तीस एकड़ से अधिक किसी को नहीं दिया है लेकिन मैं तो उस तराई के सारे फार्म्स को शामिल कर के कहता हूं कि कुल कल्टीवेटेड क्षेत्र में केवल २ प्रतिशत जमीन ही बड़े किसानों के पास थी और आज वह शायद डेढ़ प्रतिशत ही है। हालांकि यहां की कन्डीशन्स में सीलिंग की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन वह भी हुई, अच्छा हुआ मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा मत यह है कि छोटी जमीन पर प्रति एकड़ पैदावार अधिक होती है बनिस्बत बड़ी जमीन के अगर और सब बातें यकसां हों, लेकिन सीलिंग हुई, उस पर कार्यवाही और अमल भी हो रहा है और उस में से १३ हजार एकड़ जमीन तकसीम भी हो चुकी है।

श्री ऊदल--

आप तो कहते थे कि २५ लाख एकड़ जमीन मिलेगी।

श्री चरणसिंह--

वह कुल ८ लाख एकड़ थी और अब तो वह केवल ४ लाख एकड़ ही है। आप अगर २५ लाख एकड़ निकाल दें तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर बन जाऊंगा।

तो मैं आप की इजाजत से कह रहा था कि वह जमीन भी अब तकसीम हो रही है और उस में बहुत सी दिक्कतें भी हैं लेकिन २ प्रतिशत वह तकसीम हो भी जाय तो फर्क क्या पड़ेगा ? २ प्रतिशत जमीन ही जब बड़े लोगों पर है तो यह कहना कि जमीन मेहनतकश किसानों पर नहीं है, मैं समझता हूं कि मेरे नौजवान मित्र ठंडे दिल से अगर गौर करेंगे तो इसी नतीजे पर आयेंगे। अगर वह अब भी ऐसा कहते हैं तो सरकार के साथ अन्याय करते हैं।

आपने चकबन्दी के बारे में भी कहा। क्या चकबन्दी होने से पैदावार नहीं बढ़ी ? वह बढ़ी है, जहां सर्वे हुआ है, सन् ५९–६० में प्लानिंग ऐंड रिसर्च ऐक्शन इन्स्टीट्यूट की कुछ जिलों की एक रिपोर्ट निकली है उसे आप देखें तो उसमें दिया है कि पैदावार बढ़ी है। जमींदारी एबालिशन हुआ, चकबन्दी हुई या सीलिंग हुई यह सब कदम ऐसे हैं कि जो पैदावार बढ़ाने में सहायक हुए हैं और इनसे इनसेन्टिव हुआ है। इसके अलावा खाद, बीज और पानी भी दे रहे हैं। लेकिन यह भी फैक्ट है कि बावजूद इन सब बातों के इस साल खाद्य की यह

[श्री चरणसिंह]

स्थिति आई क्योंकि जैसा कि उधर से कहा गया कि ब्लैक मार्केटियर्स और प्राफिटियर्स ने गल्ले को कार्नर कर दिया, हो सकता है कि इसमें भी सच्चाई हो, इससे मैं इनकार नहीं करता लेकिन दरअस्ल बात यह है कि बराबर रिपोर्ट आ रही थीं कि सारे देश का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन २ साल से नहीं बढ़ा है, औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ा है। ६१-६२ में भी वह नहीं बढ़ा या बहुत कम बढ़ा और ६२-६३ में वह स्टेटिक रहा और हमारे सूबे की पैदावार कुछ घटी। इस पर ट्रेडर्स ने चूंकि वह तो होशियार हैं कुछ गल्ले को रोका लेकिन इस पैदावार के घटने के बावजूद और जो फूड डिपार्टमेंट का जो काम चल रहा था और अहतियात बर्ती जा रही थी उसके होते हुए भी, उससे काम चल जाता अगर यह १६ जनवरी से १ फरवरी तक का पाला न पड़ता। जो सिचुएशन क्रीएट हुई है वह तो इससे हुई है वरना यह हालत आज न होती। अब सरकार को दोष दें कि उसने ऐनविसेज क्यों नहीं किया। यह आदमी की ताकत के बाहर है। माननीय झारखंडे राय जी ने जोर दिया है कि आज वोलकैनो पर बैठे हुए हो, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपकी सब पालिसीज फेल होंगी, पालिसी बदलो। तैयार हैं आप बतायें कौन सी पालिसी फालो करें? माओ की?

श्री झारखण्डे राय--

आपकी फेल हो गई। कोई नयी चलायें जो चला सकें।

श्री चरणसिंह--

मैं समझता हूं आवेश से काम नहीं चलेगा।

श्री बलवानसिंह--

पी० एस० पी० की पालिसी ले लीजिये।

श्री चरणसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कौन सी पालिसी फेल हुई, जमींदारी एबालिशन की, कंसालीडेशन की, किसानों को प्राइमरी एजूकेशन देने की फेल हुई या ट्यूब वेल की फेल हुई, या खाद देने की फेल हुई? या पालिसीज फेल नहीं हुईं बल्कि टु दि पासिबिल एक्सटेंट सक्सेसफुल हुईं। जो क्राइसेस हुआ है यह नेचुरल कैलेमिटीज के कारण है। आपकी कौन सी पालिसी है जिसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटी न पड़ें, बता दें? मैं माननीय झारखंडे राय और बलवान सिंह जी से पूछता हूं कि बतायें जो नेचुरल हैजार्डस् को कंट्रोल कर सकें। माननीय झारखंडे राय जी जिस पालिसी की शहादत देते हैं वह है रूस और चीन की। आज वहां भी आस्ट्रेलिया और कैनाडा से अन्न आ रहा है। क्रुश्चेव साहब अपना सोना बेचकर सब मुल्कों में दर-दर भटक रहे हैं, अब ब्रिटेन में सोना बेचा है और यू० एस० ए० से गल्ला मांगा है। मैं उनकी पालिसीज से ऐग्री नहीं करता लेकिन अगर उनका फेल्योर है तो उसमें नेचुरल फैक्टर मौजूद है। वहां कलेक्टिव फार्मिग या स्टेट फार्मिग के मुकाबले में किसान, अगर अपनी जमीन का मालिक रहे तो सर्विस कोआपरेटिव्ज से फैसिलिटीज मिलते रहने पर, ज्यादा पैदा कर सकता है और हर देश में ज्यादा प्रोडक्शन है। मैं चैलेन्ज करता हूं, पहले भी कर चुका हूं कि रूस की पैदावार से यूरोप के हर देश की पैदावार ज्यादा है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि जिन पालिसीज की तरफ आपका इशारा है, जिन पर आप चल रहे हैं वह हमारे दोस्त देश रूस की हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से मजबूर होकर यू० एस० ए० से अन्न मांग रहे हैं और कैपिटलिस्ट कंट्री ब्रिटेन को सोना बेच रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटी हमारे प्रदेश में हुई। आपने कहा कि मैं रिजाइन कर दूं। मुझे कोई बहुत लोभ नहीं है, जब मैं मुनासिब समझूंगा दे दूंगा आप की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह बात सब को तसलीम है कि पंजाब में हमारे यहां से ज्यादा पैदावार है, वहां एक किसान पर हमसे दुगनी जमीन है, वहां का किसान मेहनती है, ऐन्टरप्राइजिंग है, वे पढ़ा-लिखा किसान भी जिस दिन आखिरी

डेट थी वेलिंगटन एयर पोर्ट पर इंग्लैंड जाने के लिये पड़ा था। जबकि हमारे यहां का कोई पढ़ा-लिखा एक आदमी भी बाहर नहीं गया। उनका प्रोडक्शन भी पर एकड़ हमारे यहां से ज्यादा है लेकिन वहां भी गेहूं का भाव ३२ रु० मन है। तो क्या पंजाब की गवर्नमेंट का कसूर है? नहीं। नेचुरल फैक्टर है। अगर नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकें तो हम दोषी नहीं हैं। आपकी पालिसी आल इंडिया बेसिस पर होगी, उससे मुझे इन्कार नहीं, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस मौके पर भूख हड़ताल सामूहिक तौर पर करना, उसका प्रदर्शन करना आग में तेल डालना है। कोई भी चीज इस तरह की करना जिससे लोगों में साइकालोजिकल कांशसनेस हो जाय वह देश के लिये अहितकर होगा। लूट की बात कही गयी। उस सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सेन्स आफ रिस्पांसिबिलिटी के साथ यह कहता हूं कि हमारे यहां कोई रायट्स नहीं होंगे, होंगे तो पूरी शक्ति के साथ उनका दमन किया जायगा और आज तक आदमी न भूखा मरा है और न एक भी मरने दिया जायगा।

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहूंगा कि खाद्य मन्त्री जी को अब आप लोग सुनें क्योंकि डिबेट का असली प्रयोग तो यही है....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह प्रस्ताव मैंने मूव किया था और सुबह से उठक-बैठक लगा रहा हूं लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया। मूवर को उत्तर देने का हक न दिया जाय यह कैसी व्यवस्था है?

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रस्ताव में मूवर को कोई जवाब देने का अधिकार नहीं है। किसी के नाम में यह प्रस्ताव नहीं है और न उस तरह का यह प्रस्ताव है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

नियम ५५ के अन्तर्गत यह प्रस्ताव लिया गया। यह प्रथा रही है कि जो सदस्य प्रस्ताव को मूव करे उसे जवाब देने का हक दिया जाता है। मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मूव किया था। अध्यक्ष ने यह मुनासिब समझा कि वह इसे कार्य-स्थगन में नहीं लेंगे और इस रूप में लेंगे। प्रस्ताव आपकी फाइल में है, आप मित्थल जी से मंगा कर देख लें।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आपको इस प्रस्ताव से इतनी दिलचस्पी है तो ज्यादा दिलचस्पी होना चाहिये खाद्य मन्त्री जी के उत्तर को सुनने में।

श्री टम्बेश्वप्रसाद--

खाद्य मन्त्री जब तक मेरी बात सुनेंगे नहीं तो उत्तर क्या देंगे?

श्री अधिष्ठाता--

अच्छी बात है, ५ मिनट आपको मैं दिये देता हूं और ५ मिनट में ही आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री टम्बेश्वप्रसाद--

आपके पूर्व अधिष्ठाता महोदय ने जो वचन दिया था उसे आप निबाहें।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना समय भाषण में लगायें।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अधिष्ठाता महोदय, सदन को आज पूरा समय इसलिये इसमें देना पड़ा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्राणी और नेगी जी दोनों आदमी असमर्थ रहे २० तारीख को नेताओं की बैठक बुलाने में और अलग से सदस्यों को विचार-विमर्श करने के लिये समय नहीं मिला और उसके लिये दो दो बार अफसोस मनाया। उसके अलावा माननीय मन्त्री हुकुमसिंह जी तीन दिन से कह रहे थे कि सदन ने अपनी राय व्यक्त नहीं की तो उन्होंने कोई भी समय इसके लिये अलग से नहीं दिया, न बैठक में हिस्सा लेना पसन्द किया। इसलिये कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को इस रूप में अध्यक्ष को स्वीकार करना पड़ा जिससे आज पूरे दिन विवाद हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन कम हुआ है। हम चाहते हैं कि उसका वितरण सीमित उपयोग के साथ भली प्रकार हो। महज इतनी ही समस्या है कि आज के दिन जो हमारे पास उत्पादित वस्तुएं हैं कृषि की उनका हम किस प्रकार से उपयोग करें? उस उपयोग को हम इस सप्लाई विभाग के जरिये ही ठीक कर सकते हैं। उसका उत्तर देते हुए कल माननीय सुचेता जी ने कहा कि अगर मर्यादित करप्शन रहे तो वह राजी हैं। माननीय नेगी जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जब तक हमारे पास करप्ट आफिसरों की सिफारिश करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम करप्शन दूर नहीं कर सकते। मैं माननीय नेगी जी से पूछना चाहता हूं कि जो दूकानदार कानपुर में पकड़े गये उनकी सिफारिश करने कौन गये थे। माननीय कांडपाल जी ने और माननीय नेगी जी ने जिन करप्ट अधिकारियों को पकड़ा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? कितने दिन तक हम मजबूरन इन मन्त्रियों को अपने ऊपर रखना स्वीकार करेंगे? इनका जोर चलेगा उन पर जो किसान धरना देने के लिये आ रहे थे। किन पर माननीय सुखपाल पर जो जिलाधीश की आज्ञा लेने के बाद गये थे। उनको पकड़ा जायगा और जेल में डाला जायगा। छोड़े कौन जायेंगे? देशद्रोही लोग। २६ जनवरी को देशद्रोही लोग सब छोड़े जायेंगे, यह इस सरकार की व्यवस्था है। पकड़े जायेंगे वह काश्तकार जो धरना देने आ रहे थे इसलिये कि उनकी फसल मारी गयी है। माननीय नेगी जी और माननीय हुकुम सिंह जी की सरकार उनको माफी नहीं दे सकती और न वे सदन के माननीय सदस्य को जो जिलाधीश की आज्ञा लेने के बाद आये थे। मैंने स्वयं उन माननीय सदस्य से मिलकर मालूम किया। वे उस स्थान के निकट भी नहीं गये थे। लेकिन उन पर दोषारोप चाहे जितना झूठ हो लेकिन बात सही यही है। इसके बाद भी जब यहां पर करप्शन पर विचार किया जाता है तो मुझे हंसी आती है। मैं नेगी जी के इस कार्टून विभाग से यह जानकारी करना चाहता हूं कि अगर वह चाहें तो क्या आंकड़े इकट्ठे नहीं हो सकते? प्रत्येक मंडी में गल्ले की एराइवल नोट होती है और उसके बाद उसकी डिपार्चर चुंगी, म्युनिसिपैलिटी और टोल वैरियर्स पर होती है। और उसके बाद रेलवे से मालूम हो सकता है कि कितना गया। इस सबका एस्टीमेट हो सकता है कि कितना गल्ला आया और गया। लेकिन नेगी जी को पता नहीं है कि कितनी जखीरेबाजी हो रही है। नेगी जी क्या करें? चन्द्रभानु गुप्ता जी जब नेगी जी की फाइल मंगा कर लिख गये हैं और किसी को मुकर्रर कर गये हैं और खुद गुप्ता जी ने जिसे सप्लाई विभाग में भेजा है तो फिर यह सप्लाई विभाग तो पागलखाने से लेकर अनाथालय तक सारा यहां जमा है। यहां तक है कि आफिसर बीमार है उसका इलाज होता जायगा और काम भी वह करते जायेंगे यह तो हालत है तो माननीय नेगी जी क्या करें? मैं यह जानना चाहता हूं कि ८ हजार दूकानें अगर आपने कायम की हैं और अगर २५ मन गल्ला रोज आप दूकानों को दें तो हिसाब लगा लें जितने हजार टन गल्ले की आवश्यकता होगी। जो गल्ला है वह पूरे लखनऊ शहर के लिये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। चाहे जितनी भी मेहनत सरकार करे लेकिन क्या वह समझती है और उस मेहनत से आशा कर सकती है कि मूल्यों में वृद्धि रुक जायगी बिना किसी उपाय के। माननीय जे० पी० मिश्र जी ने कहा कि जो यह कहा जा रहा है कि इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार का हटना जरूरी है वह एक षडयन्त्र है। मैं उनसे कहता हूं कि यह पहली शर्त है कि जब तक यह बात सक्सेसफुल नहीं होगी तबतक इस समस्या का हल हो नहीं सकता। माननीय नेगी जी और माननीय सुचेता जी के लिये यह स्थिति ठीक हो नहीं सकती क्योंकि वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि करप्शन होना चाहिये। समय बहुत कम दिया है माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसलिये मैं माननीय नेगी जी से पूछता हूं कि वह कृपया बतावें उत्तर में कि कितनी आवश्यकता इस समय है, कितना स्टाक में है। इस सब के लिये उन्होंने क्या एस्टीमेट लगाया है। माननीय माल मन्त्री ने यह नहीं बताया कि कितनी फसल मारी गयी है और औसतन कितना खाद्यान्न कम पड़ेगा। यह सब बताना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया। माननीय नेगी जी, आपकी इच्छा और जरूरत को देखते हुए मैं अपने में निहित अधिकार से सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा देता हूं। अब आप ४५ मिनट तक बोल सकेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

धन्यवाद। मुझे एक प्रार्थना करनी है माननीय सदस्यों से कि बड़े वीर, बलवान और बुद्धिमान लोग विराजमान हैं और मैं आशा करूंगा कि वे कृपया मेरे बोलने में विक्षेप न करें और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें।

एक सदस्य--

आप भी जरा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से बोलें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने पहले ही प्रार्थना की है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय खाद्य मन्त्री जी, मुझे सम्बोधित करें और जवाब न दें तो वे बोल सकेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पाले से हमारी फसल खराब हुई है। मगर मैं यह आशा कभी नहीं करता था कि इससे हमारी बुद्धि भी खराब हो जायगी और यह पाला हमारी बुद्धि पर पड़ेगा, ऐसी आशा मैं नहीं करता था। (व्यवधान) अब किधर हो गया यह समझने वाले समझ जायेंगे। कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) मैंने आप लोगों से पहले प्रार्थना की...

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि गम्भीर विषय है, आप स्वयं इसको गम्भीर मानते हैं, तो कृपया बीच में न बोलें। माननीय खाद्य मंत्री को बोलने दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस बात का भी मुझे अफसोस है कि कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े समझदार लोग हैं, झारखंडे राय जी वगैरह मगर एक बात हमको माननी पड़ेगी कि वह चतुर भी हैं। जिस वक्त इन पर कष्ट आता है उस वक्त हमारे साथ मिल जाते हैं और जब हम कष्ट में आते हैं तो मौका ढूंढ़ते हैं कब मारें। मैं समझता हूं यह वीरता की परिभाषा में नहीं आता। (व्यवधान) मैं कंट्रोल आप की बुद्धि पर करूंगा। मैं इस बात को अर्ज करूंगा कि सरकार के खिलाफ और उसके विरोध में यह सब एक हो जाते हैं वहां से लेकर यहां तक। और जब हम इनकी नीति और इनकी बहस सुनने के

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

बाद काम करने के लिए तत्पर होते हैं कि इनकी नीति को अपनाएं तो इनकी नीतियों में जमीन आसमान का अन्तर है अब किसको अपनायें ? भानुप्रताप जी की बात को अपनायें य जनसंघ की अपनायें या इनकी स्टेट ट्रेडिंग को अपनायें या स्टेड ट्रेडिंग के विरोधियों की अपनायें ? और इनका सबका मेलजोल करके, प्रजातांत्रिक राज्य में जो सम्भव है उसको करने की चेष्टा करते हैं, तो यह भी खिलाफ बोलेंगे, वह भी खिलाफ बोलेंगे, स्वाभाविक है। इसके ऊपर जब हम कंट्रोल करते हैं और सख्ती का कदम उठाते हैं तो अगर इस समय सामान की कमी है तो उसमें जरूर कुछ कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी और उस वक्त वह कहते हैं कि जो कुछ भी हो आप कंट्रोल छोड़ दीजिए। चीनी के मामले में क्या कहा और क्या नहीं कहा इसी सदन में ? अगर खाद्यान्न पर हमें यह चार्ज किया जाता है कि हम घुटने टेक रहे हैं होर्डर्स के सामने, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हम पहले ही कोई कदम उठा देते और कोई बात आती तो यही कहते कि कंट्रोल कर दिया था। फिर आप खिलाफत करते। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, यह कैसे चलेगा ? एक रास्ते पर चलिए। एक बात कहिए और एकमत होकर कहिए। चलिए हम आपकी पालिसी पर चलने को तैयार हैं। वहां तक जो बुद्धि में उतरेगा उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको तो एक चीज में एक राय है और वह टम्बेश्वर प्रसाद ने कह दिया कि हमारा डेलीबरेट एफर्ट है कि हम यहां गड़बड़ पैदा करेंगे, इसमें एक राय है। (व्यवधान) वह आप न हों लेकिन भूख हड़ताल करके आपने तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात कर दी। यादव जी ने कहा कि जब से इतिहास प्रारम्भ हुआ तब से ऐसी घटना कभी नहीं हुई। मैं कहता हूं क्या इन्सान की याददाश्त इतनी कमजोर है ? सन् ५९ में "घेरा डालो आन्दोलन" वाले उधर बैठे हैं। "लूट लो" वाले बैठे हैं और लूट की गई, भाव क्या था उस वक्त ? ६६ रुपये ९८ नये पैसे प्रति क्विंटल और ६९ रुपये प्रति क्विंटल। यह भाव था ५९ में। और आज क्या है—६३ रुपये प्रति क्विंटल। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि उस वक्त ऐसी विषम परिस्थिति थी और इसी हाउस में उस पर डिबेट हुआ और हमने करेज के साथ कहा कि आप सहयोग प्रदान करें, कीमतें घटेंगी और घट कर रहेंगी और घटीं। उस वक्त कहा जाता था कि विशफुल थिंकिंग है। माल कितना था हमारे पास—केवल २० हजार टन जो मिलों का आटा था वह था उस वक्त और २५ हजार टन दूसरा, यानी कुल ४५ हजार टन। सफलता पायी, होर्डर्स की नहीं चलने दी। आज किन्हीं कारणों से अगर पाले ने हमारे तौर-तरीके में विघ्न डाल दिया तो आपकी बन आयी और आप इस कद्र शोर गुल करने लगे, (व्यवधान) और आज भी मैं कहता हूं कि अगर ठीक तरह से चला जाय और लोगों के दिमाग में यह बात पैदा न की जाय, आज ही आप अखबारों में देख लीजिये, लिखा है कि प्राइसेज स्टेडी हो गयी हैं जब कि आपके आन्दोलन और झूठा प्रचार चल रहे हैं कि बिजनौर में लूट लिया गया। बिल्कुल निराधार वह बात छपी है। वहां पैंठ लग रही थी। मैं आपको बताऊं असलियत क्या है:—

"Only about two maunds atta from two shops was pilferred without payment in the rush of purchase created by shop keepers themselves from weekly market"

उनको किसी ने कहा होगा कि नहीं मिलेगा तो चुपके से लेकर चले गये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

जिस रिपोर्ट को आप झूठा कह रहे हैं मुझे अभी दो मिनट पहले वहां से यह तार मिला है :
Editor, Bijnor Times Daily ने लिखा है :—
Parla Market Loot Enquiry Unsatisfactory....

(व्यवधान)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसे तो हर एक एक तार ले आय (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदन से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि बहुत गहन विषय आपके सामने है इसलिये शान्त वातावरण की आवश्यकता है। कृपया आप लोग आपस में बात न करें और शान्ति बनाये रखें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

असलियत यह थी जो मुझे सूचना मिली है। अब रही प्राइसेज की बात जो आपने कही और विकल जी ने भी कैरों साहब का हवाला दिया। तो मैंने देखा कि और स्टेट्स में प्राइसेज क्या हैं। मालूम हुआ कि गंगानगर (राजस्थान) में ६८ रु० ७२ नये पैसे, पंजाब में ७० रुपये, बम्बई में ८० से ८२ रुपये और दिल्ली में ८० से ८५ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव है। तो जनाब-आली, पंजाब जो गेहूं का पैदा करने वाला है और कैरों साहब की डिक्टेटरशिप के बावजूद उनके यहां जब इतना पहुंच गया तो हम घुटने टेकने वाले क्या कर सकते हैं? इसमें क्या खराबी है? आप तो केवल जीभ के बलवान और कर्मी हैं असल बलवान और कर्मी तो हम हैं। मैं अर्ज कर रहा था और जैसा मैंने आंकड़ा दिया कि हम ४५ हजार टन का अन्दाजा करते थे और १९५९ में हमने इतने से ही कंट्रोल कर दिया था और प्राइसेज डाउन कर दी थीं। जब कि उस समय आज कल से ज्यादा प्राइसेज चढ़ी हुई थीं। इस समय भी नवम्बर में हमारा ३ हजार टन का आफ टेक था, दिसम्बर में ८ हजार टन हुआ, जनवरी में २४ हजार टन और फरवरी में ४० हजार टन चला जायगा। इसके अलावा हमने आटा भी दिया है। इसके माने हैं कि हमने प्राइसेज को रोकने में सतर्कता बरती है। (व्यवधान) कैसे करते? कोई भूख हड़ताल करा देता, कोई लूट करा देता। आज आप वायदा कर दें तो जो हमारे पास स्टाक है, उसी से सख्ती से काम लेंगे और होर्डर्स को चैन नहीं लेने देंगे। आप यह न समझें कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। (व्यवधान) दिसम्बर में आपके यहां ४०,५६६ टन मार्केट में था और पिछले महीने का बैलेंस ६८,२७८ टन था और जनवरी का ५८,४९९ टन था। यह हमारे पास फिगर्स हैं।

एक बात और श्रीमन्, कि सारी ताकत इन्होंने एक ही दफा में खारिज कर दी। अब बाद में जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे। आप लोगों का यह खयाल था कि मेरे पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। जब पता चला कि सब कुछ है तो आप अब बौखला रहे हैं (व्यवधान)। डी० आई० आर० असेंशल कमोडिटीज में २१२ प्रोसीक्यूशन हुए। इनमें से १६८ पर केस चल रहा है और २० का कन्विक्शन हो गया है। (व्यवधान) आध घंटे के समय में इस तरह से बीच में बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपने कहा कि कानपुर में पकड़े और छोड़ दिये। मुझे पता नहीं कि किसने छोड़ दिया। मैं इसकी जानकारी करूंगा। हमारे यहां से आदेश हैं कि जो जरा भी बुराई करता है उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाय। जिस वक्त आवश्यकता होगी तो जेल की मुर्गी को कभी भी पकड़ सकते हैं। जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है, यह तो आल इंडिया पालिसी पर डिपेंड करता है। हमने उस वक्त शुरू की थी, अपना गेहूं का भी स्टाक बनाया था, ज्वार बाजरे का भी बनाया था। लेकिन स्टेट ट्रेडिंग के लिए टोटल राशनिंग करके सारा काम करना पड़ेगा। जब थोड़ी राशनिंग में आप कहते हैं सब बेईमान हैं, यहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है तो उसके लिए क्या कहेंगे? चुर्क सीमेंट फैक्टरी है, उसमें आप कहते हैं कि सारा करप्शन है। लेकिन यह निश्चित बात है कि स्टेट ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ अपने चरित्र को ऊंचा जरूर करना पड़ेगा। एक मैं सफाई कर दूं। बार-बार कहा जाता है कि आप मिल-वालों को क्यों देते हैं? मैं नहीं देता हूं। साफ कह रहा हूं कि मैं नहीं देता हूं। नहीं देना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बाजार में नहीं उतरने देती है, उनके मिलों को बन्द नहीं कर सकती इसलिए उनको फारेन ह्वीट देती है। मैंने कौन सा बुरा किया कि उस आटे को सीज करके पब्लिक के लिए कर दिया? हो सकता है कि महीने भर पहले कंट्रोल से ज्यादा लेते हों। मगर पहली फरवरी से यह आर्डर कर दिया वहां कि एक छटांक आटा बेंचे तो हमारे अफसरान के थ्रू फेयर प्राइस शाप्स पर जायगा। एक क्वालिटी का आटा बनेगा। मैदा, सूजी कंट्रोल प्राइस पर बनेगा। (व्यवधान) अगर वह करप्ट हैं, तो मैं करप्ट हूं। मैं करप्ट हूं तो आप करप्ट हैं।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

आपका भाई मैं, मेरे भाई आप। मैं कहता हूं कि जब तक डेमोक्रेसी है जिसमें वोटिंग होती है, करप्शन को रूट आउट करना बड़ा डिफीकल्ट है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

यह आपके लिए बड़े शर्म की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से शान्ति में बाधा मत डालिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इंगलैण्ड की डेमोक्रेसी हो जहां किसी चीज का कंसीडरेशन न करें, तो दूसरी बात है। लेकिन यहां मैं एक आदमी को बदलता हूं तो दो उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। मैंने इसीलिए यह कमेटियां बनायी हैं। झारखंडे राय जी कह रहे थे कि हम क्या बताएं, अपने अफसरान से पूछिए। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अफसरान करें। मगर हमारे अफसरान अगर करप्ट हैं तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है। आप सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कीजिये कि अमुक आदमी बेईमान है, कोई सबूत नहीं है। आप सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दीजिये तो हम ऐक्शन ले लेंगे। आप कहते हैं कि हमारे यहां विभाग के अन्दर जो जांच की जाती है वह ठीक तरह से नहीं होती और वह ठीक रिपोर्ट नहीं देते तो मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं और मैंने गृह मंत्री जी से कहा है कि वह इस वक्त हमको सी० आई० डी० की मदद दें दें तो उससे हम कुछ मदद लेना चाहते हैं। मुझे आशा है कि वह हमको इसकी मदद देंगे। मैं इस बात को चाहता हूं और मुझे इस बात की आशंका है कि ६१ हजार टन गेहूं और ६८ हजार टन आटा यह कहीं निकल गया। लोगों ने इसकी शिकायत की और मुझे भी इसका शक है कि यह कहीं निकल गया। इससे मालूम होता है कि कहीं छिद्र है। हम सब बातें देख रहे हैं। किसी को क्या लगता है वह तो खड़ा होकर कह देता है कि इस्तीफा दे दो। मगर एक बात है कि जो जिसका आहार होता है वह उसके लिये प्रार्थना करता है लेकिन उनके कहने से ढोर कहां मरता है। वाक़ई अगर दीदोदानिश्ता हमने कोई खराबी की है और जानबूझ कर कर रहे हैं तो हमको यहां पर बैठने का कोई हक नहीं है लेकिन फिर आप कौन होते हैं इस बात का फैसला देने वाले? इस बात का फैसला जनता देगी जिसने हमको यहां पर लाकर बैठाया है। भानुप्रताप सिंह जी ने सुझाव दिया था और किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। मगर जिस प्रकार की हालत है उसके लिये कहा गया कि ४ करोड़ मन की कमी पड़ेगी। हमारे यहां ७ करोड़ ३७ लाख की आबादी है। हमारे यहां १९६२–६३ में १,१२,२०,००० टन की पैदावार हुई। आप ने १५ हजार टन की कमी बतलाई। अब आप समझिये कि १२ महीने का हमने ८ लाख टन लिया और फिर १२ लाख टन के हिसाब से गेहूं लिया। तो यह २० लाख टन हो गया। आप तो १२ महीने की बात करते हैं हमने ५, ६ महीने आगे का इन्तजाम किया। रही होर्डर की बात। अगर यही सही रूप से देखा जाय तो यह मानी हुई बात है कि उनके पास १ लाख या १।। लाख टन जो भी हो वह कहां ले जायगा। आप कहते हैं कि यू० पी० के बाहर ले जायगा लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अब बाहर जाने का कोई सवाल नहीं है। उसके लिये हम इन्तजाम कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें बहादुरी दिखाने की बात कर सकते हैं जैसे कि जापान में खाई पाटने की बात कही जाती है लेकिन वह गलत तरीके की होगी। विदेशी गेहूं का आटा बाहर अब नहीं जा सकता है उसके लिये हम आर्डर करने जा रहे हैं। जितने भी मुमकिन तरीके हो सकते हैं उतने हम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमको एहसास नहीं है। यह भी है कि उधर कुछ व्यक्ति हैं कि जो उदार हृदय हैं और हम पर कभी रहम व करम करते हैं। कम से कम इतना जरूर सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। यह ठीक है कि उन्होंने डिक्लेयर करके भूख हड़ताल की, लेकिन मैंने भी कई दिन से दिन का खाना छोड़ दिया है और आज भी बिना खाये बोल रहा हूं।

तो हमें चिन्ता है और अगर इस सरकार को चिन्ता न हो तो इस देश में डेमोक्रेसी का भविष्य अन्धकार में हो जायगा। यह तो वही बात है कि मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। हमारे ऊपर यहां जिम्मेदारी है और आप यहां सदस्य की हैसियत से बैठे हैं, लेकिन हमें कोई फिक्र न हो और आप उसके लिये बड़े चिन्तित हों। तो यह मानना पड़ेगा कि हमें चिन्ता है और हम स्थिति क्या है, इसे महसूस करते हैं। कल काउन्सिल में एडजर्नमेंट मोशन आया था और मैंने उनसे कहा कि मुझे सोमवार तक का समय चाहिये। उस दिन मैं उस पर वक्तव्य दूंगा, लेकिन उसके साथ ही मैंने यह कहा कि मैं समझता हूं कि इससे ट्रेड को चेतावनी लेनी चाहिये। मैंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में ला ऐंड आर्डर कायम रहे और हम कहीं भी किसी तरह के रायट नहीं होने देंगे। हाथी का मुंह चौड़ा है लेकिन बिल्ली को तो लात चाहिये। ट्रेडर्स को यह बात समझनी चाहिये कि उनकी वजह से क्या हो रहा है। वह भी हमारे भाई हैं और इसी मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर वह इस देश के विरुद्ध, प्रदेश की जनता के विरुद्ध इसकी प्रगति में बाधक होंगे तो वह देशद्रोह के भागी होंगे और अगर ऐसा हुआ तो वे हमारे लिये सहानुभूति के पात्र नहीं रहेंगे। हमारे हृदय में उनके लिये कोई प्रेम, रहम नहीं रहेगा। यह मैं पूरे विश्वास के साथ चेतावनी देना चाहता हूं। बाज-बाज लोग यह भी कहते हैं कि आप केवल धमकी देते हैं, करते कुछ नहीं। नौकरशाही की आप बात कहते हैं। लेकिन आपने चरखारी के लिये शिकायत की और मैंने उसे सस्पेंड कर दिया। और क्या करें? क्या सारी सर्विसेज को डिमारेलाइज कर दें? उनको भी सिक्योरिटी होनी चाहिये, उनका मारेल ऊंचा रहना चाहिये। हमने विजिलेंस कमेटी कायम की है और उसके लिये सब को इत्तला कर दी है। अगर उसमें ठीक से काम न हुआ तो मैं हिसाब रखूंगा कि हर जिले को कितना कितना अनाज मिला है और उसका वितरण ठीक ढंग से हुआ है। अगर उस पर भी आपने शिकायत की तो मैं कहूंगा कि आपको मेम्बर रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करेंगे तो मैं उस पर पूरा ऐक्शन लूंगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

हम लोगों को भी सूचना मिलेगी कि कितना स्टाक भेजा जा रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

क्या इतनी तकलीफ भी आप गवारा नहीं कर सकते कि जिलों में ही इसका आप पता लगा लें या वहां वालों से पूछ लें कि क्या हो रहा है। (व्यवधान) तो मैंने अर्ज किया कि वेयर हाउसिंग और रिजर्व बैंक में इसके लिये प्रकाशन ले लिये गये हैं। उन्होंने पहले १९६२-६३ में ही आर्डर कर दिये थे और कुल २५ परसेंट का मार्जिन उन्होंने दिया है। हम तो उसके लिये खाली रिकमेंड कर देते हैं, उनकी नोटिस में ला देते हैं। मैं आपको यह बतला दूं कि हमने किसी किनारे पर भी कोई चीज छोड़ी नहीं है। हर चीज में यू० पी० पथ प्रदर्शक रहा है। बंगाल में सन् १९५८ में प्राइस कंट्रोल किया, २ महीने बाद उसको उन्हें वापस लेना पड़ा। तो हम ऐसी कोई चीज करने वाले नहीं हैं जो आज करें, कल वापस लेना पड़े, हमारी पालिसी ही फेल हो जाय। जो आप सलाह देते हैं, हमें उस पर विचार करना होता है, हम आपके विचारों की कद्र जरूर करते हैं, मगर यह देखना होता है कि वह विचार कहीं हमको डुबोने वाले तो नहीं हैं। हम देखते हैं कि आपकी सलाह हमको कहां ले जाने वाली है।

मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि पाले से खेती खराब हुई, मगर उसका असर तो आगे पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारी स्टाक पोजीशन है हर जिले में, उसको मैं देख रहा हूं। आप जानते हैं, आप के घर में भी अगर एक बारात आ जाती है तो उसमें सभी अपनी अपनी फरमाइश करते हैं, सभी नखरेबाज होते हैं। तो हमारे लिये तो यह साढ़े ७ करोड़ बराती हैं, और उनको हमें खुश करना है और उसमें भी जो यहां नखरेबाज बैठे हैं इनकी भी तबियत खुश करना है। (हंसी के बीच) यह तो दुतर्फा चीज है, कभी आपके यहां भी बारात आयेगी। हम तो एक परिवार के ही लोग हैं।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

मैं आपसे यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि चाहे ट्रेडर हो, चाहे सरकारी नौकर हो, या जन साधारण में से कोई हो, कोई भी अगर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ पूरा नहीं करता है तो वह गद्दार है और देशद्रोही है। अगर कोई व्यापारी ज्यादा कीमतों पर गल्ला बेंचता है तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। हमें मालूम हुआ कि यहां के ट्रेडर ३ लाख टन गेहूं पंजाब से ले आये। अब वहां अगर ज्यादा कीमत देकर लाये हैं तो वे यहां उसी हिसाब से चार्ज करना चाहते हैं। हम उसको देख रहे हैं। हमने आटे पर पाबन्दी लगा ही दी है, इस पर मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आपने छोटी चक्की मिल वालों का गला घोंट दिया है। मुझे पता लगा है कि वे लोग पंजाब का गेहूं पीस कर आटा बेंचते हैं और हायर प्राइस पर बेंचते हैं। उन चक्कीवालों को निकालना चाहिये और दूसरे जो मिल लाल गेहूं ब्लेक में जाकर बेंचते हैं उसको क्या करेंगे? पहले ३ हजार टन वीकली मिलता था। ६–७–८ हजार मन मिलता था, अब ६१ हजार मन मिलेगा तो फिर बताइये छोटी चक्की वालों की समस्या है कहां? हमारा तो यह कहना है कि आज की तारीख के बाद हमारे सारे विधायक अपने-अपने जिलों में जाकर मीटिंग करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठ कर विचार करें, अगर वह मीटिंग न बुलायें तो स्वयं उसका प्रबन्ध कर लें। होली की छुट्टियों में जायं अथवा और कोई छुट्टी हो उसमें जायं आप वहां सारा प्रबन्ध करें, कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिये। हर आफिसर, हर एक नागरिक, हर एक मेम्बर यह करे और फिर दोबारा अगर फूड डिबेट मांगी तो मुंह न रहेगा कुछ कहने का। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें रचनात्मक सुझाव दिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और परसों साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३६ मिनट पर, सोमवार २४ फरवरी, १९६४ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ फरवरी, १९६४ ई०।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४० एल० ए०—१९६४—(प्रो०)—८६०।